खण्ड-246, अंक-6
मंगलवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(3 मार्च, 1964 ई0)

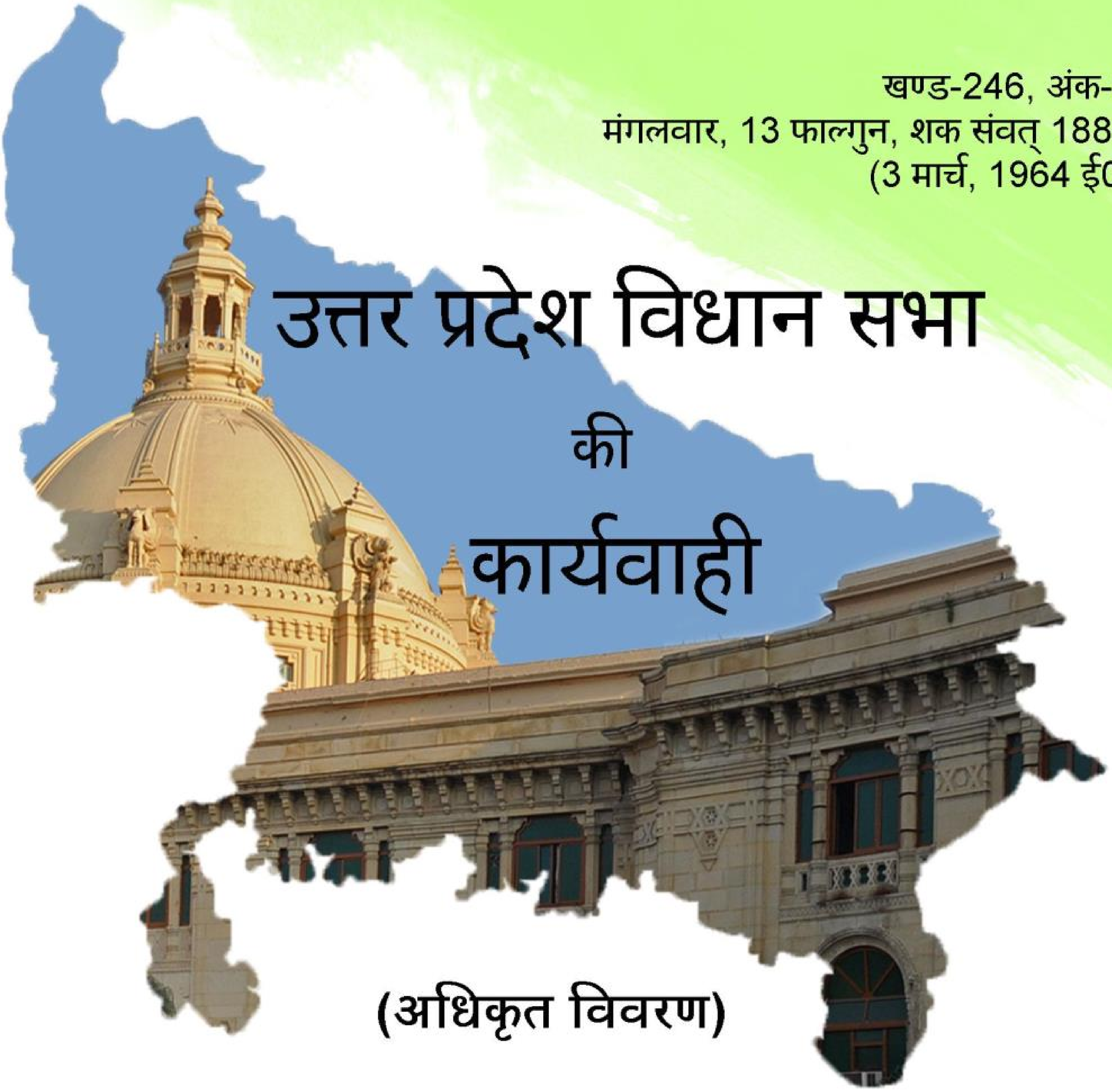

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४८७–४९०
प्रश्नोत्तर	४९१–५२०
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ (मेज पर रखा गया) ..	५२१
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	५२१
श्री सुखलाल की जमानत पर रिहाई के संबंध में सूचना ..	५२१
आजमगढ़ जिले तथा पिपराइच शुगर फैक्टरी क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	५२१–५२२
गोसाईगंज बाजार, जिला सुल्तानपुर में कथित गल्ले की दूकान लूटे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२२
मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के जनसंघ कार्यकर्त्ताओं द्वारा साम्प्रदायिक पर्चा वितरित करने के संबंध में वक्तव्य	५२२–५२३
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	५२३
अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत) ..	५२३
अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (जारी) ..	५२३–५३८
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता की शास्ति (स्थगित)	५३८–५४१
१९६४–६४ के आय-व्ययक, में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (जारी) ..	५४१–५७२
नत्थियां	५७३–५८७

संसद सदस्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३२९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह त्रिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री

अवसर प्रदर्शन सभा

बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

बालकराम वैश्य, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखेसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

रोडवेज क्षेत्र, बरेली में असिस्टेंट ट्राफिक इन्स्पेक्टर

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उन व्यक्तियों को जिन्हें परिवहन विभाग के बरेली क्षेत्र में असिस्टेन्ट ट्राफिक इंस्पेक्टर के पद के लिये छांट लिया गया ह और जहां जगह कम होने के कारण उनकी नियुक्तियां होना संभव नहीं है, उनको दूसरे क्षेत्रों में जहां जगह हो नियुक्तियां दिलाने की कृपा करेगी और जब तक सभी चुने गये व्यक्तियों को जगह न दिला दी जावे इस चुनी गई लिस्ट को जारी रखेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

ऐसा करना संभव नहीं है।

चैती मुसहरी निवासी श्री सीताराम पाण्डेय को राजनीतिक पेन्शन

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि दो विधायकों एवं जिलाधीश के जेल यात्रा प्रमाण-पत्रों का पुष्टिकरण संबंधित कारागाराध्यक्षों से करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी नहीं। जेल के संबंधित अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण इन प्रमाण-पत्रों का पुष्टिकरण जेल से नहीं हो सका।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये दो विधायक कौन-कौन हैं जिन्होंने प्रमाण-पत्र दिया है और जिनको प्रमाण-पत्र दिया गया है वह किस सन् में जेलखाने में रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह प्रमाण-पत्र सन् ४२ की जेल यात्रा के संबंध में है और इसे श्री चन्द्रदेव तिवारी और राजदेव उपाध्याय ने दिया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं अपनी जानकारी से कहना चाहता हूं कि यह सज्जन जेल नहीं गये हैं और दोनों प्रमाण-पत्र और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र बिलकुल गलत है, इसकी जानकारी फिर से थाने के रजिस्टर से कराने की कृपा मंत्री जी करेंगे क्योंकि थाने में जो भी जेल जाता है, चाहे वह हम लोग हों, चाहे पेशेवर हों उनकी सजा का एक रजिस्टर रहता है, तो वहां से वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह सज्जन जेलखाने कभी नहीं गये हैं और सर्टिफिकेट जिलाधीश ने और इन दोनों सज्जनों ने गलत दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस संबंध में पोलिटिकल सफरर्स की एक फेहरिस्त बनाने की जब बात थी जब मैं जेल डिपार्टमेन्ट में था, तो कोशिश कई जगहों से की गई थी। थाने की बात तो मुझे आज आप बता रहे हैं। उस वक्त यह बात नहीं थी। अब आप कहते हैं तो थाने से भी मालूम कर लिया जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कौन सज्जन हैं जिनको यह सर्टिफिकेट दिया गया था, इनका नाम क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्री सीताराम पाण्डेय, पुत्र श्री राम खेलावन ।

बलिया जिले में परिवहन विभाग के अन्तर्गत निर्माण-कार्य

*३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय --

क्या परिवहन मंत्री दिनांक १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ एवं ६ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा किया गया अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

विभाग द्वारा ।

*४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या परिवहन मंत्री १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ५-६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण के पहिले एवं बाद के भूमि धरातल का निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा हुआ था और इस प्रकार गलत कार्य करने के कारण उसे कौन दण्ड दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

धरातल का निरीक्षण राजकीय रोडवेज गोरखपुर के सामान्य प्रबन्धक स्व० श्री कृष्ण-मूर्ति ने किया था ।

उनके देहान्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भवन बनने के पहले और बाद दोनों बार इस स्थान का निरीक्षण स्वर्गीय प्रबन्धक ने किया है या बनने के बाद दूसरे किसी ने किया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

प्रबन्धक महोदय ने ही यह जगह सजेस्ट की थी और उन्होंने ही यह साइट देखा था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मैंने यह पूछा था कि भवन बनने के पहले और उसके बाद दोनों बार उस स्थान का निरीक्षण इन्हीं एक ही व्यक्ति ने किया था या दूसरी बार दूसरे ने किया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

भवन बनने के बाद तो, जिस अधिकारी ने भवन की रचना करवायी है, उन्होंने भी देखा होगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, देखें सवाल में साफ लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष--

सवाल है क्या परिवहन मंत्री १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ५-६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण के पहले एवं बाद के भूमि धरातल का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा हुआ था और इस प्रकार गलत कार्य करने के कारण उसे कौन दण्ड दिया गया है ? तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन सज्जन ने भूमि धरातल की जांच की थी यह कह रहे हैं कि वह मर गये, तो मैं यह पूछ रहा हूं कि पहले और बाद दोनों मर्तबे इन्होंने ही जांच की थी या दूसरी बार दूसरे ने की थी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

बाद में, भवन बन जाने के बाद तो धरातल के निरीक्षण का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आप पहले के सवाल ५ और ६ को देखें लें । भवन बनने के पहले और बाद में न देखने का नतीजा ही यह हुआ कि . . . .

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कहते हैं कि उस भूमि का निरीक्षण भवन बनने के बाद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, यही तो झगड़ा था । वह भवन इतना नीचे था कि उसके ऊपर तक पानी चला गया और भवन टूट गया ।

श्री मुजफ्फर हसन--

भवन बनने के बाद तो सभी उसको महसूस कर सकते होंगे कि यह नीचा है । तब जिम्मेदारी बनने के पहले ही होती है । उसमें अगर कोई खास पहलू हो तो माननीय सदस्य मुझे बतलायें मैं उसको देख लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

भवन बनने के बाद अगर धरातल नीचा पाया गया तो उस अफसर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई जबकि भवन बरसात की वजह से ध्वस्त हो गया?

श्री मुजफ्फर हसन--

भवन बनने की जिसकी जिम्मेदारी थी और जिन्होंने जमीन की मंजूरी दी थी, वह मर गये । भवन बनने के बाद देखा, तो फिर क्या करेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

जिस समय इस जमीन को लिया जा रहा था उस समय भी लोगों ने शिकायत की थी तो उस शिकायत के बावजूद भी वह जमीन वहां ली गई, इसका क्या कारण है और मंत्री जी ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिस समय यह जमीन ली गई उस समय इसकी कोई शिकायत की गई थी इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कब यह भवन मुकम्मल हो गया और जिन अफसर ने इसका निरीक्षण किया वह कब मरे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना उनके पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि भवन बनने के कितने दिन बाद वह मरे ? मेरी जानकारी यह है कि अभी थोड़े दिन हुए वह मरे हैं और भवन बनने के बहुत दिनों के बाद मरे हैं । तो उनके मरने के पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वह कब मरे इसकी तिथि मेरे पास नहीं है । क्यों कार्यवाही नहीं की गई यह भी बतलाना कठिन है ।

तिलहर तहसील में सिंचाई कर की वसूली पर आपत्ति

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

२९ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बकाया रुपया किस-किस ग्राम पर कितना-कितना है और जब जमाबन्दियां दीमक के खाने से नष्ट हो गयीं, तो बकाया निकालने का आधार क्या है ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जो जमाबन्दियां नई बनकर आई हैं उनमें वसूली खातेवार रसीदों के मुसन्नों से दर्ज कराई जा रही है । जहां तक हर ग्राम के सही बकाया का प्रश्न है वह यह काम पूरा होने के बाद ही बताया जा सकता है ।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया वाले वर्ष की खतौनी व जमाबन्दियां खो जाने की कोई रिपोर्ट वर्ष के अन्त में सिंचाई विभाग को की गई ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं ।

जुलाई, सन् १९५७ में की गई और यह बताया गया कि ५७७ जमाबन्दियां तथा ५ वारन्ट आफ पेमेन्ट नहीं मिल रहे हैं ।

*७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दीमक केवल इन्हीं जमाबन्दियों में लगी या उनसे अन्य रिकार्ड भी नष्ट हुआ और जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जमाबन्दियां तथा वारन्ट आफ पेमेन्ट के अतिरिक्त और कोई रिकार्ड को दीमकों से क्षति नहीं पहुंची । जहां तक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है माननीय सदस्य कृपया ४–२–६४ को दिये गये प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखने का कष्ट करें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि नई जमाबन्दियां किस रिकार्ड को देखकर बनाई गईं और अलग-अलग बाकी वासिल नवीस से पूछ कर ब्यौरा देने में उनको क्या एतराज है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा कि पहले मैंने उत्तर में कहा था कि रिसीट के काउन्टर फाइल से देखकर तैयार कर रहे हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी वासिल नवीस, जो क्लर्क हैं, उनके पास जितना रुपया आता है उसको जमा करके वह बाकी निकालते हैं । तो बाकी वासिल नवीस के रजिस्टर से मालूम करने में इतनी देर लगने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बड़ा भारी काम है और मैंने जैसा कहा, हमने बोर्ड आफ रेवेन्यू को लिखा था कि कुछ एक्सट्रा स्टाफ दें इस काम के लिये । कई दफा लिखने के बाद उन्होंने एक महीने के लिये चार क्लर्क्स दिये जो केवल ४० जमाबंदी बना पाये । तो उसमें बड़ी दिक्कत है इसलिये यह तरीका अपनाया गया और जैसा मैंने उत्तर में कहा पहले इसमें कोई असुविधा की बात नहीं है । अगर कोई कहता है कि हमने पेमेंट कर दिया है तो उसके कहने पर ही हम जांच करा लेते हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां तीन लाख का गबन अमीनों द्वारा किया गया है और उसे छिपाने के लिये ही यह रेकार्ड बरबाद किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो नहर विभाग का काम नहीं है । हमको तो केवल यह सूचना मिली है वहां के तहसीलदार की रिपोर्ट से कि जमाबंदियां दीमक ने खा ली हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इन जमाबंदियों की तीन कापियां बनायी जाती हैं और आज यह भी शिकायत है कि जमाबंदियां फर्जी और गलत बनायी जाती हैं, तो मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि वे दूसरी कापियों से उनको ठीक करा लें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इससे तो इस सवाल से कोई मतलब नहीं । वह जमाबंदियां तो तहसील में ही दीमक ने खायी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब है कि जब ३ कापियां बनायी जाती हैं तो क्या सारा रेकार्ड दीमक ने खा लिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

३ कापियों की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

जो रेकार्ड गायब हुआ है उसके लिये जांच कराने तथा उसे ठीक कराने की क्या सरकार कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रेकार्ड तो दीमक खा गयी और उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है । गायब होने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

१९५६ में इनको दीमक ने खाया तो १९५७ में इसकी रिपोर्ट किस अधिकारी ने किस अधिकारी को की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तहसीलदार ने एस० डी० ओ० को रिपोर्ट की ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उस पर हाकिम परगना ने १९५९ में जांच की । इस देरी का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दीमकों ने इन जमाबंदियों के अलावा और किन किन कागजों को नुकसान पहुंचाया ?

श्री अध्यक्ष—

यह जवाब में लिखा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आज जो जमाबंदियां बनी हुई हैं जिनसे वसूलयाबी की जाती है उनके बनने के खिलाफ बड़ी शिकायतें होती हैं कि जिसके ऊपर बकाया नहीं है उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनको दुरुस्त कराने की कृपा करेंगे, जांच कराकर ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इस प्रश्न को एग्जामिन करा कर देख लिया जायगा । अगर सचमुच ऐसी खामी है तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी सूचना को सही मान कर कि जो अमीन थे सोजनल वह वहीं के अधिकारियों के खास रिश्तेदार थे और वे ही यह सारा रुपया खा गये, जमाबंदियां तो हर हकूते जमा हो जाती थीं, तो मंत्री महोदय फिर से जांच करायेंगे और इस मामले को पुलिस में देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक तो गबन मालूम नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—

उनकी सूचना है कि जो अमीन हैं उन्होंने गबन किया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, उन्होंने ४–२–६४ के एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि तहसील के संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही से जमाबंदियां दीमक के खा जाने से नष्ट हो गयीं । इस मामले की जांच १९५९ और फिर १९६१ में हाकिम परगना द्वारा कराई गयी । चूंकि वह कर्मचारी जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई अस्थायी थे और अब काम नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती । इससे पहले जो मेरा प्रश्न था २९ अक्तूबर वाला उसके उत्तर में कहा गया है कि "संबंधित कर्मचारी की लापरवाही से जमाबंदियां दीमक के खा जाने से नष्ट हो गयीं" । तो इसमें एक स्पेसिफिक अफसर के संबंध में कहा गया है और दूसरे जवाब में बहुत से कर्मचारी

शामिल कर दिये। फिर जमाबंदियां तो रिकार्ड रूम में रहती हैं और उनका हफ्तेवारी निरीक्षण होता है। तो स्थायी कर्मचारी जैसे वासिल नवीस या रेकार्ड कीपर या नायब तहसीलदार कैनाल हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व न सौंपने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो तहसील का मामला है। जो सवाल का उत्तर मेरे पास आया उसके अनुसार जिनकी जिम्मेदारी थी वे रिटायर हो गये, लेकिन अगर आपको शिकायत है कि जिम्मेदारी किसी और की थी तो मैं इसकी और जांच करा लूंगा, कोई हमको छिपाने की जरूरत नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले की इलाहाबाद शाखा में साइफन की आवश्यकता

*८--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के ग्राम मझपुरवा के पास से निकलने वाली नहर इलाहाबाद शाखा में साइफन बनाने के लिये मौजा तरिया, गुलरियापुर के काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सन् १९६१-६२ तथा सन् १९६२-६३ के सितम्बर मास में मिले हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रश्न में उल्लिखित मास में प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ प्रतीत होता है।

रोडवेज क्षेत्र, लखनऊ में क्लर्कों की परीक्षा

*९--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान प्रबंधक रोडवेज (राजकीय), लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय में जो मई या जून, सन् ६३ में क्लर्कों की लिखित परीक्षा हुई थी, उनका परीक्षाफल अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--

क्योंकि सकल अभ्यर्थियों का लोकल सेलेक्शन कमेटी के सामने साक्षात्कार जल्दी न हो सका।

*१०--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त परीक्षा के बाद अब तक कितनी जे० सी० एण्ड बी० सी० की नियुक्ति हुई है और उन नियुक्त किये गये क्लर्कों में से क्या कुछ ऐसे भी हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे थे ? यदि हां, तो कितने ?

श्री मुजफ्फर हसन--

उक्त परीक्षा के बाद अब तक ८७ जूनियर बुकिंग क्लर्कों की नियुक्ति की गई थी, इनमें से १३ परीक्षा में नहीं बैठे थे।

झांसी जिले में बस सर्विस

*११--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या परिवन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट रोडवेज की बसें झांसी जिले में क्यों नहीं चलाई जातीं ? क्या जिला झांसी में भी सरकारी बसें चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

कुछ प्रशासनिक तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण।

केवल ओरई, झांसी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रथम नोटिफिकेशन दिनांक २५-१-६४ को गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा चुका है। इस योजना के कानूनी तौर से स्वीकार होने तथा इसके कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा, यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ ऐसे प्रभावी व्यक्ति हैं जो अपनी प्राइवेट बसेज चलाते हैं, उनके जोर से झांसी में सरकारी बसेज नहीं चल पा रही हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण रुकी हुई हों।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह देखते हुए कि इस वर्ष रोडवेज को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है इस आर्थिक चिन्ता से मुक्त होकर वहां शीघ्र ही गवर्नमेंट बस सर्विस चालू करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

हम तो जल्दी चाहते हैं, मगर जितनी हमारी क्षमता होती है उसी के अनुसार हम काम करते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

चूंकि रोडवेज वहां पर चलाई जाने की योजना विचाराधीन है, अतः जब भी वह योजना चालू की जायेगी तो क्या सरकार इन प्राइवेट बसेज में काम करने वाले ड्राइवर्स और क्लीनर्स को नौकरी में स्थान देगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह तो जब वैसी स्थिति आयेगी तब विचार किया जायेगा।

गाजीपुर जिले में रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता

*१२--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जन-पद के राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करने का भत्ता जून, सन् १९६३ से अब तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां, इसके कारण निम्नलिखित हैं :

(१) जून, १९६३ से अक्तूबर, ६३ तक के भत्ते के क्लेमों में त्रुटियां होने के कारण सहायक प्रधान प्रबन्धक, आजमगढ़ तथा स्टेशनाध्यक्ष, गाजीपुर के कार्यालय में पत्र-व्यवहार होता रहा। त्रुटियां ठीक होने पर बिलों को २१-२-६४ को ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(२) नवम्बर मास के भत्ते के भुगतान के लिये बैंक ड्राफ्ट आजमगढ़ से गाजीपुर को १८-२-६४ को भेज दिया गया है।

(३) दिसम्बर, १९६३ और जनवरी, १९६४ के भत्ते का क्लेम सहायक प्रधान प्रबन्धक, आजमगढ़ के कार्यालय में २२-२-६४ को प्राप्त हुआ है।

श्री रघुवीर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भत्ता देरी से मिलने में जो त्रुटियां दिखायी गयी हैं उनमें कौन-कौन-सी ऐसी हैं जिनके कारण इतना विलम्ब हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

त्रुटियों की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन बिल वगैरह में जो अकसर गलतियां हो जाती हैं वही होंगी ।

श्री होरीलाल यादव--

जो भत्ते के बिल होते हैं वह बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं और उनमें एक-एक करके गलतियां बतायी जाती हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो भी गलतियां हुआ करें उनको एक साथ बता दिया जाय जिससे पेमेंट जल्दी हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह बात सही है कि पेमेंट जल्दी होना चाहिये । लेकिन फाइनेन्शियल मामलों में इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है । अब एक गलती एक की समझ में आयी, बाद को जब वह दूसरी जगह गया, दूसरे ने किसी गलती को डिटेक्ट किया, इसमें देर हो जाती है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

इस सरकार के ऐसे आदेश हैं कि भत्ते के बिल दूसरे महीने बनाकर भेज दिये जाया करें, लेकिन उन आदेशों का सख्ती से पालन नहीं होता जिसके कारण इतना विलम्ब होता है । तो क्या सरकार इसके लिये कोई कार्यवाही करेगी जिससे कि आदेशों का सख्ती से पालन हो ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अगर कहीं अकारण विलम्ब होता होगा तो उसको देखा जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि बिल कार्यालय में पड़े हुये थे, और जब सवाल किया गया तब जल्दी से भुगतान किया गया, अगर सवाल न होता तो वह बिल पड़े रहते ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

माननीय सदस्य अगर यह चैलेन्ज करते हैं कि डेलीब्रेटली देरी की गयी है तो वे लिख कर दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

जिन अधिकारियों की गलती की वजह से इसमें देरी हुई है, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कार्यवाही करने की अगर कोई गुंजायश होगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

यूसुफपुर-कासिमाबाद बस सर्विस

*१३--श्री रघुवीर--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूसुफपुर से कासिमाबाद के लिये ढाई बजे दिन के पश्चात् कोई राजकीय बस नहीं चलाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४—श्री रघुवीर—

क्या उक्त रोड पर ढाई बजे के पश्चात् भी बस चलाने की मांग नागरिकों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो वह क्यों चलाई नहीं गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप महीने भर में भी नहीं पूछ पाये । यह बिलकुल गलत है । इसमें जरा ध्यान देने की जरूरत है ।

श्री हार्न, श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव व श्री ई० एन० दानियाल को बस सर्विस परमिट

*१५—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी० ओ० हार्न और महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के नाम अलग-अलग रीजन में कितने परमिट दिये गये हैं ? और क्या उन परमिटों पर अलग-अलग पते लिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री हार्न को एक परमिट पहले आगरा रीजन में दिया गया था जो सम्बन्धित मार्ग के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण कैन्सिल हो गया । बाद में मेरठ रीजन में एक परमिट दिया गया जो दूसरे पते पर है । श्री हार्न ने मेरठ रीजन के परमिट के लिये अपना दूसरा पता सूचित किया था ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव को केवल एक परमिट मेरठ रीजन में दिया गया है । इसमें अलग पते का सवाल ही नहीं है ।

*१६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि देहली-सहारनपुर रूट पर श्री बी० ओ० हार्न और महावीर प्रसाद श्रीवास्तव को टेम्पोरेरी परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनको कैन्सिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि मेरठ, बुलन्दशहर रूट पर श्री ई०एन० दानियाल के नाम से कोई परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो यह व्यक्ति कहां के रहने वाले हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । आवेदन-पत्र में दी हुई सूचना के अनुसार यह मेरठ सिटी के रहने वाले हैं ।

*१८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[हटा दिया गया।]

गढ़िया–मूढ़ा मार्ग

*१९—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नहर शाखा (नारोरा डिवीजन) के मी० ३० फ० ४–५ की दक्षिणी दिशा में ग्राम गढ़िया से ग्राम मूढ़ा तक बैलगाड़ी का रास्ता है तथा ग्राम मूढ़ा से ग्राम नगला डडालू के लिये भी बैलगाड़ी का रास्ता है जिसके कारण मूढ़ा रजबहा पर नगला डडालू के पास चौड़ा पुल विभाग द्वारा बनाया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां।

*२०—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़िया से मूढ़ा को जाने वाले मार्ग को नहर विभाग द्वारा मिट्टी उठाकर समाप्त कर दिया गया है ? जिससे कि यहां के निवासियों को अत्यन्त असुविधा हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं होली पर देख कर आया हूं। मन्त्री जी की सूचना बिलकुल गलत है। इस प्रश्न को स्थगित करके दोबारा जांच करावेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मिट्ठूप्रसाद, कण्डक्टर की मृत्यु

*२१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिट्ठू प्रसाद, कन्डक्टर, ग्राम बढ़या, पोस्ट कोपिया, जिला बस्ती निवासी की मृत्यु दिसम्बर, १९६२ में एक बस दुर्घटना में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२२—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि उसके घर वालों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक प्रार्थना-पत्र उचित मुआविजे के लिए दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सन् ६२ में मृत्यु हुई, २ साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक मर्तबा उनसे कह दिया गया है। वह खयाल रखेंगे।

*२३—श्री मंगलदेव—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नौगढ़ तहसील में सिंचाई कर

*२४—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील नौगढ़ के बर्डपुर, अलीदापुर एवं दुल्हा इलाकों में सिंचाई विभाग द्वारा इर्रीगेशन-ड्यूज (सिंचाई-कर) नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। इस क्षेत्र में अब तक सिंचाई कर नहीं लगाया गया था क्योंकि यहां भूतपूर्व जमींदारी साधनों से सिंचाई होती रही है और जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त सरकार द्वारा ली गई जमींदारी नहरों इत्यादि पर सिंचाई कर लगाने का मामला विचाराधीन था।

*२५—श्रीमती गेंदादेवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उपरोक्त इलाकों में भी इर्रिगेशन ड्यूज की वसूली करने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। इस क्षेत्र में रबी १९६३–६४ से सिंचाई दर लगाने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं। यह दर सिंचाई कर सूची –१ (Schedule-I) में दिये हुए दर का १/५ भाग होंगे।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७३ पर)

बदायूं बिजली कम्पनी की दर तथा लाइनमैन की मृत्यु

*२६—श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने मजदूर सन् १९५२ से लेकर अब तक काम करते हुए किशोर एलेक्ट्रिक हाउस, बदायूं में मरे और उनको कितनी सहायता दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९५२ से लेकर अब तक (२०–२–१९६४ तक) एक सहायक लाइनमैन की मृत्यु काम करते हुए हुई। उसके परिवार को तीन हजार पांच सौ रुपया मुआवजा मिला।

*२७—श्री कैलाश (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त पावर हाउस की निर्धारित दरें क्या हैं और वह अन्य पावर हाउसों की दरों से कितना कम या अधिक है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बदायूं बिजली कम्पनी की दरों की सूची संलग्न है। अन्य कम्पनियों की भिन्न दरें हैं। कहीं पर वह बदायूं से अधिक हैं कहीं कम हैं।

*२८—श्री कैलाश (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जब दूसरी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो इस बदायूं बिजली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं सरकार करती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लाइसेंस खत्म होने पर या काम ठीक न होने की शिकायत होने पर राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या यह सही है कि इस कम्पनी को दोबारा एक्सटेंशन मिला है और कुछ कम्पनीज से कम और कुछ से ज्यादा रेट यह लेती है ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रेट के मुताबिक यह कम्पनी रेट चार्ज करती है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या उसके रेट पर इस कम्पनी को लाने की कोशिश करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दोनों चीजें ठीक नहीं हैं। इसे सबसे पहले लाइसेंस १९२९ में ५० वर्ष के लिये मिला था। १९७९ में वह समाप्त होगा, इसलिये एक्सटेंशन का सवाल पैदा नहीं होता।

रेट का नियम यह है कि हम आडिट करते हैं और ६ फीसदी से ये अधिक नहीं ले सकते। अगर ज्यादा लें तो हम कन्ज्यूमर को वापिस करा देते हैं और अगर कम लें और ज्यादा लेना चाहें तो हम उन्हें उसका अधिकार दे देते हैं। पिछले १ या २ साल का गौरतलब है कि कैसे कन्ज्यूमर को वापस किया जाय। अगर आप चाहें तो मैं हर साल की डिटेल दे दूंगा।

श्री लखीसिंह—

मेरे जिले में मथुरा से कोसी में दुगुना रेट ले रही है, तो क्या वह कानून के खिलाफ नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि कम्पनीज ६ परसेंट से अधिक मुनाफा न लें, ज्यादा को ये वापस करा देते हैं और कम की पूर्ति करा देते हैं। हो सकता है कि कहीं लागत ज्यादा हो, तो वहां रेट ज्यादा होगा ही।

श्री कल्पनार्थसिंह—

एक यूनीफार्म रेट तय करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ऐक्ट सेंट्रल गवर्नमेन्ट का है। उसके अनुसार कम्पनी वाले हमसे मांग करते हैं कि रेट बढ़ा दिया जाय।

गाजीपुर जिले में बिजली

*२९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने कस्बों में अब तक बिजली लग चुकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७४ पर)

*३०—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगीपुर, चुलरपुर, जलालाबाद कस्बों में अब तक बिजली क्यों नहीं लगी जब कि यह कस्बे ५ हजार के लगभग की आबादी के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जंगीपुर व जलालाबाद कस्बों को १९६४–६५ में विद्युतीकरण करने के लिये चुन लिया गया है ।

चुलरपुर कस्बे का विद्युतीकरण उपयुक्त नहीं पाया गया है क्योंकि इसके विद्युतीकरण के लिये ३.१/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन का निर्माण करना पड़ेगा जबकि इसकी जन-संख्या ९५८ है ।

श्री झिलमिटराम—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जंगीपुर जलालाबाद कस्बों को जब ६४–६५ में विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है और १६ स्थानों पर जब विद्युतीकरण समाप्त हो गया है तो इन दोनों में भी ६३–६४ में क्यों नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सामान की दिक्कत है । इनको इस साल देने की बात है ।

श्री रघुवीर—

जहां बिजली लगी है क्या वहां के नागरिकों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है कि आधे हिस्सों में ही बिजली लगी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहले कुछ हिस्से में बिजली देकर बाद में उसे बढ़ा देते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गाजीपुर जिले में बहुत से गांवों और कस्बों की जन-संख्या १८ से २० हजार तक है तथा रिहन्द क्षेत्र में पड़ने के कारण बिजली की लाइन सब तहसीलों में जा चुकी है ? तो क्या माननीय मंत्री जी यह आज्ञा देंगे कि जिन गांवों की जन-संख्या ५ से १० हजार तक है उनमें तुरन्त विद्युतीकरण कर दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गाजीपुर जिले में तो बहुत बड़ी संख्या में हम बिजली दे रहे हैं । सर्वे करायी जा रही है । अगर आप उन गांवों की सूची मेरे पास आकर देखेंगे तो तबियत खुश हो जायगी ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन कस्बों में बिजली दी गयी है उनमें जितने खंभों की सर्वे की गयी थी, उतने खंभों पर बिजली क्यों नहीं दी गयी ? अगर २० खंभे थे तो १० ही क्यों लगाये गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली लगना शुरू हो गया है । अगर लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो और ज्यादा बढ़ा दी जायगी ।

श्री छांगुर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसी कस्बे में बिजली देने के लिये क्या आधार उन्होंने रखा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक हजार की जन-संख्या के लिये डेढ़ मील की लाइन हम डाल देते हैं जिस पर २१ हजार रुपया खर्च होता है। चूलरपुर की जन-संख्या ९५८ है और साढ़े तीन मील लाइन डालनी पड़ती है। इसलिये उसको इस वक्त नहीं लिया गया है। आगे ले सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन दो बड़े गांवों के बीच में कोई एक छोटा गांव पड़ता है जिसके गांव वाले बिजली चाहते हैं कि वहां पर बिजली लगाने के आदेश देने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रकार के आदेश तो हैं ही।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बिजली लग जाने के बाद हरदोई का नम्बर भी आ जायगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

हाकिम परगना, भोगांव द्वारा निर्णीत मुकदमे

*३१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के हाकिम परगना के यहां बहुत से फौजदारी के मुकदमों में छः मास से अधिक हुये बहस हो चुकी थी पर उनके फैसले नहीं सुनाये गये थे और उनमें इस वक्त (जनवरी, १९६३) पिछली तारीखें डाल-डाल कर फैसले दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इन मुकद्दमों की तादाद क्या है और ये मुकदमें कब से विचाराधीन थे ?

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं, इस इजलास में ऐसा कोई मुकदमा फौजदारी का नहीं है जिस में छः मास के अधिक बहस हुए हो गये हों और उसका फैसला न हुआ हो। ऐसा भी कोई मुकदमा नहीं है जिसमें पिछली तारीखें डाल-डाल कर फैसला दिया गया हो।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी के पास भोगांव के निवासियों की ऐसी दरख्वास्त आयी है कि भोगांव का नाम बदल कर भीम गांव कर दिया जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*३२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

२४ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ राजनैतिक पीड़ितों को जिलाधीश से राय लेकर पेंशनें दीं और दो को बिला जिलाधीश की राय लिये ही अपनी पेंशनें दे दीं ? इसके कौन-कौन से कारण थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

साधारणतः जिलाधीश से पेंशन के प्रार्थना-पत्रों पर रिपोर्ट मंगा कर ही निर्णय लिया जाता है क्योंकि पेंशन स्वीकार करने के पहले प्रार्थी की आयु, जेल यात्रा इत्यादि के विषय में जानकारी करना आवश्यक होता है। जिन १२ मामलों में पेंशन जिलाधीश की राय से दी गई उनमें इन

सब बातों की सूचना आवश्यक थी और इसीलिये उनके विषय में जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई गई। शेष दो मामले जिनमें जिलाधीश से रिपोर्ट नहीं मंगाई गई, के विषय में आवश्यक सूचना प्रमाण-पत्रों के साथ सरकार को प्रार्थियों से प्राप्त हो गई थी।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में प्रार्थना-पत्र के साथ जेल का सर्टीफिकेट लगा दिया जाता था तथा गरीबी और उम्र के बारे में दो विधायकों की तस्दीक हो जाती थी और पेंशन दे दी जाती थी। लेकिन अब जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी जाती है जिसके मानी लेखपाल की रिपोर्ट होती है जिसमें बहुत देर लग जाती है। तो क्या मंत्री जी पुराना कायदा फिर से चालू करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जहां शंका होती है वहीं ऐसा किया जाता है।

बस सर्विस समझौता

*३३--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि उत्तर प्रदेश के स्टेशनों से मध्य प्रदेश के स्टेशनों तक तथा मध्य प्रदेश के स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के बस स्टेशनों तक सरकारी बसें डाइरेक्ट आया जाया करेंगी तथा इन बसों में कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की तथा कुछ मध्य प्रदेश सरकार की होंगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४--श्री गयाप्रसाद--

यदि हां, तो क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की बसें उक्त मार्गों पर क्यों नहीं चलायी गयीं और उन मार्गों पर चलने के लिये प्राईवेट बसों को परमिट क्यों दिये गये ? क्या यह सही है कि प्राइवेट बस चलाने का परमिट पाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३५--श्री गयाप्रसाद--

प्राइवेट बस ओनर्स में से जिन लोगों ने परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे उन में से केवल एक महिला को ही परमिट देने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गयाप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना एकत्रित की जा रही है, अगर आप इजाजत दें तो आधे घंटे में वह सूचना मैं ला सकता हूं। डेढ़ महीने से मैंने यह प्रश्न दिया है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास तथा आपके दफ्तर में सूचना मौजूद है और आधे घंटे के अन्दर वह सूचना आ सकती है। जानबूझ कर इसको छिपाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । इसका उत्तर आगामी सप्ताह में दिया जायगा, जो भी सूचना एकत्रित हो ।

श्री अहमद बख्श—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये ही सवाल किया जाता है लेकिन जब उसका कोई जवाब नहीं मिलता तो सवाल करने का कोई मतलब नहीं होता । तो आप इस तरह का आदेश दें कि जिस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से इस तरह से दिया जाय कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है, आइंदा उसका जवाब आने पर माननीय मंत्री उसे सदन की मेज पर रख दिया करें ताकि सदन को इसकी सूचना हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपका कोई सवाल है और मैं अपने कमरे में ही उस पर हुक्म दे दूं कि अभी इसके लिये समय दिया जाय तो उसके दो नतीजे हो सकते हैं जिसमें असंतोष होगा । एक तो यह कि माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारा सवाल अभी तक एजंडे पर क्यों नहीं आया ? तो उसकी जवाबदेही हमारे ऊपर है । दूसरी बात यह कि शायद सदन में आने के बाद सरकार इस बात को अनुभव करेगी कि बहुत ही गंभीर और मजबूत उसके पास कारण होने चाहिये कि वह क्यों सूचना एकत्रित नहीं कर पायी । आप यह ख्याल कीजिये—मैं कोई मिसाल नहीं देता हूं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इंगलैंड की पार्लियामेंट में सिर्फ २–३ दिन के नोटिस पर जवाब आ जाता है और हमारे यहां इसके लिये २० दिन रखा गया है । इसलिये मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं । मैं चाहूंगा कि जब तक काफी वजह न हो । प्रश्नों के उत्तर शीघ्र आने चाहिये, ऐसा मेरा इस वक्त मत है ।

*३६—श्री झिलमिटराम—

[५ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में कण्डक्टरों की पदोन्नति

*३७—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री होरीलाल यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज रीजन, कानपुर में कौन-कौन कंडक्टर ए० आई० टी० के पद पर सन् १९६३ में पदोन्नत किये गये, उनमें से किन-किन को सीनियारिटी के आधार पर न होने के कारण रिवर्ट किया गया और रिवर्ट किये गये कंडक्टरों की जगह पर पुनः कौन-कौन कंडक्टर को पदोन्नति ए० टी० आई० पद पर किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७५ पर)

*३८—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री होरीलाल यादव—

क्या यह सत्य है कि रिवर्ट किये गये कंडक्टर अब भी ए० टी० आई० के पद पर काम कर रहे हैं और पदोन्नत किये गये कंडक्टरों को स्थान नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में बताई स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन १२ कंडक्टरों की ए० टी० आई० के पद पर पदोन्नति की गयी है, वे ए० टी० आई० के पद पर काम कर रहे हैं या अभी कंडक्टर के पद पर ही काम कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार वे अभी जूनियर क्लर्क ही हैं और अभी ए० टी० आई० के पद पर उनकी पदोन्नति नहीं हुई है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब इन कंडक्टरों की पदोन्नति ए० टी० आई० के पद पर नहीं हुई है तो ए० टी० आई० के पद के लिये कंपटीशन क्यों कराया गया और उनका चुनाव क्यों कराया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कानपुर रीजन से संबंधित है और जहां तक माननीय सदस्य ने उनकी परीक्षा का सवाल उठाया है, वह दूसरे रीजन से संबंधित है ।

बहेड़ी तहसील का नाला

*३९--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में एक नाला जो कि महोलिया, मनकरा, फरदिया उत्तरसिया, मुड़यां आदि ग्रामों में गुजरता है वह वर्षा ऋतु में इन ग्रामों की फसलों को डुबोकर बहुत हद तक नष्ट कर देता है ? क्या सरकार इसको शीघ्र से शीघ्र गहरा करवाने पर ध्यान देगी ताकि बरसाती पानी का निकास हो सके ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी नहीं, इस प्राकृतिक नाले से फसलों को हानि नहीं पहुंचती है ।

दूसरा भाग--इसको गहरा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*४०--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाले को गहरा करवाने पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, जबकि उस इलाके के किसानों को हर वर्ष फसलों को बरबादी से अधिक हानि पहुंचती है ?

श्री गिरधारीलाल--

यह प्रश्न नहीं उठता ।

*४१-४३--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

[११ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ७५-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फर्रुखाबाद-कानपुर सड़क पर बस दुर्घटना

*४४--श्री होरीलाल यादव--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन् १९६४ तथा १५ जनवरी, सन् १९६४ के बीच जी० टी० रोड पर फर्रुखाबाद से कानपुर के बीच कोई रोडवेज बस दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो उसमें कितनी मौतें हुयीं तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१४ जनवरी, १९६४ को एक बस दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। चालक मुअत्तल है और यह मामला पुलिस ने न्यायालय में भेज दिया है। अत अग्रिम विभागीय कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही की जा सकेगी।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे यह दुर्घटना हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह १४ तारीख को करीब ढाई बजे रोडवेज बस नम्बर १७२७ का मैनपुरी, कानपुर रोड पर, कानपुर से १६ मील पर यह दुर्घटना हुई, बस किसी इक्के से टकराई बताई जाती है, अभी पूरा विवरण उसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि शराब तो नहीं पिये थे या वैसे ही एक्सीडेन्ट हुआ ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सूचना नहीं है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वह गाड़ी चलाने का हकदार नहीं था और जो हकदार था वह नहीं चला रहा था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मामला अदालत में है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल केवल यह है कि जो गाड़ी का इन्चार्ज ड्राइवर था वह चला रहा था या कोई और ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या यह सच है कि जब वह ड्राइवर बस को रोकने की कोशिश में था तब भी वह २–३ इक्कों पर चढ़ गई ? क्या मेकेनिक की ऐसी रिपोर्ट है कि उसके ब्रेक्स भी उस समय फेल थे और वह इक्कों पर चढ़ गई ? वह श्रीमन्, ५० गज तक आगे चली गई।

श्री अध्यक्ष—

जहां पर इक्के से एक्सीडेंट हुआ वहीं पर बस रुक गई या वह ५० गज दूर तक आगे बढ़ गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुये सरकार इसकी जांच करायेगी कि वस्तुस्थिति क्या थी और दुर्घटना के लिय कौन जिम्मेदार था ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी जांच हो रही है, मामला अदालत में है ।

नैपाल बांध

*४५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, १९६३ में नैपाल बांध के निर्माण के संबंध में जो स्वीकृति नैपाल सरकार से मिलने वाली थी क्या वह मिली ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा और वह बांध कब बंध कर तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--

बाँध के निर्माण के संबंध में तो स्वीकृति मिल चुकी है । किन्तु बांध के निर्माण के लिये नैपाल राज्य से अभी तक भूमि नहीं प्राप्त हो सकी है । नैपाल राज्य से भूमि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

*४६-४७--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

टुंडला चौराहे पर बस दुर्घटना

*४८--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० नवम्बर, १९६३ को टुन्डला चौराहे पर रोडवेज की बस पिकनिक को जाने वाले रेलवे कालेज के स्काउटों पर जा चढ़ी थी जिसके कारण २ स्काउटों की मृत्यु हो गई और अन्य कई अध्यापक स्काउट घायल हो गये ? यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या थे और इस दुर्घटना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां । यह मामला पुलिस की जांच के उपरान्त न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के अन्तिम निर्णय हो जाने तक दुर्घटना के कारणों के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है । वैभागिक कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही की जा सकेगी ।

गोरखपुर एस० ई० सर्किल में डीजल इंजन

*४९--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें अप्रैल-मई, १९६३ में सिंचाई की सुविधा बाढ़ क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये ट्यूबवेल के डीजल इंजन के उपयोग के लिये लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर अब तक की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*५०--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और यह योजना लागू करने में उसे क्या दिक्कत है ?

*५१--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर एस० ई० सर्किल में कुल कितने डीजल इंजन १९५४ से अब तक खरीदे गये हैं और वे अब कहां रखे गये हैं और उनसे क्या काम लिया जा रहा है ? यदि काम नहीं लिया जा रहा है, तो क्यों और उससे सरकार को कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं कर दूं कि कल रात को डेढ़ बजे तक सारे अफसर बैठे रहे और बहुत प्रयत्न किया गया कि सूचना आ जाय लेकिन वह नहीं आ सकी है ।

*५२—श्री होरी लाल यादव—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

रोडवेज व्यवस्था

*५३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या यातायात मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में रोडवेज की व्यवस्था सरकार एक के जिम्मे सौंपने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या होगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अभी ऐसी कोई योजना नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि रोडवेज में काफी मुनाफा हो रहा है और जिस तरह से कि बिजली का वितरण बिजली का बोर्ड करता है उसी तरह से क्या रोडवेज के लिये भी कोई कार्मशियल बोर्ड बनाया जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कमिटमेंट नहीं किया जा सकता, वह डिसकस कर सकते हैं ।

गाजीपुर जिले में रोडवेज ड्राइवरों को वर्दी

*५४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या यातायात मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज के क्लीनर्स व ड्राइवर्स को जाड़े में गरम वर्दी देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो गाजीपुर के कर्मचारियों को यह वर्दी इस वर्ष दी गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

केवल ड्राइवरों को गरम वर्दी (केवल जर्सी) देने के व्यवस्था है। गाजीपुर के ड्राइवरों को इस वर्ष वर्दियां (जर्सी) दे दी गई हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गाजीपुर के रोडवेज के कर्मचारियों को इस वर्ष न भत्ता दिया गया और न वर्दी ही दी गई और जब यह प्रश्न पूछे गये तो जल्दी से उनका वितरण किया गया है, तो क्या ऐसी अवस्था में मंत्री जी इस विलम्ब की जांच करायेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मालूम करा लेंगे।

विद्युत दर

*५५—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिल्ली में हुए विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चित हुआ है कि सारे देश में एक ही विद्युत् दर से विद्युत् दी जाय ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के अन्दर भी सारे प्रदेश में एक विद्युत् दर लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सिंचाई मंत्री कहा जिससे मैं भ्रम में पड़ गया जब कि वह प्रश्न विद्युत् मंत्री से संबंधित था।

श्री अध्यक्ष—

आपने जब जवाब नहीं देखा तो क्या पूंछते ?

सिंचाई विभाग, वाराणसी में ड्राइवर

*५६—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग, वाराणसी रीजन में कितने ड्राइवर हैं और क्या उनको स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सिंचाई विभाग, वाराणसी रीजन में इस समय कुल ३५ ड्राइवर कार्य कर रहे हैं जिनको अभी स्थायी नहीं किया गया है। इस रीजन में किसी भी ड्राइवर की नियुक्ति स्थायी तौर पर नहीं हुई है। इनमें से कुछ के स्थायीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३५ ड्राइवरों की नियुक्ति किस सन् में की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब इनकी स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं हुई और १०-१२ साल से काम कर रहे हैं तो सब को स्थायी करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो स्थान हैं वह अस्थायी हैं, जिन पर स्थायी ड्राइवर नियुक्त नहीं किये जा सकते। हम स्थानों को स्थायी करने पर विचार कर रहे हैं पहले।

श्री ऊदल—

जब यह सारे पद स्थायी हैं, तो इन ड्राइवरों को अब तक अस्थायी क्यों रखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि अगर कोई स्थान अस्थायी हो, तो उस पर स्थायी आदमी कैसे रखे जा सकते हैं।

श्री ऊदल—

जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, अगर स्थायी जगहें हैं तो मंत्री जी पुनः जांच करेंगे कि जितनी जगहें हैं उन पर ड्राइवर्स को स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितनी जगहें हैं वे अस्थायी हैं लेकिन हम उनको स्थायी करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर सीनियर आदमी स्थायी किये जायंगे ।

*५७–५८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिया गया ।]

*६०–६२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिले में बिजली

*६३—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण के लिये चुने गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले की सूची में दी गई १५ जगहों का विद्युतीकरण होना है जिसमें से अब तक पहली दस जगहों में बिजली दी जा चुकी है । बाकी पर कार्य हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मंत्री जी बतायेंगे कि अभी जो ५ गांव बाकी हैं इनका विद्युतीकरण क्या इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो होना ही है । इससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री बलवानसिंह—

सरकार बतायेगी कि जो बिजली दे रहे हैं वह किस रेट पर दी जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रेट्स तो बोर्ड के तय हैं ।

*६४–६५—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६–६८—श्री तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

ए० टी० आईज० की सीनियारिटी

*६९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में जिस तरह टैक्स सुपरिन्टेंडेंट व सीनियर स्टेशन इन्चार्ज की सीनियारिटी ठीक कर दी गयी है उसी जगह की तरह जूनियर स्टेशन इन्चार्ज तथा ए० टी० आई० का अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या इसे सरकार ठीक करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जूनियर स्टेशन इन्चार्ज की सीनियारिटी तो १९६२ तक की ठीक कर दी है परन्तु ए० टी० आई० की कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण अब तक न की जा सकी। ए० टी० आईज० की सीनियारिटी सूची तैयार की जा रही है और इन लोगों की सीनियारिटी भी शीघ्रता के साथ ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो ए० टी० आईज० हैं वे क्या दूसरे विभागों से आये हुए हैं। उनकी सिनियारिटी जो ठीक नहीं की गयी है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ए० टी० आईज० की सिनियारिटी सन् १९५५ तक तो ठीक है। सन् १९५५ के बाद नहीं है। सन् १९५५ में विशेष सैरिट लगायी गयी इसलिए जो लोग सिनियारिटी में नीचे हैं वे सुपरसीड हो गये। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो यह फैसला हुआ कि यह लिस्ट रिवाइज की जाय। रिवीजन में देर हो रही है लेकिन यह लिस्ट रिवाइज की जा रही है।

वाराणसी के स्पेशल मजिस्ट्रेट, श्री रामचरणलाल के खिलाफ शिकायत

*७०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के स्पेशल अवैतनिक मैजिस्ट्रेट, श्री रामचरणलाल के खिलाफ श्री मुर्तिजा खां आदि लगभग ३३ आदमियों द्वारा कोई शिकायती-पत्र माननीय मन्त्री जी को २ दिसम्बर, १९५९ से १० दिसम्बर, १९५९ के बीच मिला ? यदि हां, तो वह क्या था तथा उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

विषय गोपनीय होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में न होगा।

बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

*७१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री राज्य के उन मार्गों में जहां प्राइवेट पैसिंजर बसेज अब भी रूट्स पर चल रही हैं उन रूट्स को जनहित में नेशनलाइज करने का विचार कर रहे हैं जिससे कि पूरे प्रान्त में यूनिफार्मिटी हो जाय ? यदि हां, तो क्या वे कोई निश्चित तारीख व साल का ऐलान करने की कृपा करेंगे जब राज्य के समस्त रोड्स नेशनलाइज हो जायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। परन्तु निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मंत्री जी इसलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम परमिट हैं जिनको वे डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसका कारण तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने मीन्स और रिसोर्सेज को देखेगी और उसके बाद अपना कारोबार बढ़ायेगी। जब फन्डामेन्टल अख्त्यारात लोगों को प्राप्त हैं तो देखना है कि किस तरह से उनका समाधान करें। तो अगर घोषणा कर दें तो यह ठीक न होगा।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

धारा ६८ (सी) में जितने रूट्स का नोटीफिकेशन होता है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने नोटिफिकेशन धारा ६८ (डी) में होते हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

परसेन्टेज का हिसाब तो मेरे पास नहीं है।

*७२-७४--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

इलेक्ट्रिकल आफिसर्स के दफ्तर

*७५--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--

क्या बिजली मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, यू० पी० गवर्नमेंट के दफ्तर में काम की ज्यादती के कारण काम-काज में देरी हो रही है ? यदि हां, तो स्टाफ क्यों बढ़ाया नहीं जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं।

*७६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जोनल एलेक्ट्रिकल आफिसर्स के दफ्तर के प्रान्त में खोले जाने का निर्णय दस साल पूर्व हुआ था ? यदि हां, तो अब तक ये दफ्तर न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं, प्रदेश में जोनल इलैक्ट्रिकल आफिसर्स के दफ्तर खोले जाने का अन्तिम निर्णय अगस्त, १९६३ में लिया गया। फिलहाल तीन जोनल दफ्तर खोलने की स्वीकृति दी गयी है और वह शीघ्र कार्य आरम्भ करेंगे।

*७७-७८-श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७९-८१--श्री अहमद बख्श--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

बिन्दकी तहसील में अल्पिका नहर निकालने की प्रार्थना

*८३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर, परगना बिन्दकी के तीन ग्राम जो जिला कानपुर, परगना नरवल के करबिगवां से मिले हुये हैं व सरहदी ग्राम परसयेपुर व मिराई तथा सिरौली असिंचित ग्राम हैं ? क्या सरकार इनका सर्वेक्षण करा के ग्राम करबिगवां से करीब तीन मील लम्बी माइनर पर निकालने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं । तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । पानी की कमी के कारण माइनर निकालना सम्भव नहीं है ।

श्री मतोला सिंह—

क्या सरकार पानी जुटाने का कोई प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं तो कब तक करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं । एक तो रामगंगा पर रिजर्वायर और एक टिहरी के पास रिजर्वायर बना रहे हैं । जब उनसे पानी उपलब्ध हो सकेगा तो प्रबन्ध करेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

रसड़ा-बेलथरा बस स्टेशन तथा ददरी मेला से आय

१—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रसड़ा एवं बेलथरा (जिला बलिया) में रोडवेज बस स्टेशन के भवनों का निर्माण किस-किस सन् में और कितने बार हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७७ पर)

२—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में क्रमशः पृथक-पृथक परिवहन विभाग को मेला ददरी, जिला बलिया में रोडवेज के बसों के चलने से कितनी आमदनी हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६०–६१ में ४६,८८८ रु० ८५ नये पैसे ।

१९६१–६२ में ४१,७२१ रु० २८ नये पैसे ।

१९६२–६३ में ५४,२५३ रु० ५४ नये पैसे

बस सर्विस परमिट सम्बन्धी अपीलें

३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट ट्रांस्पोर्ट एपीलेट ट्रिब्युनल में सन् १९६३ में कुल कितनी अपीलें दायर की गयीं और इन अपीलों में सर्वश्री बी० ओ० हार्न, डब्लू० एल० रौस, जगन्नाथ वहाल, जीवन नाथ हाल, राम लखन और मिर्जा मोहम्मद इस्माइल की कितनी अपीलें हैं जो तय हो गयीं, वे किस रूट की हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

४९१ अपीलें दायर की गईं। सर्वश्री बी० ओ० हार्न, डब्लू० एल० रौस, जगन्नाथ वहाल तथा जीवन नाथ वहाल की क्रमशः १, २, ३ तथा ३ अपीलें थीं। सर्वश्री रामलखन और मिर्जा मोहम्मद इस्माइल ने सन् १९६३ में कोई अपील दायर नहीं की। इनमें से केवल श्री हार्न की अपील का, जो देहली-गढ़मार्ग से सम्बन्धित थी, निर्णय हुआ है।

४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या इस वर्ष अक्तूबर में देहली-गढ़ रूट पर श्री बी० ओ० हार्न और श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव को नये परमिट दिये गये हैं, यदि हां, तो उनकी दरख्वास्तें किन तारीखों में आयी थीं और यह सच क्या है कि उन लोगों की दरख्वास्तों से पहिले डेढ़ हजार दरख्वास्तें पेंडिंग में थीं ? यदि हां, तो उनको पहले परमिट क्यों दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह परमिट अक्तूबर, १९६३ में नहीं दिए गए। श्री महाबीर प्रसाद को ८-८-१९६३ को व श्री बी० ओ० हार्न को २१-१२-१९६३ को परमिट दिए गए, इन दोनों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पहले (६-४-१९६२) लगभग १,३०० प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे। यह परमिट एपीलेट टिब्यूनल के आदेशानुसार दिए गए थे।

बलिया-बैरिया बांध

५—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया-बैरिया बांध पर समीवर्ती ग्रामों की सुविधा के लिये कितने ढाले बांध से निकाले गये हैं और ये ढाले कब बनायें गये ?

श्री गिरधारी लाल—

बलिया-बैरिया बांध पर ५० ढाले बनाये गये। जिनमें से १९५५ से १९५८ के बीच में ३५ ढाले विभाग द्वारा बनाये गये।

उतरसिया का नलकूप

६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम उतरसिया में जो राजकीय नल कूप है वह कितने समय से खराब पड़ा हुआ है और कितने समय से उसकी फाउन्डेशन जमीन में धंसी हुई है ?

श्री गिरधारी लाल—

यह नलकूप चालू दशा में है। यद्यपि इस नलकूप के पम्प हाउस की नींव १९५९ में धंस गयी थी किन्तु नलकूप इस कारण बन्द नहीं रहा। पम्प हाउस को गिर कर उसके स्थान पर टीन का शेड बना दिया गया है।

७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतने अधिक समय से इस नलकूप की खराबियों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण वहां के कृषकों को अधिक हानि पहुंची है और पहुंच रही है और कुछ पानी पीने की सुविधा भी बन्द है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उसे ठीक करा कर चालू कराने पर ध्यान देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस नलकूप की खराबियों पर बराबर ध्यान दिया गया। वहां के कृषकों को कोई हानि न हुई है और न हो रही है। यह नलकूप पानी पीने के हेतु नहीं बनाया गया था अतः पीने के पानी की सुविधा बन्द होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जमानिया तहसील में नहरों का निर्माण

८—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में जमानियां तहसील में जमानियां ताड़ीघाट नहर, नगसर कैनाल तथा अनेक और सहायक नहरें अधखुदी, पिछले २, ३ वर्षों से बन्द हैं और वे कब तक पूरी की जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—

ताड़ीघाट रजबहा का केवल ४ मील ४ फर्लांग का भाग तथा नगसर माइनर का १ मील का भाग निर्माण करना शेष है। ताड़ीघाट रजवहा के शेष भाग के निर्माण के लिये भूमि प्राप्त हो गयी है और इसका निर्माण शीघ्र हो जाने की आशा है। नगसर माइनर के शेष भाग को पूर्ण करने के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गई है। भूमि प्राप्त होते ही इसके निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

९—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में जमानियां ताड़ीघाट कैनाल पर सबलपुर, देवरिया, ढढनी आदि बहुत बड़ी जन-संख्या के गांवों के सम्मुख बैलगाड़ी चलने लायक पुल बनाने की मांग सरकार से की गयी है ? यदि हां, तो ये पुल कब तक बनेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

ताड़ीघाट रजवहा के मील ८—०—० तथा मील ८—२—० पर ग्राम ढढनी के लोगों ने २ बैलगाड़ी चलने लायक पुल बनाने की मांग की थी। मील ८—०—० पर एक पुल का निर्माण कर दिया गया है। दूसरे पुल की मांग केवल दो फर्लांग की दूरी पर उचित नहीं थी इसलिये उसे अस्वीकृत कर दिया गया। ग्राम देवरिया व सबलपुर की सीमा पर एक ५ फीट चौड़ा कैटिल ब्रिज ताड़ीघाट रजवहा के मील ६—०—३३० पर बनाया जा चुका है।

१०—११—श्री कृष्णानन्दराय—

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर विद्युत् स्टेशन

१२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि मऊ और गोरखपुर के विद्युत् स्टेशन रेहन्द से कब मिलाये जायेंगे और यह कार्य कानपुर के विद्युत् स्टेशन के रेहन्द से मिलने के पूर्व होगा अथवा बाद में होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मऊ और गोरखपुर के वाष्प विद्युत गृहों को आपस में तथा रिहन्द पद्धति से मिलाने का काम सितम्बर, १९६४ तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है। और यह कार्य कानपुर के विद्युत् स्टेशन के रिहन्द से मिलने के पूर्व होने की आशा है।

१३--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर विद्युत स्टेशन का ट्रांसफार्मर अत्यन्त पुराना हो गया है और उसके शीघ्र नष्ट हो जाने का भय है? यदि हां, तो उसका तुरन्त नवीनीकरण सरकार कब तक कराने जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

गाजीपुर विद्युत् स्टेशन के ट्रान्सफार्मर ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं और उनके शीघ्र नष्ट हो जाने का कोई भय नहीं है।

१४--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर में दिलदारनगर विद्युत् स्टेशन के बनने की स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी और कितनी अवधि में वह बन जायेगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

गाजीपुर में दिलदारनगर विद्युत् स्टेशन और आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण अप्रैल, १९६३ में प्रारम्भ हुआ था और यह सभी कार्य जून, १९६४ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

१५-१६--श्री यादवेन्द्रदत्त--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

१७-१८--श्री कल्पनाथसिंह--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

१९--श्री कल्पनाथ सिंह--

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

२०--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

२१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[हटा दिया गया।]

चुनाव कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन

२२--श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर चुनाव कार्यालयों में काम करने वाले विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों का क्या वेतन-क्रम है? क्या इस वेतन-क्रम में सरकार का विचार बढ़ौत्तरी करने का है?

न्याय मंत्री (सैयद श्री अली जहीर)--

चुनाव कार्यालयों की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार है :

	रु०
१--निर्वाचन निरीक्षक	१५० से २००
२--मुख्य लिपिक	८५ से १४५
३--नैत्यक श्रेणी लिपिक	६० से १२०
४--चपरासी तथा चौकीदार	२७ से ३२

वर्तमान वेतन क्रम में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

२३-२४--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

[१७ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद-लखनऊ बस सर्विस

२५--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़) तथा श्री ऊदल--

क्या यातायात मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद से लखनऊ तक सीधे सरकारी बसें चलती हैं या नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं । क्योंकि फैजाबाद-बाराबंकी उप मार्ग नोटीफाइड नहीं है ।

२६--श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल--

क्या यातायात मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनकी संख्या क्या है और वे किन-किन व्यक्तियों के नाम के परमिट पर चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

बाराबंकी-फैजाबाद उप मार्ग पर इस समय कुल ९ प्राइवेट बसें स्थायी रूप से तथा २ अस्थायी रूप से चल रही हैं । ये बसें निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम के परमिट पर चलती हैं :--

१--श्री बिंदबासनी शुक्ला	स्थायी
२--श्री पी० सी० सेठ	
३--श्रीमती अहमदी बेगम	
४--श्री भुवाल खां	
५--श्री छेदीलाल मिश्रा	
६--श्री रोशनलाल	
७--श्री विनोदकुमार महाजन	
८--श्री घनश्याम दास	
९--श्री हबीब अहमद	
१०--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी	अस्थायी
११--श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव	

२७--कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)--

[१७ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण बिधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५७८-५८७ पर)

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री सदन में बार-बार यह कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो मैं इस सम्बन्ध में पंत जी के जमाने की बात बतलाऊं। जब बार-बार पंत जी के जमाने में इस तरह की बात हुई तो माननीय टंडन जी ने इसी कुर्सी से यह बात कही "माननीय मुख्य मन्त्री जी, यह बात बार-बार बर्दाश्त नहीं होगी। आपके मंत्री इस तरह की बात रोज सदन में करेंगे, तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा"। उसके बाद किसी मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी और न किसी ने यह बात कही।

श्री अध्यक्ष--

उसे आप मुझे दिखला दीजियेगा। वैसे माननीय टंडन जी ने यह व्यवस्था दी है- "मंत्री अगर किसी प्रश्न का उत्तर न देना चाहें तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता"। यह टंडन जी ने कहा था। वैसे आप दिखला दीजियेगा तो मैं उसे देखूंगा। फिर ३६ से ४७ तक जो बातें थीं वे उस समय थीं।

श्री सुखलाल की जमानत पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना यह मेरे पास आई है :

"I have the honour to inform you that Sri Sukh Lal, M.L.A., who was arrested under section 188 I.P.C. and was lodged in District Jail, Lucknow has been released on bail today on his filing Personal Bond and Sureties."

माननीय सुखलाल जो धारा १८८ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत बन्दी किये गये थे और जो लखनऊ कारागार में थे, पर्सनल बांड तथा जमानत देने पर छोड़ दिये गये हैं, दिनांक २ मार्च, १९६४।

आजमगढ़ जिले के तथा पिपराइच शुगर फैक्टरी क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक ही विषय पर जो दो सूचनामें मेरे पास आई हैं उनको एक ही मानकर स्वीकार किया है। वे गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में हैं और उनको मैंने माननीय मंत्री के पास भेज दिया है। एक श्री रामसुन्दर पांडेय की है और दूसरी श्री बांकेलाल की है। उसका विषय इस प्रकार है-"आजमगढ़ जिले के गन्ना उत्पादकों का लाखों मन गन्ना भटनी चीनी मिल, देवरिया और शाहगंज चीनी मिल, जौनपुर की केन सोसाइटी, आजमगढ़ द्वारा

[श्री अध्यक्ष]

बिल्थरा रोड, किड़िहरापुर, जिला बलिया और मऊ, खुरहट, आजमगढ़ रानीसराय आदि रेलवे स्टेशनों से दी गयी है। किन्तु गन्ना किसानों की गन्ने की कीमत लगभग एक लाख रुपया बाकी है। केन सोसायटी, आजमगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हजारों रुपये अपने निजी कार्य में इस्तेमाल किया है। गन्ने की कीमत के लिये हजारों गन्ना किसान जिलाधिकारियों तथा मिल मालिकों के यहां आते-जाते हैं किन्तु रुपया न मिलने के कारण हजारों गन्ना उत्पादकों में असंतोष व्याप्त है।"

मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बयान हो जाय।

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

६ तारीख को दे दूंगा।

गोसाईगंज बाजार, जिला सुल्तानपुर में कथित गल्ले की दूकान लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

अध्यक्ष महोदय, २२ तारीख, १९६४ को ४ बजे के लगभग कुछ आदमी गोसाईगंज मार्केट में इकट्ठे हुये और गुड़ की कीमत के बारे में उनसे कुछ कहा सुनी हुई और उन्होंने गुड़, तागा, आलू, चाय के छोटे-छोटे पैकेट, तम्बाकू, खड़िया और जलेबी वगैरह जिनकी कुल कीमत ४० रुपये होती है, उठा लिये। गल्ले की कोई दुकान नहीं लूटी गयी। स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ लड़के इस कीमत के झगड़े में पड़े थे और गुंडों ने उससे फायदा उठाया। बाद को शान्ति हो गयी। पुलिस आ गयी। बाकी सब ठीक है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री के पास यह स्पष्ट सूचना है कि बैंगन से लेकर जलेबी तक सब लूटी गयीं मगर अनाज को किसी ने नहीं छुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो जवाब दिया ही है उन्होंने।

श्री उग्रसेन---

प्रश्न यह है कि गल्ले की दुकानें लूटी गयीं। तो क्या इसके बारे में यह जानकारी है कि कोई अनाज नहीं छुआ गया, जलेबी ही लूट कर चले गये ?

श्री अध्यक्ष---

जितनी सूचना है उतनी उन्होंने दे दी।

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के जनसंघ कार्यकर्ताओं द्वारा साम्प्रदायिक पर्चा वितरित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

एक पर्चा "मुख्य मंत्री महोदया, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुचेता कृपालानी की सेवा में सादर समर्पित अभिनन्दन-पत्र" शीर्षक से मऊ में २३ और २४ फरवरी को बांटा गया। २३ फरवरी, १९६४ की शाम को जिला अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली कि एक छोटा लड़का मऊ में यह पर्चा बांटता हुआ पाया गया। तुरन्त ही इसकी जांच की गई और इस पर्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तीन और प्रतियां प्राप्त हुईं। २५-२-६४ को थाना अध्यक्ष, मऊ को इस बात की सूचना मिली कि एक पर्चा इन्दारा रेलवे स्टेशन पर पाया गया। इन्दारा और आसपास के गांवों में जांच करने पर पर्चे की कोई और प्रति नहीं मिली। यह अवश्य ज्ञात हुआ कि थोड़ी संख्या में यह पर्चे मऊ और उसके आसपास बांटे गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्चे उन लोगों द्वारा बांटे गये जिनको मऊ म्युनिसिपल कमेटी से कुछ कारणों से शिकायत थी।

मऊ में सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने हेतु पूरा प्रबन्ध किया गया और वहां होली के अवसर पर भी कोई घटना नहीं हुई।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री अध्यक्ष--

अब मद १० पर बहस होगी। मैं मद १ के पहले २ और ३ लेना चाहता हूं, इसलिये कि उनमें विवाद नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,३२,२१,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४---६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,३२,२१,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत २९,७२,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५---अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत २९,७२,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,१९,१२,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

यह जो मांग है यह ज्यादातर हेड्स आफ स्टेट, मिनिस्टर्स सेक्रेटेरियट और उस से अटैच्ड आफिसेज से संबंधित है। जैसे लैंड रिफार्म्स कमिश्नर, इंस्पेक्टोरेट आफ आफिसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन और बोर्ड आफ रेवेन्यू के आफिसेज हैं, इनके खर्चे से संबंधित है। इस खर्चे में ८,८१,००० रुपया बढ़ा है। यह बढ़ोत्तरी इसलिये हुई है कि कुछ सेक्रेटेरियट के दफ्तरों के खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई है, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडीचर में खर्चा बढ़ा है। डियरनैस अलाउन्स के लिये लम्पसम प्रावीजन किया गया है। गवर्नमेंट सरवेंट्स के डियरनैस अलान्उस में बढ़ोत्तरी हुई है। हैड्स आफ स्टेट में १ लाख ४ हजार रुपये की घटोत्तरी, मिनिस्टरों की संख्या में कमी होने और मोटर वगैरह न खरीदने के कारण हुई है। सेक्रेटेरियट एंड अटैच्ड आफिसेज में ३ लाख ५ हजार रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। डियरनैस अलाउन्स में ४ लाख २० हजार रुपया बढ़ा है और मिसलेनियस में २ लाख के करीब बढ़ा है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये पिछले साल ६,८९,५०० रुपया था उसके बजाय इस साल ५,१०,३०० रुपया रह गया है। यह इसलिये घटा है कि मिनिस्टरों की संख्या में कमी हुई है और मोटर नहीं खरीदी गई हैं। पे आफ आफिसर्स में २५ लाख ८५ हजार ९०० रुपया था, उसकी जगह २८,७९ हजार रुपया हो गया है। इसमें स्टाफ वगैरह की बढ़ोत्तरी के कारण यह रुपया बढ़ा है। इस्टैब्लिशमेंट में जो पहले ६५ लाख ४३ हजार रुपया था उसकी जगह ६७ लाख ५९ हजार १०० रुपया हुआ है। यह इसलिये हुआ है कि एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह देने पड़े हैं। कंटिन्जेंसी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। लैंड रिफार्म कमिश्नर के आफिस में ८.७२ लाख रुपये की कमी हुई है। यह इतना कम हो गया। परमानेंट स्टाफ के डी० ए० में कुछ खर्चा बढ़ गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रेकार्ड आफिसर्स का काम घट जायगा, इसलिये स्टाफ घटा दिया गया है। ओवर आल ८.७२ लाख की घटौती हुई है। बोर्ड आफ रेवेन्यु में थोड़ा-सा बढ़ा है। ५ लाख ४२ हजार ७०० रु० पहले था जब ५ लाख ६५ हजार १ सौ हो गया है। यह स्टेनोग्राफर्स की कुछ तनख्वाह बढ़ी है ज्यादातर उसकी वजह से बढ़ा है।

इसके बारे में मुझे इस समय कुछ ज्यादा नहीं कहना है। यह तो जब आप लोगों की राय सुन लूंगी उसके बाद जो कुछ कहना होगा, कहूंगी। इस समय तीन-चार शब्द कहना चाहती हूं। हम लोगों का प्रयास रहा है कि शासन में इकानामी लायी जाय। इसके लिये इकानामी कमेटी दो साल पहले बैठी थी। कुछ घटाने की भी कोशिश की गयी हर डिपार्टमेंट में। मगर जो भी घटाया गया वह करीब-करीब सब खर्च में आ गया। इसलिये ज्यादा इकानामी न कर पाये। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट में कुछ रिआर्गेनाइजेशन लाएं, कुछ स्ट्रीमलाईनिंग करें और एफीशेंसी रखते हुए इकानामी की जाय। उसकी तरफ पूरी तवज्जह देंगे। एफीशेंसी भी हम चाहते हैं कि सेक्रेटरिएट में बढ़े। उसके लिये कई बुनियादी बातें हैं। एक तो रैशनलाइजेशन सर्विसेज में हो। इसीलिये हायर सर्विसेज का रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाते हैं ताकि इसमें शिकायतें न रहें। इस के अलावा यह भी जरूरत है कि आफिसर्स को सही ट्रेनिंग दी जाय। इलाहाबाद में एक ट्रेनिंग की संस्था हुआ करती थी। वह इमर्जेंसी के कारण बन्द कर दी गयी। यह सोचा जा रहा है कि दोबारा वह ट्रेनिंग संस्था चलायी जाय। हम समझते हैं कि यह संस्था थोड़े महीनों में चल जायगी। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट के मातहत डेवलपमेंट के काम के लिये जो स्टाफ है उनके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था है। उसके द्वारा सुलझे हुए आफिसर्स इस काम के लिये मैदान में ला सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग के काम में कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिखायी पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सही मानी में रिआर्गेनाइजेशन हो, जहां मैन पावर घटा सकें, वहां घटाएं, जहां स्ट्रीम लाईनिंग की जा सके की, जाय। यह सब काम करने के लिये रिआर्गेनाइजेशन ऐंड मेथड्स सैल पहले से कायम थी। लेकिन वह ज्यादा ऐक्टिवली काम नहीं कर रही थी। अब दोबारा कोशिश हो रही है कि इसको चुस्त बनाया जाय और उसके जरिये इकानामी, रिआर्गेनाइजेशन और स्ट्रीमलाईनिंग की तरफ पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय।

करप्शन का जिक्र होता रहता है। मैं जानती हूं कि आज करप्शन पर बहुत ज्यादा जोर रहेगा। मुझे खेद है कि करप्शन की जो शिकायत है उसमें बहुत कुछ सच भी है। कुछ बढ़ा-चढ़ा कर भी बताया जाता है। करप्शन कैसे दूर किया जाय यह सारे भारतवर्ष के सामने प्रश्न है। इसलिये हम लोगों की तरफ से केन्द्रीय सरकार से लेकर पूरे प्रान्तों में भी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे रोका जाय। इसमें परेशानी इसलिये हो रही है कि सोशल फैब्रिक ऐसा हो गया है कि रग-रग में करप्शन घुसा हुआ है। केवल एक जगह से करप्शन नहीं हटाया जा सकता है। सारे स्तर से हटाया जाय तभी हो सकता है। हम लोगों ने विजिलेंस कमीशन को कायम करने के लिये तय कर लिया है। उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा डी० आई० जी० के अन्तर्गत रहेगा। उसका काम होगा इन्वेस्टीगेशन करने का। दूसरा हिस्सा ट्रायल का काम करेगा। अभी तक यू० पी० ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुनल था। उसमें दो परमानेंट आदमी रखे जायेंगे। एक हाई कोर्ट जज की पोजीशन का, डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज जो हाईकोर्ट का जज बनने के लायक हो और एक रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत का। आशा की जाती है कि यह इससे काफी काम कर पायेंगे। ऐंडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के काम की जो रिपोर्ट है वह आन दि होल अच्छा रेकर्ड है। उन्होंने काफी आजादी से काम किया है और जो कुछ उनकी रेकमेंडेशन सरकार के पास आयी है शायद एकाध किसी केस में सरकार ने न माना हो, लेकिन ज्यादातर उसने माना है। तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रेकार्ड देखकर हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन हम मुकर्रर कर रहे हैं वह कमीशन भी कामयाबी से काम कर सकेगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी आजादी से और जिम्मेदारी से वह संस्था काम कर सके। गजटेड और नान-गजटेड आफिसर्स सभी इसके मातहत होंगे। मैं पांच-छः महीने देखूंगी कि वह कैसा काम करता है, इसका इम्पैक्ट कैसा है और उसके बाद अगर जरूरत होगी हेरफेर करने की, तो हेरफेर भी करूंगी।

कुछ आम समालोचना जो आयेगी जिसको कि मैं ऐन्टिसिपेट कर सकती हूं वह यह हो सकती है कि बहुत से आफिसर लोग बहुत दिनों से सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं और स्वस्थ ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल यह है कि कोई भी आफिसर बहुत दिनों तक किसी एक जगह पर न रहे। यह इसलिये है कि अगर वह एक जगह अधिक दिन रहता है तो करप्शन की भी गुंजाइश है, कुछ मोनोपली की भी मनोभावना आ जाती है और वेस्टेड इन्टरेस्ट की भी मनोभावना आ जाती है। तो सरकार को अगर ठीक से चलाना है तो यह जो सैल्यूटरी प्रिंसिपल है ऐडमिनिस्ट्रेशन का, उसको मानना चाहिये, उसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहिये, यह मैं विश्वास करती हूं। कार्यभार लेने के बाद एक-दो महीने का समय मुझे लगा चीजों को समझने में। उसके बाद मैं धीरे-धीरे कुछ परिवर्त्तन लाने की कोशिश कर रही हूं और मैं आशा करती हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेन के प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के अनुसार परिवर्त्तन हम ला सकेंगे जिसका कुछ न कुछ अच्छा असर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा।

कुछ यह भी शिकायत है कि बहुत से आफिसर टेम्पोरेरी रहते हैं और टेम्पोरेरी रहने के कारण उनका दिल काम में उतना नहीं लगता है और जितनी चुस्ती और जितनी मुस्तैदी से उन्हें काम करना चाहिये, वह नहीं कर पाते हैं। यह हमारे सामने एक बड़ी भारी समस्या है। बहुत काफी टेम्पोरेरी आफिसर्स हमारे यहां हैं। हम लोगों की कोशिश यह है कि धीरे-धीरे कुछ परमानेन्ट पोस्ट हम बनायें ताकि कुछ परमानेंट में आ जांय और उनमें सेंस आफ सिक्योरिटी रहे, सेंस आफ रेस्पांसिबिलिटी रहे और वह काम अच्छी तरह से कर सकें। इसके बारे में विशद रूप से जब समय आयेगा, पीछे मैं जवाब दूंगी। इस समय मैं इतनी ही थोड़ी-सी बात कहना चाहती हूं और एक रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। अब माननीय सदस्यगण जो अपने अच्छे सुझाव मुझे देंगे, उनको सुनकर उनके ऊपर मैं जवाब दूंगी।

श्री अध्यक्ष––

पूर्व इसके कि माननीय झारखण्डे राय कुछ बोलें, मैं आदरणीय सदन के सामने एक सुझाव रख रहा हूं। मेरे पास, जब सामान्य विवाद हुआ था बजट पर तो, बहुत से माननीय

[श्री अध्यक्ष]

आये और उन्होंने यह शिकायत की कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने ठीक ही कहा, इस वास्ते कि प्रत्येक सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता है। मैं कल ही यह प्रस्ताव रखना चाहता था लेकिन भूल गया। मैं चाहता हूं कि दो बजे से तीन बजे तक या साढ़े तीन बजे तक मैं ऐसा समय रखूं कि जिसमें जो सामान्य विवाद में अब तक न बोले हों, उनको मौका दिया जाय। मैं चाहता हूं कि अब चूंकि विवाद हो रहा है बजट के मुख्तलिफ अनुदानों पर, तो जिसमें जो इन्टरेस्टेड हो और जो अभी तक नहीं बोले हों, वह कृपा करके अपने नाम मेरे पास भेज दें ताकि उनको भी बोलने का अवसर मिले। और तो सब लोग बोलेंगे ही, लेकिन एक घंटा मैं उन्हीं के लिये रिजर्व रखना चाहता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, इसमें मेरा संशोधन यह है कि आप व्यक्तिगत लोगों से नाम न लें, ऐसा न करें कि नामों का ढेर लग जाय आपके पास, पार्टियों के लोग नाम लेकर आपके पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

यह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

दो से तीन का अर्थ तो यह हो गया कि आप केवल एक घंटा उनको देना चाहते हैं। काफी मेम्बर्स हैं जो बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह आपको कैसे मालूम कि आपको समय नहीं मिलेगा? मैं तो उनके लिये कह रहा हूं कि जिन्होंने कहा कि आज तक मुझे समय नहीं मिला, मैंने एक सवाल तक नहीं किया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन जो आज तक न बोले हों उनको विशेष रूप से अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

हां, यह ठीक है। अगर आधा घंटा भी मान लिया जाय तो यह जो विभिन्न पार्टियों के नेता हैं उनको २० मिनट और शेष को १०, १० मिनट मिलेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह सामान्य प्रशासन है, इसमें विरोधी दल के सदस्यों को अधिक समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अभी जो सामान्य विवाद हुआ था उसमें ६ घंटे २४ मिनट कांग्रेस सदस्यों को मिले हैं और ८ घंटे कुछ मिनट विरोधी दल के सदस्यों को मिले हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, बढ़ते हुये टैक्स, बढ़ती हुई महंगाई और सर्वव्यापी भ्रष्टाचार की काली साया में और इस जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के बढ़ते हुये प्रतिरोध की सुनहली किरणों के मध्य हम आज इस अनुदान पर विवाद कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन केन्द्र स्थल का एक प्रतिबिम्ब होता है जिस से प्रशासन का पूरा यन्त्र सामान्य प्रशासन के लिये अनुप्राणित होता है और उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। सन् १९४७ में सत्ता का हस्तान्तरण हमारे देश में किसी क्रान्ति साधनों के द्वारा नहीं हुआ बल्कि सुधारवादी समझौते के आधार पर सत्ता का हस्तान्तरण हुआ जिससे देश का शासन भार हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के कर्णधारों के हाथ में आया। इसलिये हमारे देश के प्रशासन में वह तमाम बुराइयां आईं जो कि अंग्रेजी जमाने में थीं। कुछ अच्छाइयां भी उनके जमाने में जो थीं वह करीब-करीब समाप्त हो गईं। टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से पहले चल रहा था उसी प्रकार से आज भी संचालित है बल्कि बेहद बढ़ा है। और प्रशासन जिन लोगों के हाथ में था तत्वतः उन्हीं लोगों के हाथ में आज भी है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के कर्णधार जिस विवेक बुद्धि और जिस उद्देश्य को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे वह विवेक बुद्धि और वह विचार उस प्रशासन के ढांचे में नहीं था बल्कि वह शासन यन्त्र अंग्रेजी शासन का सहायक था। यह विरोधाभास था। जब सत्ता का हस्तान्तरण हुआ तो देश में कर्णधारों को यह चाहिये था कि उस पूरे प्रशासन यंत्र के लिये नीचे से ऊपर तक आमूल परिवर्तन का ठोस कदम उठाया होता लेकिन वह नहीं हुआ और आज भी वह उसी चक्र में फंसा हुआ है। शासक पार्टी भी आज इस बात को महसूस करती है कि ब्यूरोक्रेसी पर, शासन यन्त्र पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है बल्कि उनका कंट्रोल देश के कर्णधार, राष्ट्रीय नेता और शासक पार्टी के प्रमुख लोगों पर हो गया है। अंग्रेजों ने अपने राज्य को यहां पर स्थापित रखने, और हिन्दुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिये उस शासन यन्त्र का संगठन किया था। उस यन्त्र को उसी रूप में रख कर हम देश के विकास की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं और न हम देश की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उस यंत्र में वह मिशन नहीं है जो होना चाहिये किसी भी क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये। यदि अन्य देशों का इतिहास हम देखें, तो पता चलेगा कि सोवियट यूनियन में जब पावर ट्रान्सफर हुआ तो वहां का नारा था 'आल पावर टु सोवियट'।

यूगोस्लोवाकिया में जब पावर ट्रान्सफर हुआ तो उनका नारा था 'आल पावर टु ऐक्शन कमेटी'। वह ऐक्शन कमेटी जर्मन फासिज्म के खिलाफ लड़ रही थी। चीन में जब पावर ट्रान्सफर हुई तो उनका नारा था 'आल पावर टु पीपुल्स कमेटी'। मैं समझता हूं कि उस समय के राष्ट्रीय कर्णधारों ने यदि देश को नारा दिया होता कि 'आल पावर टु कांग्रेस कमेटी' तो हालत इससे अच्छी ही होती, क्योंकि उस समय कांग्रेस कमेटी पीपुल्स कमेटी के रूप में ही थी। आज कांग्रेस का नक्शा बदल गया है। इसलिये मान्यवर, मैं सदन में सफाई के साथ बल देकर कहना चाहता हूं कि आज एक हाई पावर कमीशन की जरूरत है कि जो पूरे प्रशासन को नीचे से ऊपर तक नयी प्रेरणा के अनुरूप बनाये और विशेष कर समाजवादी लक्ष्य की घोषणा हो जाने के बाद इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, वरना सारी घोषणा ही निरर्थक हो जायगी। समाजवाद के बारे में हमारे अधिकारियों तक को, कर्मचारियों की बात तो छोड़िये, ए, बी, सी भी नहीं मालूम है। वह समझते हैं कि यह एक मजाक है। वह समझते हैं कि यह राजनीतिज्ञों का मानसिक जमनास्टिक है। उस लक्ष्य में न उनका विश्वास है और न आस्था, और गाड़ी उसी पुरानी लकीर पर चल रही है और शासन के कर्णधार समाजवाद की बात किया करते हैं। दोनों में कोई मेल नहीं है। इसलिये आज शासकों और प्रशासन के बीच की खायी गहरी और चौड़ी हो गयी है और इसलिये बहुत आवश्यकता है कि हम उस तरफ बढ़ें।

मान्यवर, इसके पहले गुप्त जी का शासन यहां था। उनका ग्रिप नौकरशाही पर मजबूत था। यह ठीक है कि उसका इस्तेमाल शासक पार्टी के लिये भी नहीं बल्कि एक गुट के लिये होता था। आदमी मजबूत थे, जो चाहते थे करा सकते थे। हुकूमत को ऊपर से नीचे तक हिला सकते थे। हिलाते किसके लिये थे, यह दूसरी बात है। वर्तमान मुख्य मंत्री में इस

[श्री झारखण्डे राय]

बात की कमी है । वह वहां के लिये नयी है । उन का ग्रिप भी कांग्रेस पार्टी पर कम है, शासन यंत्र पर भी कम है और इसलिये पहले शासन गुप्त जी के मन के अनुसार उनके गुट के हितों में इस्तेमाल हो रहा था और आज का शासन मनमाना चल रहा है । उसकी कोई दिशा नहीं है । मान्यवर, एक उदाहरण लीजिये । बी० पी० मौर्य, जो पार्लियामेंट के मेम्बर भी हैं, एक विशेष पार्टी के नेता हैं, आज जेल में बंद हैं । उन पर एक व्याख्यान में भड़काने का आरोप लगाया गया है । वह कचहरी का मामला है और उसका फैसला न्यायालय करेगा, लेकिन उनकी जमानत तक आज नहीं हो पायी है । एक एम० पी० की जमानत न हो पाये, कितना मनमानापन है और यह मनमानेपन की एक ग्लैयरिंग एक्जाम्प्ल है ।

मान्यवर, इमरजेंसी के सेंस को लीजिये । वह प्रशासन में और शासन के कर्मचारियों में कुछ महीने दिखायी पड़ा, लेकिन चार महीने बाद ही वही कुर्सी की धर-पकड़, वही पटका-पटकी, सब पुरानी कार्यवाहियां चालू हो गयीं, जो चीनी आक्रमण के पहले थीं । मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की यात्रा कितनी इमरजेंसी को ले कर होती है, कितनी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये होती है, कितनी इफीशियेन्सी बढ़ाने के लिये होती है और कितनी कुर्सी बचाने के लिये होती है इसके आंकड़े मिल सकें तो पता लग जायगा कि किस तरह से आज कल काम चल रहा है ।

मान्यवर, सारा प्रशासन टाप हैवी है । २ करोड़ १९ लाख के इस पूरे सामान्य प्रशासन के अनुदान में ६ लाख २८ हजार रुपया खर्च होता है केवल एक पद को बनाये रखने के लिये । वह पद अलंकारिक है । मेरा आशय राज्यपाल के पद से है । मैं समझता हूं कि आज देश की समस्याओं का तकाजा है कि इस पद को हिन्दुस्तान के संविधान से समाप्त कर दिया जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है । इसके बिना कौन-सा देश का प्रशासन बिगड़ जायगा सिवाय इसके कि पुरानी परम्परा चली आ रही है ?

२,१९ लाख के बजट में ४५,९१,००० यानी ३३ फीसदी से भी ज्यादा केवल अधिकारियों के वेतन और १२ लाख ५३ हजार भत्ता आदि पर तथा रख-रखाव सुविधाओं पर खर्च होता है । कितना जबरदस्त टाप हैवी प्रशासन है, इसको हमारा निर्धन प्रदेश बरदाश्त नहीं कर सकता । राजस्व परिषद् में १९६२–६३ में ५,३१,६२३ व्यय था, वह बढ़ कर ५,६५,१०० १९६४–६५ में होने जा रहा है । इसमें अधिकारियों का वेतन २,७०,६०० और कर्मचारियों का १,८७,३०० ही है । मान्यवर, सेक्रेटरीज की पल्टन की पल्टन है । एक सेक्रेटरी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, उससे काम नहीं चला तो विशेष सेक्रेटरी, अतिरिक्त सेक्रेटरी, उप-सेक्रेटरी, अन्य सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी—७–७ प्रकार के बन गये । लेकिन एफिशियेंसी नहीं आयी । जितना काम दो तीन से होता था अब उससे बदतर होने लगा । लगता है कि कभी-कभी पोस्ट क्रिएट की जाती है किन्हीं को फेवर करने के लिए, सहायता करने के लिए । यह सरकार और इसके कर्णधार न तो गांधीवादी और न समाजवादी आदर्श पर चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं । न इनमें गांधीवादी सादगी और शालीनता है और न समाजवादी समानता । मान्यवर, बजट की कापी को पढ़ते हुए एक जगह देखा कि १८,००० रुपया राजभवन के पर्दों के नवीनीकरण के लिए खर्च है । हर साल पर्दों का नवीनीकरण !! कहां है सादगी और शालीनता जो महात्मा गांधी के वार्धा की कुटियों में थी ? यह तो केवल पूंजीवादी शानशौकत का आदर्श है जो कि हमारे दूतावास से लेकर राज्यपालों के भवनों तक दिखलाई पड़ता है । इस बात की जरूरत है कि एक साहसपूर्ण कदम शासन यंत्र के डेमाक्रैटाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिये । सर्विसेज की कार्य-प्रणाली का जनवादीकरण होना जरूरी है । क्या सम्भव नहीं है कि हर विभाग का मंत्री अपने ऊंचे से ऊंचे कर्मचारी को लेकर और निम्न कर्मचारी को भी लेकर, सारे कर्मचारियों को लेकर बैठे, लेकिन इस बात की गारंटी हो कि जो भी क्रिटिसिज्म होगा किसी विशेष व्यक्ति और कार्यप्रणाली का उसके ऊपर कोई विंडिक्टिव ऐटिट्यूड नहीं रखा जायगा किसी अधिकारी के जरिये नीचे के कर्मचारियों पर ? तो फिर देखें कि कैसे उपाय निकलते हैं इकोनामी के, कैसे उपाय निकलते हैं एफिशियेंसी के, इसका पता तभी लगेगा । सेक्रेटरी

और ज्वाइंट सेक्रेटरी कुछ नहीं बता सकते हैं, उनके लूपहोलों का पता नीचे के क्लर्क और बाबू लोगों को है। उनके सामने, उनकी मौजूदगी में जो आलोचना और चर्चा चलेगी तो सरकार की मशीनरी की जो कमजोरियां है उनका पूरा पर्दा फाश हो सकता है और मिनिस्टर लोग नीतियों में उचित परिवर्तन कर सकते है। यह संभव नहीं है कि उसी ढर्रे पर हम अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

मान्यवर, हिन्दी की प्रगति भी एक अफसोसजनक बात है। आपके विभाग को छोड़ दीजिये, बाकी में सारी चीजें अंग्रेजी में चलायी जा रही है और लक्ष्य है हिन्दी का। ५०,००० के टाइपराइटर्स का जिक्र है, लेकिन वह भी अधिकतर अंग्रेजी के ही होंगे, क्योंकि सारा काम ऊपर से नीचे अंग्रेजी में ही होता है। शब्द जरुर बदल गये है। कहीं सचिव, अनु-सचिव, कहीं-कहीं उप सचिव हो गया है——वह भी रोमन लिपि में——इसी तरह से संशोधन हो गये है, यह एक तरह से हिन्दीकरण का मजाक हुआ है।

विधायक निवास है। उस पर १ लाख ५७ हजार के खर्चे की बात है। विधायक निवास ए० और बी० जो बना है, मालूम होता है, मुर्गे का दरबा हो या होस्टल हो। निर्माण कर्त्ताओं को, मालूम पड़ता है, इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि उसमें जनता के प्रतिनिधि आकर रहेंगे। वे परिवार साथ लायेंगे। उनके पास जनता के लोग आयेंगे। इतना खर्चा उस पर हो रहा है, लेकिन कोई नया परिवर्तन इस दिशा में नहीं हो रहा है कि इन निवासों को परिवार आवास योग्य बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि थोड़े ही खर्चे में उसको ठीक और उपयुक्त बनाया जा सकता है।

सिविल सेक्रेटरियेट और सम्बद्ध कार्यालयों का खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है। सन् १९६२ में उस पर १ करोड़ २० लाख रु० का खर्चा था, सन् ६४–६५ में वह एक करोड़ २६ लाख हो गया। उसके अलग सेक्शन में भी खर्चा बढ़ा है। जिला गजेटियर्स पर सन् ६२–६३ में में २ लाख ६ हजार ३० व्यय था, ६४–६५ में वह २ लाख २४ हजार १०० हो गया। कार्यालय निरीक्षकालय में १ लाख ४० हजार ८२५ से बढ़ कर एक लाख ६७ हजार ७०० हो गया। राजस्व परिषद में ५ लाख ३१ हजार ६२३ से ५ लाख ६५ हजार, १०० हो गया। लोकल फंड आडिट अधिष्ठान में ६ लाख ५० हजार ४४३ से ७ लाख ४९ हजार ४०० हो गया। स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय——८४ हजार ६१२ से ४ लाख २६ हजार २०० हो गया। वीसा कार्य तथा पासपोर्ट पर ५ लाख २ हजार ५ सौ से ५ लाख ५२ हजार ५ सौ व्यय बढ़ गया। इस तरह से विभिन्न विभागों में खर्चा बढ़ता गया मगर एफिशिएन्सी नहीं बढ़ी है। आज इस बात की जरूरत है कि १९३० के करांची कान्फ्रेन्स के राष्ट्रीय प्रस्ताव की मूल भावना को अमल में लाया जाय। अधिक से अधिक वेतन १ हजार और कम से कम १०० रुपये होना चाहिये। मुझे याद है, केरल में जब कामरेड नम्बूदरीपाद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान की गरीबी इस बात की मांग करती है कि सर्विसेज में अधिक से अधिक वेतन १ हजार से अधिक नहीं होने चाहिये और उन्होंने अपने प्रदेश में उसे लागू किया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री जी के विभाग के जो भी विशेषज्ञ हों, वे यह बतायें कि अगर हम प्रदेश में किसी का वेतन १०० रुपये से कम न करें तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जायेगा। वह खर्चा हमें बताया जाय, उस खर्चे को कहां से पूरा किया जायगा, उसके लिये भी हम लोग आप को उपाय बतायेंगे।

कमिश्नरों पर करीब पौने १२ लाख रुपया खर्चा होता है। इसकी जरूरत नहीं है। इन के पदों को समाप्त करके एकोनामी की जा सकती है। माननीय गुप्ता जी जब आये थे, उन्होंने एकोनामी का बड़ा ढोल पीटा था, मगर उन्होंने भी कोई इस ओर बड़ा कदम नहीं उठाया टांय-टांय फिस। पूछा गया कि कितनी एकोनामी हुई लेकिन जबाल ला-पता।

महंगाई भत्ते की बड़ी चर्चा हुई लेकिन बढ़ा क्या? ५ रुपया, दाल में नमक या समुद्र में एक बूंद के भी बराबर नहीं। अगर कम से कम १० रुपया बढ़ाया जाता तब तो सर्विसेज को यह मालूम होता कि हां इससे कुछ मंहगाई को मीट किया जा सकता है। लेकिन उदारता

[श्री झारखण्डेय राय]

ऊंचे अधिकारियों के बारे में दिखायी गयी। एक दम ४० रुपया बढ़ा दिया गया तर्क यह दिया गया कि अब तक उनको कुछ मिलता ही न था। मैं यह नहीं कहता कि उनका कुछ भी बढ़ाया न जाता लेकिन अगर उनको देना ही था तो चार किस्त में चार साल में १०-१० रुपया देते। लेकिन कहां ४० रुपया और कहां ५ रुपया, यह कहां का समाजवाद है? यहां पर इनके समाजवाद की रूपरेखा मालूम पड़ती है। अमेरिका में भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू ने बम्बई में ठीक ही कहा है "अमेरिकी पूंजीवाद और कांग्रेसी समाजवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मूल फर्क सिर्फ शब्दों का है। उन्होंने कहा---कांग्रेसी समाजवाद का जो उद्देश्य है वही अमेरिकी पूंजीवाद का है। यह उद्देश्य है कि सब को उन्नति करने का समान अवसर मिले, गरीबी दूर हो, सबको खाना, कपड़ा, मकान और दूसरी सुविधायें मिलें।"

इसी तरह की बात खादी-कमीशन के अध्यक्ष ढेबर भाई ने कही। समझ में नहीं आता जब कोई आदमी किसी पद पर होता है तो उसकी बुद्धि और हो जाती है और जब उस पद से हट जाता है तब उसकी बुद्धि कुछ और ही प्रकार की हो जाती है। इसका का रहस्य समझ में नहीं आता। यहां भी हमें उसका आभास मिलता है। ढेबर भाई जब हाई कमांड में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे तब वे पूंजीवाद के पोषक थे और केरल की कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी के लिये दिल्ली में जो षडयंत्र हुआ था, उसके सिपाहसालार थे। लेकिन आज वे कहते हैं "आज जीवन का हर अंग पूंजीवादी शिकंजे में जकड़ा है। आज हुकूमत की असली लगाम पूंजीपतियों के हाथ में है। उनके हाथ में सिर्फ सारे बाजार ही नहीं हैं बल्कि अखबार भी उनके कब्जे में हैं ये लोग लंबा, मुनाफा कमाने के लिये जरूरी चीजों की भी नकली कमी करके मंहगाई को बढ़ाते हैं।

समाजवाद की एक अमली बात बताऊं। सचिवालय में स्थानीय निकायों की सर्विसेज को देखा जाय। उसके अधिकारियों के वेतन पर ३,४४० रुपया खर्च होता था सन् ६२-६३ में जो अब ८ हजार हो गया है और निम्न वर्ग के कर्मचारियों पर खर्चा होता था १६ हजार वह घट कर रह गया है केवल ८,८०० रुपया। मान्यवर, मुझे एक मौका मिला था एक कमेटी के सिलसिले में पिठौरागढ़ जाने का इनके समाजवादी उद्देश्य की घोषणा के बाद। वहां मैंने देखा कि पहाड़ पर भी जहां स्थान की कमी है डी० एम० का बंगला, एस० पी० का बंगला, इंजीनियर का बंगला या और भी आफिसरों के बंगले तो ऐसे है जो काफी बड़े-बड़े हैं और तमाम सुख सज्जा से पूर्ण हैं। एक-एक बंगले में कई कमरे हैं और सारी सुविधाओं से पर्ण हैं लेकिन निम्न कर्मचारियों के लिये केवल एक कमरे का ही क्वार्टर है। उसी कमरे में बाथरूम, उसी में चूल्हा, चक्की और खाना, उसी में सोना, उसी में बैठना, उसी में बीबी, बच्चे, बेटे, बहू। तो माननीय मुख्य मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये कि समाजवादी लक्ष्य की घोषणा के बाद उसकी प्रगति के लिये कुछ अमल भी हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो फिर इन क्वार्टरों में इतना अन्तर क्यों है? ऐसे मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है भिलाई कारखाना जो सोवियट यूनियन की रहनुमाई में बना है वहां पर मजदूरों के लिये जो क्वार्ट्स बने हैं और ऊंचे अधिकारियों के जो क्वार्टर्स बने हैं उनमें उतना फर्क नहीं है जितना कि यहां के चपरासियों के क्वार्ट्स और एक उच्च अधिकारी के बंगले में है।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, माननीया सुचेता जी ने इसके लिये बड़ी चिन्ता प्रकट की है। मैं १२ साल से यहां बोलता रहा हूं और मुझे वह दिन याद है जबकि भ्रष्टाचार का नाम आया नहीं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी गर्म हो गये और वे अपने भाषण में कहा करते थे कि भ्रष्टाचार की बात सुनते-सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है। यानी उसका अस्तित्व वे करीब करीब मानते ही नहीं थे लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि नन्दा जी ने और सुचेता जी ने भ्रष्टाचार को सर्वव्यापी और घट-घट वासी माना है। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार के हैं। एक तो लीगल करप्शन है और एक इल्लीगल करप्शन है। एक रिफाइन्ड करप्शन हैं और एक वल्गर करप्शन है। जहां तक लीगल करप्शन की बात है इसके बारे में हम सब को अच्छी तरह से मालूम है। जैसे एम० एल० ए० की सीट के लिये चुनाव लड़ने का खर्चा ८ हजार रुपया निश्चित कर दिया गया है, परन्तु सब लोग अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचें

कि क्या उनके निर्वाचन में ८ हजार रुपया ही खर्च होता है ? क्या मौदहा में केवल ८ हजार रुपया ही खर्च किया गया और क्या दूसरे बहुत से चुनावों में ८ हजार रुपया ही खर्च किया गया ? इस तरह से बहुत लोग जानबूझ कर लीगल करप्शन कर रहे हैं और दस्तखत करके दे देते हैं। सब के लिये तो मैं नहीं कहता क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम खर्चा करके ही चुनाव जीते हैं या हारे हैं। तो क्या जरूरत है कि सरकार इस तरह का प्रतिबन्ध लगाये रखे जबकि उसका पालन ही नहीं हो रहा है ? सरकार या तो उस प्रतिबन्ध को सही रूप में अमल में लावे या इस प्रतिबन्ध को ही हटा दे। क्योंकि पूंजीवादी समाज में चुनाव का खर्चा बढ़ता ही जाता है तो क्या जरूरत है इस प्रतिबन्ध को रखने की जबकि उस प्रतिबन्ध को कोई मानता ही नहीं ?

रिफाइंड करप्शन प्रेजेंट्स के रूप में आज भी जारी हैं। अंग्रेज वायसराय जब कभी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हैदराबाद, काश्मीर आदि रियासतों में जाते थे तो वायसराय की बीबी को ही प्रेजेंट्स मिला करते थे। बड़ी लम्बी-लम्बी रकमें व लम्बी-लम्बी रकमों के सामान उनकी बीबियां लेती थीं। वह सिस्टम आज भी जारी है। अगर किसी मिनिस्टर के घर में शादी हुई और डेढ़ लाख का प्रेजेंट मिला तो जरूर यह करप्शन का एक रिफाइंड तरीका है और इससे नीचे वालों को करप्शन के लिये प्रोत्साहन मिलता है। फिर बड़े-बड़े प्रेजेंट्स भी वे लोग ले सकते हैं। श्रीमन्, पुलिस में, कचहरियों में और दुःख की बात है कि विकास केन्द्रों में भी अब करप्शन होने लगा है। सीमेंट के बांटने में, तकावी के बांटने में और दूसरी सुविधायें देने में। इस तरह से भ्रष्टाचार में यह एक नया ऐडिशन हो गया है।

सिंचाई विभाग में तो कहने की बात ही नहीं है वहां तो इंजीनियर और ओवरसियर का नियमित रूप से बंधा हुआ है वह तो एक जानामाना करप्शन है, मुख्य मंत्री जी किसी भी ठेकेदार को बुला लें जिस पर उनको विश्वास हो और जिसको उन पर विश्वास हो तो वह सब बता देगा कि कहां कितना बाकायदा पेमेंट से पहले ही कट जाता है। सस्ते गल्ले के दूकानदार हैं बिना सवाई रुपया दिये कोटा नहीं पा सकते और फिर वह ब्लेक मार्केट में माल बेचते हैं। इसी तरह से रोडवेज की सर्विसेज की नियुक्ति में भी नई बात चल गई है। बिना दियें लिये कोई काम नहीं होता। पहले तो सूखे नेता ही होते थे अब एक रसदार नेता भी हो गये हैं। सूखे नेता वह हैं जिन के जाने पर भ्रष्ट कर्मचारियों का मुंह बिचक जाता है, सूखे जी आ गयें इनसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो नये रसदार नेता कुछ ये है वह खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी दिलाते हैं। जैसे सरकार तकावी देती है और मंत्री जी यहां पाले की वजह से कुछ छूट की घोषणा करेंगे। अगर किसी को दस रुपया सेंक्शन होंगे तो २ रुपया यह खा जायंगे और ८ रुपया जिसको मिलनी है उसकी जेब में जायंगे। जिधर देखिये यही हालत है और सच्ची बात तो यह है कि अगर कोई है एबव करप्शन तो केवल आप का विधान सभा विभाग है जहां पर कि कोई करप्शन दिखाई नहीं पड़ता। एक बात यहां सदन में प्रायः मंत्रियों की ओर से कही जाती है कि ऊपर करप्शन कम है। संख्या में ऊपर करप्शन कम हो सकता है लेकिन मात्रा में या परिमाण में ज्यादा है। नीचे तो केवल २ रुपया, ५ रुपया ही चलता है लेकिन ऊपर हजारों और लाखों का हिसाब चलता है। संख्या में कम होते हुये भी वजन में करप्शन ऊपर ही अधिक है।

अन्त में मैं एक बात और कह कर खत्म करूंगा कि हमारे समाज में, सर्विसेज में और ऊपर-नीचे के स्तर पर जातिवाद का रोग भी बहुत अधिक है। कुर्सी जिस पर आज सुचेता जी विराजमान हैं अभी तक बहुत बदनाम रही है, पंत जी के बारे में यहां चर्चा थी कि वह पहाड़ियों को भर रहे हैं, बाबू सम्पूर्णानन्द के जमाने में भी एक लम्बी तालिका पढ़ी गई कि उन्होंने कायस्थों को मुख्य स्थानों पर रखा हुआ है, गुप्ता जी के जमाने में भी बनियों की बन आई और उन्हें भरने की चर्चा काफी हुई। अब हवा गूंज रही है माननीय सुचेता जी हमारे प्रदेश और देश की पहिली महिला मुख्य मंत्री हैं। उनके ऊपर भी कहीं यह चार्ज न लग जाय कि वह भी बंगालियों को नीचे से ऊपर तक भर रही हैं। जिस प्रदेश की यह परम्परा और मिसाल हो कि एक बंगाली को

[श्री झारखण्डे राय]

मुख्य मंत्री बनाया गया हो वहां वह एक स्वस्थ परम्परा को चलाने और आगे बढ़ाने में सफल होंगी और पिछली बदनामी से अपने को बचायेंगी ।

बहस के दौरान में नेगी जी ने कहा कि जब हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले आफत में पड़ते हैं तो उनका साथ देते हैं और जब उनकी सरकार पर आफत आती है तो वह दूर हट जाते हैं । मैं इसको सफाई से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर देश के ऊपर कोई हमला होगा चाहे वह चीन का हो, पाकिस्तान का हो या दोनों का हो या दुनिया में किसी का हो तो हम उस के खिलाफ उनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और उनका साथ देंगे । देश में कोई प्रतिक्रियावादी हमला अथवा काउन्टर रिवोल्यूशन उनकी हुकूमत को पलटने के लिये होता है तो हम उनके रक्षक होंगे लेकिन अगर उनके द्वारा जनता के ऊपर बढ़े हुये टैक्सेशन अथवा महंगाई या किसी और रूप में हमला होगा तो हम उसका प्रबल एवं तीव्र विरोध करेंगे, हम आवाज उठावेंगे । इतना कहकर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन का अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं सबसे पहले सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस समय चीफ सेक्रेटरी साहब गवर्नर गेलरी में नहीं है, यह बड़े दुख की बात है कि साल में एक बार जब यहां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस होती हो तो वह एक दिन भी यहां के लिये स्पेयर न कर सकें सदन में बैठने के लिये और मेम्बर्स की बातों को सुनने के लिये । यह बहुत अफसोस की बात है । इससे पहले भी एक दफा गोविन्द नारायण जी के बारे में भी ऐसी बात हुई थी । तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी के लिये जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के दिन सदन में बैठना आवश्यक होना चाहिये ।

मान्यवर, माननीय झारखंडे राय जी का भाषण मैंने सुना और मैं उम्मीद करता था कि वह तेज भाषण देंगे । मगर उन्होंने बड़ा शान्तिपूर्ण भाषण दिया । मुझे ऐसा लगा कि उन पर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अच्छी छाप पड़ी है । उन्होंने कहा जिस समय हम आजाद हुए उस समय जो नौकरशाही थी वह अंग्रेजों ने किसी दूसरे काम के लिये बनायी थी यह बात सही है । लेकिन एक बात मैं कहे देता हूं कि देश के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का श्रेय है कि जो मशीन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी के लिये नहीं बनायी गयी थी उसी मशीन को रखते हुए काफी कामयाबी यद्यपि नहीं हुई, फिर भी जो काम लिया गया है यह क्रेडिट की बात है । मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी की ब्यूरोक्रेसी ज्यादा चेंज नहीं हो पायी है । अच्छे अफसरों ने अपने को चेंज भी किया है, बल्कि मैं तो एक कदम आगे भी जाता हूं कभी-कभी उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता हमको जरूर चेंज किया है । लेकिन ब्यूरोक्रेसी केवल बातों से चेंज नहीं होती है बल्कि जब देश के अन्दर पोलिटिकल नेतृत्व अपनी जगह पर इन्टीगरेटेड हो, एक हो तब ही वह चेंज होती है । जब देश की राजनीतिक शक्ति छिन्न-भिन्न हो उस समय कोशिश करना कि हम उन पर हावी हो जायेंगे यह नामुमकिन है । रूस और चाइना में भी ऐसा नहीं हो पाया है जबकि वहां डिक्टेटरशिप है ।

उन्होंने गवर्नरशिप की बात कही । मैं उस कंट्रोवर्शियल प्वाइंट में नहीं जाना चाहता, यह विषय केन्द्र से संबंधित है, संविधान से संबंधित है जिसको पार्लियामेंट ही तय कर सकती है । लेकिन एक आध आइटम के बारे में जरूर कहूंगा । मैंने देखा कि करटेन्स के बदलने के लिये साढ़े १८ हजार रुपया हर साल लिया जाना एक खटकने वाली बात है । हालांकि छोटी बात मालूम होती है मगर लगता है कि आस्टेरिटी का कोई असर वहां पर नहीं है । मैं चाहता हूं कि जब तक यह इंस्टीट्यूशन रहे आस्टेरिटी और सादगी उसमें आनी चाहिये । रेड कारपेट मेन्टेलिटी को खत्म करना चाहिये । चुनाव की बात कही गई लेकिन माननीय झारखंडे राय जी एक

बात भूल गये कि इसका वास्ता भी इंडियन पार्लियामेंट से है हमारे यहां से नहीं। उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन के अधिक खर्चे की बात कही। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। माननीय वित मंत्री जी ने यह साबित किया कि इस प्रदेश में १३.८ परसेंट हमारे बजट का इस पर खर्च होता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ४–५ स्टेट्स को छोड़ कर औरों के मुकाबले में हमारा खर्चा कम है। मगर एक बात जरूर मानता हूं कि इसके बावजूद भी इकोनामी की गुंजायश है और इस सम्बन्ध में २–४ बातें मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं। पहला यह कि हमेशा से मेरा यह व्यू है कि जब आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है तो कमिश्नर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरी एक कमिश्नर से भी बात हुई उनका भी यही व्यू है। अगर कमिश्नर्स की पोस्ट्स को अबालिश कर दिया जाय तो १४–१५ लाख रु० की इकोनामी हो सकती है। दूसरे यह कि जो स्पेशल पे और स्पेशल ऐलाउन्सेज हैं सेक्रेटेरियट के अन्दर यह खत्म होने चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी कमेटी बैठायें जो यह देखे कि किस बैक ग्राउन्ड में स्पेशल पे और एलाउन्सेज दिये गये थे। मैंने देखा बहुत से जिलों में भी एलाउन्सेज दिये जाते हैं, कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के रूप में। जब मैंने एस्टीमेटस कमेटी के चेयरमैन के नाते इसकी हिस्ट्री देखी तो पता चला कि जब सड़कें नहीं थीं तब कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाता था। ट्रैफिक चालू हो गया, कम्युनिकेशन्स अच्छे हो गये लेकिन कम्पेन्सेटरी एलाउन्स अब भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ७५ प्रतिशत आई० सी० एस० आफिसर्स को स्पेशल एलाउन्स दिया जा रहा है। यदि इसको ही समाप्त कर दिया जाय तो काफी एकोनोमी होने की गुंजायश है।

जो स्टाफ दिया जाता है हमारे मिनिस्टर को और डिप्टी-मिनिस्टर को उसमें भी काफी बचत की गुंजायश है। मेरा निश्चित मत है कि जब मिनिस्टर हटाये गये थे तो उस समय स्टैनोग्राफर हटाये जा सकते थे। अब भी मिनिस्टरों के यहां से एक-एक स्टेनोग्राफर कम किया जा सकता है। यह एकोनोमी की बात रही। एक बात और है, मान्यवर, जब कोई पी० ए०, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी का पी० ए० हो या किसी मिनिस्टर का पी० ए० हो असिस्टेंट या अन्डर-सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उससे अन्डर सेक्रेटरी का काम भी लिया जाय और उसके स्थान पर पी० ए० के ग्रेड का आदमी रखा जाय और यही उचित भी है। इसके अतिरिक्त एक हमारे यहां पेटीशन आफिसर हैं। जहां तक मेरी सूचना है उनके पास वर्कलोड बहुत कम है। खैर यह तो मुख्य मंत्री जी के देखने का काम है। या तो उनको पूरा काम दिया जाय या फिर यह पद हटाया जाय।

एक बात और है, मान्यवर, और वह यह कि हमारे सेक्रेटेरियट में भी कमिश्नर बनाये जाते हैं। बताया जाता है कि जो हमारे सीनियर आफिसर है वे कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में जायं। काबिल होते हैं तो हम अपने यहां नयी पोस्ट क्रियेट करते हैं। आप न प्रोडक्शन कमिश्नर, या डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट कायम की मगर साथ ही कमिश्नर प्लानिंग एन्ड इन्टीग्रेशन की पोस्ट भी रखी तो मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि हमने कोई पोस्ट खत्म नहीं की। एग्रीकल्चर में हमने कमिश्नर नियुक्त किया और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी वहीं रहेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह रिआर्गेनाइजेशन जो किया वह क्या केवल एक पोस्ट बढ़ाने के लिये यह किया गया या इसके पीछे यह था कि एफिशियेन्सी को बढ़ाया जायगा और साथ ही बचत भी हो ?

बजट के देखने से पता चलता है कि सेक्रेटेरियट में २६ सुपरिटेन्डेन्ट की नयी पोस्ट क्रियेट की गयी है। उसमें कहा गया है कि यह आन एकाउन्ट आफ रिआर्गेनाइजेशन आफ दि सेक्रेटेरियट किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि यह क्या रिआर्गेनाइजेशन किया गया है ? मुझे याद है कि एक कमेटी बनी थी श्री के० के० दास की चेयरमैनशिप में। उसमें क्या किया गया पता नहीं चला। उसके बाद में उसका फियास्को हो गया। मैं यह समझता हूं कि रिआर्गेनाइजेशन से एकोनोमी होनी चाहिए लेकिन यह कौन से ढंग की और किस किस्म का रिआर्गेनाइजेशन किया गया है ? बजट में दिया हुआ है कि

[श्री नवलकिशोर]

"26 posts of Superintendents have been created on account of reorganisation of different departments of the Secretariat." मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि यह कैसी रिआर्गेनाइजेशन है।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से डिपार्टमेंटस हैं जैसे स्टेट डिपार्टमेंट, एलेक्शन डिपार्टमेंट। उसके स्टाफ को हम सेक्रेटेरियट की ही पे देते हैं जबकि बड़ी आसानी से उनको डिपार्टमेंटल हैड्स के दफ्तरों की पे दी जा सकती है। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है कि उनके पे हेड आफ दि डिपार्टमेंट के दफ्तरों के कर्मचारियों के बराबर होनी चाहिये। उसका भी अगर हिसाब जोड़ेंगे तो काफी बचत की गुन्जायश हो सकती है। हमारे जब मिनिस्टर्स बाहर साथ जाते हैं तो न्यूज ओफिसर्स भी साथ जाते हैं जब कि हर डिस्ट्रिक्ट में इन्फार्मेशन आफिसर्स हैं और कहीं-कहीं पर तो २-२ भी मौजूद हैं तो अगर वे लोग न जायें तो इसमें भी काफी बचत हो सकती है।

एयर कन्डीशनिंग का ट्रेवल अच्छा तो होता है पर मैं समझता हूं कि अगर देश का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का हो सके कि सब लोग इसमें ही सफर करने लगें तब तो अच्छा है लेकिन जब देश में गरीबी हो तो उस समय एयर कंडीशन में सफर करना उचित नहीं है। इस को गुप्ता जी ने खत्म किया था मगर बाद में फिर चालू कर दिया।

श्री उग्रसेन--

सरकार ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के उत्तर में बताया है कि अफसरों को तकलीफ हो जायगी। अगर आप पढ़ें तो पता लग जायगा।

श्री नवलकिशोर--

जहां तक पढ़ने की बात है मैं उग्रसेन जी से ज्यादा पढ़ता रहता हूं। एयर कंडीशनिंग तथा हवाई जहाज से ट्रेवलिंग एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही होना चाहिये वर्ना उसमें काफी कमी हो सकती है।

डिपार्टमेंटल हेड्स में एडीशनल पोस्ट्स जो हैं उन्हें खत्म होना चाहिये। चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर यह दो दो डिपार्टमेंटल हेड्स नहीं होने चाहिये क्योंकि यह बात मौजूं नहीं है।

५८ साल तक रिटायरमेंट ऐज बढ़ा दी गयी है तो अब एक्सटेंशन खत्म करना चाहिये क्योंकि जो दूसरा इन्कम्बेंट होता है उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर नीपोटिज्म और फेवरेटिज्म की भी शिकायत की जाती है। टेक्निकल हैंड्स, एक्सेप्शनल एबिलिटी की बात हो तो दूसरी बात है लेकिन डिप्टी सेक्रेटरीज, पी० ए० वगैरह का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा डिपार्टमेंट्स का रिआर्गनाइजेशन और कोआर्डिनेशन होना चाहिये। गुप्ता जी ने इकोनामी करने की कोशिश की और ७८ लाख रुपये के करीब इकोनामी की भी और सोशल वेलफेयर तथा हरिजन विभागों को एक में मर्ज किया। मुख्य मंत्री जी से मैं कहूंगा कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनको एक दूसरे में अमलगमेशन किया जा सकता है।

एक बात की खुशी है कि इस बार यह नहीं कहा गया कि मंत्रियों पर बहुत खर्चा होता है। उग्रसेन जी को बड़ी शिकायत होती थी। अब के बजट में साफ लिखा है कि २६ परसेंट कम हो गया है इसलिये उन्होंने कुछ नहीं कहा। झारखंडे राय जी ने भी इसीलिये कुछ नहीं कहा।

मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पे कमेटी बिठाने की बात कही। बहुत दिनों से सरकारी एम्पलाईज की यह सही और जायज मांग भी थी। मैं झारखंडे राय जी की इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि ५ रुपया महंगाई देना कम है मगर इतने से ही पौने ४ करोड़ रुपये का खर्चा स्टेट पर बढ़ा है लेकिन जो ४० रुपये ४५० रुपये से ८०० रुपये तक पाने वालों के बढ़ायें गये हैं उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं था (लाल बत्ती होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक थोड़ी-सी बात ध्यान में रखने की होगी कि एक व्यक्ति जो मंत्री रह चुका है, एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन रह चुका है उसको हम साधारण नेता की तरह टाइम दे दें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री नवलकिशोर—

तो मैं यह कह रहा था कि डियरनेस एलाउन्स में जो ४० रुपये एक दम बढ़ाये गये इससे डिस्पेरिटी बढ़ी है। यह बात सही है कि समाजवाद इसमें घुसेड़े या न घुसेड़े, यह सोशलिस्टिक एप्रोच की बात नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो लोग यहां १०/१२ साल से थे उन्हें हटाया। मैं इसके लिये भी उनको बधाई देता हूं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने आज अपनी छोटी और बड़ी स्पष्ट स्पीच में यह बात कही कि वह इस बात की आगे भी कोशिश कर रही हैं। होना यह चाहिये कि कोई भी अधिकारी किसी विभाग में ३ साल से अधिक न रहे और किसी ब्रान्च में ६ साल से ज्यादा न रहें क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन का यह भी एक उसूल है कि आफिसर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंन्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिये। मिसाल के लिये अगर तीन साल का नियम लागू हो और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में हर तीन साल के बाद भेजे जायं तो एकोनामी वगैरह करने में काफी आसानी होगी।

श्री उग्रसेन—

मंत्रियों के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री नवलकिशोर—

मंत्रियों के बारे में मेरी राय यह है कि मुख्य मंत्री का यह प्रिविलेज है कि वह जिसको जो डिपार्टमेंट चाहें दे सकते हैं। एक बात सही है कि डिपार्टमेंट देते वक्त अगर उसका कोई रेशनलाइजेशन हो सके तो वह ज्यादा अच्छी बात होगी। मगर यह उनका इनहेरेन्ट प्रिविलेज है कि जिसको-जो डिपार्टमेंट चाहें दे सकते हैं।

विजिलेन्स कमेटी के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आपने एक विजिलेन्स कमेटी एप्वाइंट की उसके लिये सरकार को धन्यवाद। उसके दो सेक्शन्स होंगे एक जांच का दूसरा मुकदमा करने का। मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि ६ महीने तक वह एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर वह देखेंगी, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो चेन्ज भी करेंगीं। मैं समझता हूं कि उनको चेन्ज करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में जो प्रेस इन्टरव्यू दी चीफ सेक्रेटरी ने, वे बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता में मुझे कोई शंका नहीं है लेकिन या तो वे खुद कन्फ्यूज्ड थे या जो अखबार में रिपोर्ट निकली वह कन्फ्यूज्ड थी। उन्होंने कहा कि आई०पी०एस०, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० कोविजिलेन्स कमेटी ट्राई नहीं करेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह बात कहां से आयी। दूसरे उन्होंने कहा कि जो शिकायत उनके पास लिख कर जायगी उसी को वह कमेटी इंटरटेन करेगी, अपने इनिशियेटिव पर कोई कागनिजेन्स नहीं लेगी। मैं समझता हूं कि विजिलेन्स के माने ही हैं कि खुद एलर्ट रहें। मुख्य मंत्री जी ने कही कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी उसमें ही काम करेगा सही बात है। मगर एक बात यह भी है कि १४ साल में सिर्फ ५२ केसेज उसके सामने गये। जो मैगनिट्यूड हमारे यहां करप्शन का है अगर यही स्पीड रही काम करने की तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कहां तक सफलता होगी। मुझको इसमें आपत्ति नहीं है कि उसमें कितने आदमी रहें मगर डिस्पोजल आफ दि केसेज जल्दी होना चाहिये।

आखिरी बात कह कर मैं खत्म करूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन से ही आदमी इस बात को जांचता है कि सरकार की आइडियालोजी और पैटर्न क्या है। आज की जनता चाहती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन

[श्री नवलकिशोर]

क्लीन हो, प्राम्ट हो। उसमें जो देर होती है वह न होने पाये। गवर्नमेंट अपने आफिसर्स को जो ट्रेनिंग देती है उसमें काफी चेन्जेज किये हैं। उसके अन्दर और रिओरियन्टेशन होना चाहिये क्योंकि जिस समाजवादी व्यवस्था को हम कायम करना चाहते हैं उसके उपयुक्त अभी तक हमारी ब्यूरोक्रेसी का दिमाग नहीं है। उसकी जिम्मेदारी हम पर भी है और उन पर भी है। मैं केवल यह चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है--समाजवाद उसी के प्रति ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन्ड और आर्गेनाइज करना है।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ९ के विरोध में तथा कटौती का प्रस्ताव जो माननीय झारखंडे राय जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके पूर्व कि मैं अपने विचार रखूं मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इसकी रिपोर्ट आ गयी है। हमें तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ भ्रम है। आज दो रोज से यह बात हो रही है कि अनुदान पर बहस होने से पहले विभागीय रिपोर्ट सब के पास पहुंच जानी चाहिये लेकिन वह अब तक नहीं पहुंची और मुख्य मंत्री ने कल भी कहा और आज भी कहा कि रिपोर्ट आ गयी है तो यह उनका भ्रम है। बजट की रिपोर्ट अगर कहें तो वह ठीक है कि आ गयी मगर विभागीय रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची हैं। फिर हम आलोचना क्या करें? हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि सूत्रवत् लिखा है कि इतने एप्वाइंटमेंट्स हो गये। अब वह क्यों हो गये, क्या कारण था, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी हालत में हम केवल जनरल बातें ही कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमने संविधान में डेमोक्रेसी को माना है और जो ढांचा प्रशासन का है वही इसको चलायेगा परन्तु नौकरशाही उसी रूप से चली जा रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने विशेष रूप से अपने को मजबूत बनाने के लिये इसको बनाया था। उसी तरह से वह चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे हम देख रहे हैं कि जो मुख्य मंत्री आता है वह अपने शासन को अपने ढंग से चलाता है। जैसे संपूर्णानन्द जी के जमाने में मुख्य सचिव उनकी जाति के हो गये और गुप्ता जी के जमाने में उनकी जाति के हो गये। यदि प्रशासन को इस रूप में रखा जाय कि उससे जनता की सेवा हो, जनता के दुखों का निवारण हो और हर तरह से जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हो तो बहुत अच्छा है और इसके लिये नेशनल आउटलुक होना चाहिये। अधिकारियों को अपने को जनता का सेवक समझना चाहिये लेकिन नौकरशाही वर्ग अपने को राजा समझती है अगर कोई फरियाद लेकर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती।

ऊंचे कर्मचारियों के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन छोटे कर्मचारियों के संबंध में मैं कहूंगा जैसे कि नेगी जी का सप्लाई विभाग है, इसमें एक बोरी सीमेंट के लिये जितना मूल्य होता है उतना बाहर देना पड़ता है। इसी तरह से चीनी के वितरण में है और आपका पुलिस विभाग है उसमें रिपोर्ट लिखाने के लिये २ रुपये चाहिये। आगे बढ़े तो दरोगा जी सैकड़ों की बात करते हैं। इससे आगे जितने बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी मांग भी बढ़ती चली जाती है। जो शासन अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है। उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। इसका रिआर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से होना चाहिये।

माननीय नवलकिशोर जी को शासन का काफी अनुभव है। उन्होंने बताया है कि बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिनको कम किया जा सकता है। भुवनेश्वर प्रस्ताव का ढोल पीटा जाता है, लेकिन डिसपैरिटी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चपरासी और गवर्नर के वेतन में कितना अन्तर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको कम करना होगा। वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं। गरीब खा नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी तनख्वाह वालों के भत्ते में चौगुनी बढ़ौत्तरी हुई। भ्रष्टाचार के लिए मुख्य मंत्री जी ने माना है। लेकिन कहां तक उनके पास पहुंचता है इसका पता नहीं। इसके लिये विजिलेंस कमीशन की आयोजना है। लेकिन जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है, क्या इस कमीशन द्वारा मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी? सब से पहले मंत्रियों से खराबी शुरू होती है। यह लोग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में था कि बड़ी-बड़ी मोटरों में जायेंगे, पार्टी खायेंगे और लौट आयेंगे, वही रवैया आज भी है। अच्छी-अच्छी सड़कों पर गुजरते हुये फिर वापस आ जायेंगे। अभी नवलकिशोर जी ने कहा कि मुख्य सचिव नहीं हैं। अभी सात मिनट नहीं हुये वह मौजूद हो गये। इसी प्रकार अगर मिनिस्टर कड़ाई रखें अपने विभाग में तो बहुत कुछ खराबियां खत्म हो सकती हैं। विभाग में हर प्रकार की छूट हुआ करती है। उसके साथ-साथ मिनिस्टर्स में भी वही खराबी हुआ करती है।

अब मैं अपने क्षेत्र के करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। आज कल चकबन्दी चल रही है। उसमें इस कदर घूसखोरी चल रही है कि अगर जनता से पूछा जाय तो पचास फीसदी से ज्यादा लोग कहने को तैयार हैं कि हम लोग जमीन खरीद रहे हैं। माननीय माताप्रसाद या रणबहादुर जी कह दें, उनका चक अच्छा हो गया होगा, दाई कहती है कि सब दूध-भात खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। चकबन्दी में बहुत ज्यादा करप्शन है। चकबन्दी में उस समय करप्शन होता है जब कि चक बनाये जाते हैं।

इस विषय के अतिरिक्त एक विषय बहुत गंभीर है जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री विशेष ध्यान दें। वह है पाकिस्तानी एलीमेंट कह लें, चीनी एलीमेंट कह लें, जो विभागों में घुस रहा है। यहां पर एक माननीय सदस्य ने सूचना दी कि आपके सदन में ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से सम्बन्ध रखते हैं, उनका वहां कार्ड बना हुआ है, उनका हाउस अलाटेड है [***] पता नहीं चला लेकिन माननीय अहमद बख्श खड़े हो गये। कहने लगे कि यह जो भ्रम पैदा किया जाता है ऐसी बात भी हमारे सामनें न कही जाय। हम कहते हैं कि क्या माननीय अहमद बख्श को पता नहीं कि इसी प्रदेश में.....

श्री अध्यक्ष---

आपने जो यह शब्द कहें हैं 'चोर की दाढ़ी में तिनका" यह असंसदीय है। यह रेकार्ड से निकाल दिये जायं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

मैंने उनके लिए तो कहा नहीं। दरअसल दाढ़ी उनके जरूर है। उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था कि ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए। ऐसे तत्व मौजूद हैं आपके ट्रांस्पोर्ट विभाग में जो किसी समय भी पैरलाइज कर सकते हैं। अभी तक परसेंटेज की बात किया करते थे। क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उसमें कितना परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो उस डिपार्टमेंट को पैरेलाइज कर सकते हैं? आपको नेफा और लद्दाख से अनुभव लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि जो तत्व इस तरह के हैं उनकी छानबीन करनी चाहिए और उनको बढ़ने न देना चाहिए।

एक प्वांइट एग्जिक्यूटिव और जुडिशियरी का है। इसको सेपरेट होना चाहिए। कहते हैं कि हमने कदम उठाया है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। उनके कैरेक्टर रोल वगैरह एग्जिक्यूटिव में जाते हैं। जुडीशियरी बिलकुल निष्पक्ष होनी चाहिये और साथ ही साथ जो न्याय देर में मिलता है वह जल्दी मिलना चाहिये।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

दो बजे शास्ति होगी। अब दो बजे तक के लिये हम उठते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित सोशलिस्ट कार्यकर्ता की शास्ति

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री केशव सिंह को हाजिर किया जाय।

(मार्शल ने आकर यह सूचना दी कि श्री केशव सिंह उपस्थित नहीं हैं।)

श्री अध्यक्ष—

श्री केशवसिंह को शास्ति देने के आदेश इस आदरणीय सदन ने दिया था उसी आदेश का पालन करते हुये मैंने उनको पहले ४ फरवरी के लिये बुलाया था। उनके दो साथियों को और बुलाया था जिनके संबंध में भी इस सदन का आदेश था कि शास्ति दी जाय। ४ फरवरी को श्री केशव सिंह ने और दूसरे उनके साथियों ने एक प्रार्थनापत्र भेजा जो माननीय उग्रसेन द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उस पर माननीय उग्रसेन जी के समक्ष यह आदेश दिया कि तीनों व्यक्ति १९ फरवरी, सन् १९६४ को अवश्य उपस्थित हों। उसके उपरान्त इस सचिवालय से आवश्यक सूचना तीनों व्यक्तियों को भेजी गई। १९ फरवरी, १९६४ को श्री केशव सिंह बिना कोई कारण बताये उपस्थित नहीं थे। लेकिन मैं स्वयं बिलकुल असंदिग्ध रूप से संतुष्ट नहीं था कि श्री केशव सिंह के ऊपर हमारा आदेशपत्र तामील हो गया है और इस वजह से शंका का लाभ देने की दृष्टि से मैंने यह आदेश दिया कि श्री केशव सिंह के विरुद्ध उस दिन कोई कार्यवाही न हो और आज ३ मार्च को वह उपस्थित हों। आज के लिये उनके नाम भी रजिस्टर्ड आदेश पत्र भेजा गया था और डिप्टी कमिश्नर, गोरखपुर के पास भी आदेशपत्र भेजा गया कि वह केशव सिंह के ऊपर तामील करके हमें वापस करें। जो डाक द्वारा आदेश पत्र भेजा गया था वह वापस आ गया है और लिफाफे पर जो एंडोर्समेन्ट है वह है 'रिफ्यूज्ड' अर्थात् इनकार किया गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह किसने लिखा है 'रिफ्यूज्ड'?

श्री अध्यक्ष—

यह जहां तक मैं समझता हूं डाकिये ने लिखा है।

श्री उग्रसेन—

किसी की गवाही है उस पर?

श्री अध्यक्ष—

गवाही न भी हो, तो भी चूंकि यह सरकारी मुहकमा है इस वजह से माननीय उग्रसेन जी, जब तक कि हमारे सामने सबूत इस बात का पेश न हो कि यह इन्डोर्समेंट विश्वास के योग्य नहीं है, कानून यह कहता है और साधारण बुद्धि भी यह कहती है कि हमें इसको सही स्वीकार करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो आदेश पत्र डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया था कि श्री केशवसिंह के ऊपर तामील कर दीजिये, वह वापस आया है। इस आदेश पत्र के साथ एक सह पत्र भी था डिप्टी कमिश्नर के नाम जिसमें उनसे कहा गया था कि दो प्रति आदेश पत्र को भेजी

जाती हैं। एक श्री केशवसिंह को दे दी जाय और दूसरी पर हस्ताक्षर करा कर हमें वापस कर दीजिये। वहां से वह सहपत्र, जो यहां से भेजा गया था, वह वापस आया है और एक आदेश पत्र आया है। सहपत्र पर यह लिखा है कि चपरासी का बहलफ बयान है कि आज मुलाकात होने पर बजात खास तामील किया है। यह उसके ऊपर लिखा हुआ है। आदेश पत्र जो सहपत्र के साथ हस्ताक्षर करके वापस करने के लिये था उस पर लिखा हुआ है कि आज दिनांक २९ फरवरी, १९६४ को आपका आदेश प्राप्त हुआ, आने के लिये उत्सुक हूं परन्तु खेद है कि ट्रेन का किराया आदि की व्यवस्था करना मेरे लिये असंभव है। इसके नीचे लिखा है केशव सिंह, अध्यक्ष, स्वतंत्र संघ। मुझे खेद इस बात का है कि सहपत्र जो वापस आया है उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि सबमिटेड आफ्टर कम्पलायन्स, तहसील सदर। लेकिन तहसील सदर के दस्तखत उस पर नहीं है। जो इस आदेश प्रति पर लिखा हुआ है, उसमें भी किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं कि श्री केशव सिंह ने उस पर लिखा है। इस कारण से, मैं इसको पूर्णरूपेण स्वीकार करने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूं कि डाक का आदेश उनके पास गया, जो उनके ऊपर तामील होना था, और उन्होंने उसे लेने से इन्कार किया। इससे मैं यह समझता हूं कि वह उपस्थित होने में टाल-मटोल कर रहे हैं। अतः यह आदेश दिया जाता है कि····

श्री उग्रसेन--

जरा मेरी बात सुन लें। उस पर केशवसिंह जी ने यह लिखा है कि मैं आने के लिये उत्सुक हूं किन्तु मेरे पास पैसा नहीं है किन्तु इससे यह साबित नहीं होता है कि तहसीलदार जो उनको समन तामील करने के लिये गया, उन्होंने यह बात सच लिखी है क्योंकि इस पर उनके दस्तखत नहीं है और साक्षी भी किसी की नहीं है। इससे यह साबित नहीं होता है कि यह स्वयं केशव सिंह जी के ही बयान हैं।

श्री अध्यक्ष--

सिद्धांत की बात माननीय उग्रसेन जी ने छेड़ी। सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति अभियुक्त है, इस सदन का अभियुक्त है और जिसको इस सदन ने निश्चित रूप से दोषी ठहराया हो कि उसने इस सदन का व उसके एक माननीय सदस्य का अपमान किया है, और उसको सजा मिलनी चाहिये, उसका कर्तव्य यह हो जाता है कि अभियुक्त होने के नाते वह यहां उपस्थित हो और अगर वह किराया मांगता है तो एकमात्र तरीका यही रहता है कि हम उसके विरुद्ध वारंट जारी करें और वह गिरफ्तार हो कर यहां सदन में पेश हो। अतः मैं आदेश देता हूं कि अब श्री केशवसिंह के विरुद्ध वारंट जारी होगा और उनको हिरासत में लाया जायगा और वह १८ मार्च को इस सदन में प्रस्तुत हों।

श्री उग्रसेन--

एक निवेदन करना चाहता हूं। इस विधान सभा के इतिहास में आप पहली बार इस तरह का आदेश दे रहे हैं और आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि उसमें कुछ खामी रह गयी है। इसलिये केशव सिंह को एक मौका और दें ताकि उन को किराया न देना पड़े। कम से कम एक मौका तो उनको और दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री उग्रसेन--

कानून का मंशा यही होता है कि भले ही ९९ गुनाहगार छूट जायं, लेकिन एक बेगुनाह को फंसाया न जाय·····

श्री अध्यक्ष---

आप सुनिये। इस आदरणीय सदन की एक प्रतिष्ठित पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है। उसके नेता उग्रसेन जी ने आकर मुझ से कहा और केवल नेता होने के नाते मैंने तुरन्त उनकी बात को स्वीकार किया। अब उनका कर्तव्य यह था कि श्री केशव सिंह को पिछली मर्तबा जब बुलाया गया था तो उनको हाजिर करते। अब मुझे दुख है कि मैं उनकी बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, तो इसके लिये मुझे भी अफसोस है और इसलिये हम आपकी व्यवस्था के विरुद्ध १० मिनट के लिये सदन से वहिर्गमन करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह सदन का अवमान है और इसलिये आप और साथ में जितने सदस्य बाहर जायेंगे उनका मामला विशेषाधिकार समिति को जायगा।

(तत्पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मेरा एक निवेदन श्रीमन्, यह था कि आप इस वारन्ट को बेलेबिल कर दें।

श्री अध्यक्ष---

वारंट कैसा होगा, यह मैंने नहीं कहा। इस बात का ध्यान रखा जायगा। मैं आपको बतला दूं कि मैं आपकी बात की कद्र करता हूं। मैं स्वयं बिलकुल स्पष्ट नहीं हूं कि वारंट हमारे मार्शल ले जायेंगे या वह अदालत के जरिये जायगा। अगर हमारे मार्शल उसको ले जायंगे तो जब वे हमारे सामने उपस्थित होंगे उस दिन मैं बेल की परमीशन दे दूंगा या जो आर्डर मैंने दिया है, उसको यूं समझा जायगा कि १८ तारीख या उसके पूर्व वह उपस्थित हो जायं, तो वह कार्यवाही हो जायगी। उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर मार्शल वारंट ले जायेंगे तो मेरे सामने ही वह उपस्थित होंगे और अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो यथाशक्ति आपकी बात का ध्यान रखा जायगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस संबंध में हमने एक आदेश पत्र पहले भी डिप्टी कमिश्नर, गोरखपुर को भेजा था। उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया कि हम आदेश पत्र तामील कर चुके हैं और भेज रहे हैं परिणाम यह हुआ कि पहली तारीख को हमारे यहां से तार भेजा गया कि तार द्वारा सूचना दी जाय कि केशव सिंह पर आदेश पत्र तामील हुआ या नहीं। लेकिन यह होते हुये भी तार का उत्तर तार द्वारा न दे कर, ४ तारीख को यहां पेशी थी, ६ तारीख को उन्होंने पत्र लिखने का कष्ट किया कि हमने तामील किया है। (शेम शेम की आवाजें) उसी प्रकार अब की बार मुझे दुख है कि हमारा आदेश पत्र गया, उसके साथ सहपत्र था। उन्होंने उसको तहसीलदार के सुपुर्द कर दिया और तहसीलदार ने भी बहुत ही केयरलेसनेस के साथ उसको तामील किया। यहां तक कि जो सहपत्र भेजा है उस पर हस्ताक्षर तक उन्होंने नहीं किये। मैं इस फाइल को मुख्य मंत्री जी के पास भेजूंगा और मैं चाहूंगा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और मुझे सूचना दी जाय कि क्या कार्यवाही इस संबंध में हुई है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

एक निवेदन करूंगा कि क्या इसमें हाउस के रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है कि वारंट इश्यू किया जाय?

श्री अध्यक्ष—

नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता क्यों हो ?

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन—(क्रमागत)

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन का अनुदान पेश किया है उसके संबंध में मुझे आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है ।

(इस समय २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

मैं मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि वह अपने ऐड-मिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगी । साथ ही साथ जो विजिलेंस कमीशन का अनाउन्समेंट पहले भी किया था और आज पुनः किया, इसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं । साथ ही साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल दो बातें इस देश और प्रदेश में ऐसी हैं जिनकी विशेष चर्चा अनेक रूपों में हो रही है । एक तो यह समाजवाद और दूसरे करप्शन को खत्म करना । जहां तक करप्शन को खत्म करने की बात है और एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है तो उसकी नींव सेक्रेटेरियट में है और यहीं से उसे खत्म करना होगा । मैं बड़े अदब से दो एग्जाम्पिल पेश करना चाहता हूं । अभी कुछ देर पहले घोषणा हुई कि २–३ महीने के अन्दर कदम उठाया जायगा, मुझे खुशी है, मगर दो एक अफसरान के नाम पेश करना चाहता हूं जैसे कि एक बसंतसिंह सेठ नाम के अफसर हैं जो हमारे मेडिकल सेक्रेटरी हैं और फूड एन्ड सिविल सप्लाइज का काम देख रहे हैं । वह ७ साल से इस उत्तर प्रदेश सरकार की लखनऊ राजधानी में अपनी राजधानी बनाये हुये हैं । मैं नहीं समझ सकता कि किसी भी सरकार के लिये जो कई बार इस किस्म के अनाउन्समेंट करती हो और जो अपनी नीति में आस्था रखती हो, वह कैसे इतने अधिक समय तक अपने अफ़सरों का ट्रांस्फर करना उचित नहीं समझती । क्या उनसे काबिल या उनके बराबर काबिल अधिकारी हमारी सरकार के पास नहीं हैं ? आज इस प्रदेश में जो भीषण खाद्य संकट उपस्थित है उसका बड़ा भारी कारण यह है कि हम इस उच्चाधिकारी का ट्रांस्फर नहीं कर सके और सरकार अपनी नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक निवेदन है कि किसी अफसर का नाम लेकर न कहें, यह अनुचित बात है । जो लोग प्रेजेंट नहीं हैं उनके नाम अवायड कीजिये । गवर्नमेंट सब बात के लिये रेस्पांसिबिल है, इंडिविजुवल आफिसर का सवाल नहीं है ।

श्री राजनारायण मिश्र—

किसी अफसर के नाम और व्यक्तित्व से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब उनके पद से है और एक निश्चित अवधि तय होनी चाहिये कि महीने, दो महीने, ६ महीने, साल भर में ऐसे अफसरों से मुख्य मंत्री जी मुक्ति दिलाकर जिलों में भेजें । जहां तक करप्शन का संबंध है, कानपुर में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे एस०डी०एम्स० की जो कोर्ट्स हैं वहां इंसाफ नीलाम हो रहे हैं । यह बड़े दुख की बात है कि जिस देश की शासन सत्ता कांग्रेस के हाथों में हो, जिसने समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया हो, जहां पर जुडिशियरी भी सेप्रेट हो, वहां पर अदालतों में करप्शन दूर न हो पाये । इसका एक नमूना मैं पेश करूंगा, माननीया मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें । चाहे वें विजीलेंस कमीशन के द्वारा या सी०आई०डी० द्वारा उसकी जांच करायें । हमारे यहां डेरापुर के एक एस० डी० एम० साहब हैं, उन्होंने अमरौधा ग्राम की एक पार्टी पर किसी पार्टी विशेष के इंटरेस्ट को लेकर दफा १०७ चलाना चाहा

[श्री राजनारायण मिश्र]

उस संबंध में जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी, मैं तो इस आदमी को जेल भिजवाऊंगा और ३ दिन तक जमानत नहीं लूंगा। मैं फिर जिलाधीश, कानपुर के पास गया और कहा कि हाकिम परगना साहब ऐसी बात कहते हैं। जिलाधीश ने कहा कि आप चिन्ता न कीजिये, ऐसी बात नहीं होगी, मैं उनसे कह दूंगा। उसके बाद उन एस० डी० एम० महोदय ने भोगनीपुर के थाने के थानेदार से कहा कि फलां-फलां आदमी पर १०७ का मुकदमा चलाना है, उसको फांसो, मैं फिर एस०डी०एम० के पास गया और उनसे कहा कि जब आपको स्वयं १०७ चलाने का अधिकार है तो आप दरोगा जी के थ्रू यह क्यों करवा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं डाइरेक्टली इन्वाल्व हूं। मैं फिर कुछ लोगों को लेकर पुनः जिलाधीश के पास गया और कहा कि आपने जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई अब जो हो गया सो हो गया, मैं इस केस को दूसरी जगह ट्रांसफर किये देता हूं। उसके बाद श्रीमन्, उन एस० डी० एम० के खिलाफ अखबारों में भी तमाम बातें छपी हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बातें छपी हैं उनके खिलाफ, उसकी जांच करायी जाय।

तीसरी बात मैं करप्शन दूर करने के संबंध में कहूंगा। इसको दूर करने के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि विजिलेंस कमीशन एक तरफ हो, दूसरी ओर आप इस सदन के कुछ सदस्यों की जिस तरह से और विभिन्न प्रकार की कमेटियां हैं, डिवीजन वाइज एक कमेटी बना दें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठ कर भ्रष्टाचार के मामलों को देखे और केसेज को विजिलेंस कमीशन को दे। जो भी जन प्रतिनिधि हों, मैं चाहता हूं उनकी राय की कद्र होनी चाहिये। उन केसेज पर विजिलेंस कमीशन विचार करे। मैं नहीं समझता कि विजिलेंस कमीशन अकेला इतने बड़े प्रदेश के काम को कैसे संभाल सकेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि डिवीजन वाइज इस सदन द्वारा मनोनीत कुछ माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय और उसमें अगर जरूरत समझी जाय तो जिला परिषद् के अध्यक्ष को भी उसका एक्स-आफिशियो मेम्बर रखा जाय। इस तरह से करप्शन दूर करने में काफी मदद मिल सकेगी।

इसके साथ ही साथ, मैं एक दूसरा नमूना पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधियों की तथा कमेटी की राय की कद्र करता है। जिला कानपुर में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मनोनीत एक कमेटी है। उस कमेटी ने सर्वसम्मति से एक पर्टीक्यूलर नाम के लिये सिफारिश की। लेकिन उसके लिये न्याय मंत्री जी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों ने कहा है कि उसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट है। इस सम्बन्ध में, माननीया सुशीला रोहतगी तथा कुछ और सदस्य फिर न्याय मंत्री के पास भी गये। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति सरपंच है। मैंने कहा कि नहीं है। उन्होंने कहा कि लिखकर दो। मैंने लिखकर दिया लेकिन आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। ऐसी इन्क्वायरी में कितनी देर लगती है ? अगर वह सरपंच नहीं हैं तो जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। श्रीमन्, इस प्रदेश में नौकरशाही ने ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर स्थापित कर रखा है जिसका एक उदाहरण पेश करता हूं कि—१२ जून, ६३ को मैंने पी०डब्लू०डी० के चीफ इंजीनियर को खत लिखा कि कालपी यमुना घाट पर उनके ठेकेदार किस कदर हाई चार्जेज लेकर नाव से लोगों को पार कर रहे हैं, आठ आने और १ रुपया तक ले रहे हैं। मैंने राज्यपाल को और मुख्य मंत्री को भी लिखा। मुख्य मंत्री और राज्यपाल का तो २६ जून को मेरे पास जवाब आ गया लेकिन आज ८,१० महीने होने पर भी चीफ इंजीनियर का कोई पत्र नहीं आया हालांकि मैंने रिमाइंडर भी दिया। वहां फेयर वेदर ब्रिज भी बन गया। अगर ऐसे अधिकारियों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं होती है तो कैसे समाजवाद आवेगा ? समाजवाद कोई इंजक्शन नहीं है। दिल और दिमाग का बदलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो भाषण हुए वे मैंने सुने और खास तौर से झारखंडे राय जी ने नौकरशाही का बड़ा भारी कसूर बतलाया है । नौकरशाही का कसूर मैं दूसरे नम्बर पर मानता हूं । आज जो सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है उसके राजनैतिक कारण हैं । जिस बीज में ही गलती होती है तो उसकी फसल भी गलत होती है । यह प्राकृतिक सिद्धांत है । पंत जी के जमाने में कुछ गनीमत रही चूंकि उसी समय अंग्रेजी सरकार हटी थी और कांग्रेस के लोगों को जनता देवता समझती थी और उस समय कांग्रेस पार्टी में भी गुटबंदी नहीं थी । उसके बाद माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सरकार को जैसे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने तिकड़म से छीना, जिन हथकंडों से उन्हें अलग किया, वह किसी से छिपा नहीं है । इस सरकार के, कांग्रेस सरकार के, मंत्री चुनाव में हारकर काउन्सिल द्वारा मेम्बर बने और मंत्री बने । यह कितनी अप्रजातांत्रिक बात है कि ऐसे आदमी ८ करोड़ लोगों के ऊपर आन कर बैठे ? तो इस सरकार की तो बुनियाद ही खराब है । माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी जिस झटके में आये वैसे ही उस झटके में गये । यह बात उन मंत्रियों की है जिनका काम रोज तिकड़म करना, राजनैतिक सत्ता के लिये गलत काम करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है । इनके लिये कहां से विजिलेंस कमीशन लावेंगे और कौन निगरानी करेगा ? और निगरानी करेगा किस-किस की जब सारा अमला ही खराब है ? अब माननीया सुचेता जी की सरकार आई है । जितना मैं समझ पाया हूं, ये बेचारी कांग्रेस पार्टी के अन्दर आकर गलत फंस गई । (श्री हरी सिंह के कुछ कहने पर) माननीय हरीसिंह जी, मैं आपसे साफ कहता हूं कि एक-एक कांग्रेस पार्टी के विधायक ने यह तो मैं नहीं कहना चाहता कि रुपया लिया होगा परन्तु गलत हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं रखी, मुख्य मंत्री के चुनाव के दौरान में । मुझे याद है कि ४ बजे ठाकुर हुकुम सिंह जी कहते हैं कि हमहु ठाढ़ हैं, हरगोविंद सिंह जी कहते थे कि हमहू ठाढ़ हैं । मगर हुआ क्या ? मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर सुचेता जी दूसरे प्रान्त की रहने वाली नहीं होतीं और उत्तर प्रदेश में आकर यहां के कांग्रेस के गुटों में एक माध्यम न बनतीं तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त के दल में दो दल बनते और तीसरा दल कमलापति का था ही । इस प्रकार ३ दल हो जाते, तब सामान्य प्रशासन कैसे चलता ? यह अच्छा हुआ कि सुचेता जी न किसी जाति की, न किसी धर्म की और न किसी प्रान्त की थीं और वह यहां मुख्य मंत्री बनीं ।

आज इस प्रशासन में राजनैतिक भ्रष्टाचार है और अगर वह दूर हो जाय तो कोई झगड़ा नहीं है । वह भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रत्येक मंत्री ८ करोड़ जनता का वारिस बनने के लिये यह समझे कि मेरा यह नैतिक कर्त्तव्य है कि इन आपसी झगड़ों को खत्म किया जाय । तभी हमारा सामान्य प्रशासन भी ठीक चल सकता है । जिस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त जाने वाले थे, कामराज प्लान में, उस समय की हालत आपको मालूम है । मैं भी उनसे मिलने गया था । एक-एक विभाग के मंत्री के पास सैकड़ों फाइलें जमा थीं, कोई देखने वाला नहीं था । सबको यही चिन्ता थी कि अब मुख्य मंत्री कौन बनेगा । २ महीने इस प्रदेश में कोई सरकार नहीं रही । जिस समय इनका चुनाव-चक्र चला उस समय यहां कोई सरकार नहीं थी । न कोई ला रहा, न कोई आर्डर रहा । क्लर्कों और सेक्रेटरी ने जैसा चाहा वैसा किया । मंत्री लोग इसी फिक्र में थे कि वह मंत्रिमंडल में लिये जावेंगे या नहीं । अगर राजनैतिक सत्ता की भूख कांग्रेस के लोगों से १५,१६ साल से हट गई होती तो आज यह रोना नहीं होता । उपाध्यक्ष महोदय, आपके मातहत आदर्श पावेंगे आपके कार्यों से । अगर आप ला एंड आर्डर को ठीक चला रहे हैं तो आपके सबार्डिनेट भी ठीक काम करेंगे । यह सरकार किसी भी तरीके से प्रशासन को ठीक नहीं चला पा रही है । सारी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहेगा । जब तक यह सरकार अपनी राजनीतिक तिकड़म और

[श्री राधेश्याम शर्मा]

सत्ता की भूख नहीं छोड़ेगी तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। नौकरशाही की बात नम्बर २ पर है। नम्बर १ पर इन्हीं की राजनैतिक सत्ता की भूख है।

दूसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि वह मितव्ययिता चाहती है। कहां वह मितव्ययिता कर रही है? एक एक मंत्री का ईमानदारी से कितना खर्चा है? कितनी मिसालें आपको दूं? मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज चीन का संकट है। बेकारी, भुखमरी और गरीबी चल रही है, विधान भवन के दरवाजे पर जब हम जाते हैं तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त के जमाने में तो नहीं हुआ लेकिन सुचेता जी के जमाने में २०,२५ हजार रुपया खर्च करके दरवाजे में रेखा-चित्र बनवाये गये। इस प्रकार की फजूलखर्ची सरकार रोज-रोज कर रही है। क्या इससे चपरासियों का वेतन बढ़ सकता है? कहां तक हम इस बात को कहें? कोई सरकार अगर ठीक ढंग से प्रशासन को चलाये होती और सही तरीके से कोई लक्ष्य अमल में लाई होती तो भी कुछ कहने को हो सकता था। माननीय हुकुम सिंह जी रोज कहते हैं कि इस प्रदेश की विधान सभा में विरोधी दल तो वही पिटी-पिटाई पुरानी बातें कहता है। आपके पास क्या नयी बातें हैं अगर आप अपनी पुरानी गलतियों और भूलों को रोक नहीं पाते हैं, तो विरोधी दल मजबूर होकर उन्हीं बातों को आपके कानों में रोज पहुंचाता रहेगा। पारसाल उग्रसेन जी ने कहा था कि सुरसा जैसा मंत्रिमंडल है। अब की बार किसी ने सुरसा मंत्रि-मंडल तो नहीं कहा। फिर हमको आप यह क्यों कहते हैं कि हम गलत बात कहते हैं। अभी भी आपका मंत्रि-मंडल बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेटिक सेटअप में इतना बड़ा भारी मंत्रिमंडल चलाना नहीं चाहिये, मंत्रिमंडल में मितव्ययिता बरतनी चाहिये। अनजाने में हर सरकार गलती कर सकती है परन्तु जानबूझ कर जब यह सरकार गलती करती है और फिर भाषण दिये जाते हैं कि हम मितव्ययिता करते हैं, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, तो वह कटे पर नमक के समान असर करता है और तब हमको भी गुस्सा आता है। जब आप अपनी आदत को बदलेंगे तो हमारी भी बदल जायगी अगर यह सरकार अपनी आदत को बदल लेगी तो विरोधी दलों की आदत स्वयं ही ठीक हो जायगी।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में माननीया मुख्य मंत्री ने जो सामान्य प्रशासन की मांग प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसके सम्बन्ध में मैंने बहुत से भाषण आज यहां सुने। माननीया मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सर्विसेज के लिये जो करप्शन के चार्जेज लगाये जाते हैं उनके प्रति हम जागरूक हैं, विजिलेन्स कमीशन का कायम करना उस दिशा में एक कदम है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि विजिलेन्स कमीशन किस प्रकार से इफेक्टिव हो सकता है। वह कहते हैं कि वह तो उन्हीं बातों की जांच कर सकेगा जो उसके सामने जांच के लिये आयेंगी परन्तु माननीया मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि इसको तो हम एक्सपेरीमेंट के लिये रख रहे हैं, ६ महीने के बाद जैसा उचित होगा वैसा कदम उठायेंगे। यह एक बहुत ही आशाजनक बात है। सब ओर के माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत ही व्यापक रूप में मौजूद है। यह बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यह देखना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार कहां नहीं है। पहले तो यह कहा जाता था कि अमुक सर्विस में, अमुक वर्ग में भ्रष्टाचार है लेकिन आज यह नहीं कहा जा सकता कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन इस बात का, कि हमारा राजनैतिक और सामाजिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है, सर्विसेज के लिये जो आदमी हमें मिलते हैं उनका नैतिक स्तर ऊंचा नहीं है, बहाना करने से काम नहीं चल सकता है। यह तो शासन की पूर्णतया जिम्मेदारी है। अगर कोई भी मिनिस्टर या हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट दिल से भ्रष्टाचार दूर करना चाहे और उसे समय मिले तो वह उसको समूल नष्ट नहीं कर सकता तो बहुत हद तक समाप्त तो कर ही सकता है। लेकिन अफसोस है कि इस ओर ध्यान देने के लिये उनके पास समय नहीं है। वे चाहें तो बंद कर सकते हैं। जिले के जो कचहरियों में प्रीसाइडिंग आफिसर्स हैं अगर वे चाहें कि उनके पेशकार और अहलमद रिश्वत न लें, तो कोई कारण नहीं कि उनकी रिश्वत

बन्द न हो जाय। लेकिन उस तरफ तवज्जह बहुत कम है। माननीया मुख्य मंत्री से तथा और मंत्रिगण से मेरा निवेदन है कि इस तरफ वे विशेष ध्यान दें।

जहां बहुतसी बातें कही गयीं वहां यह भी कहा गया कि बगैर इत्तिला दिये हुये मंत्रियों को प्रदेश के जिलों में जाना चाहिये और उन्हें स्वयं देखना चाहिये कि वहां की हालत क्या है। यह भी एक रास्ता हो सकता है लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि एक मिनिस्टर और हेड आफ दि डिपार्टमेंट या कलेक्टर या अन्य अधिकारियों का यह कह देना ही पर्याप्त होगा कि यदि उनके विभाग के अन्तर्गत कोई भ्रष्टाचार पाया जायगा तो उसके लिये वह जिम्मेदार होंगे। लेकिन उस तरफ उतना ध्यान नहीं है जितना कि होना चाहिये। ठीक है कि उस दिशा में कुछ हो रहा है लेकिन मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मिनिस्टर्स और हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स इस पर विशेष ध्यान दें। यह भी कहा गया कि हमारी सर्विसेज यानी ब्यूरोक्रेसी पुराने अंग्रेजों के जमाने से आई हुई है और वह इस काम के लिये नहीं थी जो काम कि आज उनसे लिया जा रहा है। वह ब्यूरोक्रेसी जो एक विदेशी सरकार की हुकूमत को चलाने के लिये थी वह आजकल के सोशलिस्टिक और कल्याणकारी राज्य के मकसद को पूरा करने में असमर्थ है और यह बात सही है जो श्री नवलकिशोर जी ने कही थी कि उस ब्यूरोक्रेसी से जो हमने अंग्रेजों से पायी है उससे जो कुछ काम लिया जा चुका है या ले रहे हैं वह किसी हद तक क्रेडिटेबिल है। मैं मानता हूं कि यह ठीक है और इस बात से भी मैं सहमत हूं जो उन्होंने बाद में कहा कि नौकरशाही ने हम पर ज्यादा असर डाला बनिस्बत इसके कि हमारा असर उन पर ज्यादा पड़ता। यह बात सही है कि उन पर जितना असर हम डाल सकते थे उतना असर नहीं डाल सके। चुनांचे इसका नतीजा है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि जो नौकरशाही है उसका समाजवादी नीति से कोई नाता नहीं मालूम पड़ता। वह केवल अपनी बड़ी–बड़ी तनख्वाहें लेने में और हुकूमत करने में ही खुश रहती है। इसी वजह से बहुत से समाजवादी ढंग के कार्य जो होते हैं उनको करने में सरकार सफल नहीं हो पाती। आप जानते हैं—यह अक्सर कहा जाता है कि चकबंदी में बड़ा भ्रष्टाचार है। यह मैं मानता हूं कि चकबंदी की नीति बहुत अच्छी है और उसके जो कार्य हैं वे बहुत अच्छे हैं। इसके सिद्धांत व उसूल से किसी को भी कोई मतभेद नहीं हो सकता लेकिन ब्यूरोक्रेसी जिसे गवर्नमेन्ट की इस अच्छी नीति को अमल में लाना है वह जिले में किस तरह से इसको कार्यान्वित कर रही है, इसे भी आप देखें। चकबंदी में जिसके पास कुछ गांव में जमीन है अगर उसने सी० ओ०, ए० सी० ओ०, एस० ओ० सी० को खुश कर दिया तो उसे बहुत बढ़िया जमीन मिल गयी। इस तरह से वह खुद भ्रष्ट होता है और कर्मचारी को भी भ्रष्ट करता है।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने जो वक्तव्य दिये हैं उनको सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे सामान्य प्रशासन में जो खामियां हैं और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में हमारी मौजूदा सरकार जो भी कार्य करना चाहती है या जो भी योजना वह कार्यान्वित करना चाहती है अपने प्रदेश में, वह सफल नहीं हो पाती। उसका मूल कारण वह भ्रष्टाचार ही है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से सरकार से निवेदन किया और जो आलोचनायें प्रशासन की हुई वह वास्तव में बहुत ही सही हुई और हमारे मंत्रिगण भी इसको महसूस करते हैं कि जो आलोचनायें और त्रुटियां हमारे प्रशासन में हैं वह सही हैं। लेकिन इस पर भी यह बात समझ में नहीं आती कि जब वह मानते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो उसको वह नष्ट करने में क्यों अपने को असमर्थ पाते हैं, क्या उन के पास अधिकार नहीं हैं या कोई साधन नहीं हैं? वह हम से अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि वह तो धीरे-धीरे ही खत्म होगा। परन्तु इस १७ साल की बड़ी अवधि में यदि वह किसी अनुपात में भी खत्म हो जाता तो हम आशा कर सकते थे कि वह एक दिन बिलकुल समाप्त हो जायगा। आज हालत यह

[श्री मदनपालसिंह]

है कि ज्यों-ज्यों साल अधिक बीतते जाते हैं त्यों त्यों भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह फैलाता जाता है ।

अभी शास्ति के सम्बन्ध में हमने देखा कि कुछ कर्मचारियों ने सदन के आदेशों तक का पालन नहीं किया । इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जब माननीय सदन के आदेश ही कर्मचारी नहीं मानते तो मामूली जनता के प्रति उनका क्या व्यवहार होता होगा और वह प्रशासन में किस तरह से जनता को न्याय दे सकते होंगे और किस तरह से जनता की बात उन के यहां सुनी जाती होगी । मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारे यहां भ्रष्टाचार तो बाकायदा कानूनी हक मान लिया गया है, बड़े-बड़े अहलकार उस को दस्तूर मानते हैं और सरेआम वह हक लिया जाता है और कहा जाता है कि काम के पहले दस्तूर दो । हम सब और मैजिस्ट्रेट यह सब सुनते और देखते रहते हैं कोई कुछ नहीं कहता । अव्वल तो कोई इस की शिकायत ही नहीं करता क्योंकि सब पिछड़े हुये और अशिक्षित लोग हैं । वह समझते हैं कि यह दस्तूर तो कानूनी चीज है । मैंने खुद रजिस्ट्री में देखा है कि १०० रुपये का स्टाम्प लीजिये तो उन का सीधे सीधे कहना है कि १०० रुपया दस्तूर का और दो, आस-पास जो बैठे रहते हैं वह भी कुछ नहीं कहते, वह मजबूर हो जाता है और वहां का दस्तूर समझ कर दे देता है क्योंकि सभी को वह देना होता है । सारे मंत्रि-मंडल के लोग और यहां के सदस्य इस बात को जानते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और कोई असर नहीं होता तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस को कौन दूर करेगा ।

हमारे यहां चरखेरी बाजार लुटा, उसके विषय में यहां प्रस्ताव आया और खाद्यमंत्री जी ने उस पर अपना वक्तव्य दिया और जो सूचना मांगी गई थी वह सब गलत दी गई । वहां पर पहले से कोई सस्ते गल्ले की दुकान नहीं थी लेकिन कहा गया कि वहां दुकान मौजूद थी । वहां पर बाजार के लुटने का कारण भुखमरी था, कुछ महिलाओं ने उस को लूट लिया लेकिन स्टेटमेंट में दूसरे लोगों को बताया गया और गिरफ्तार किया गया । वहां के अधिकारियों ने वहां की भुखमरी की अवस्था को पहले से महसूस नहीं किया और हालत का सही अन्दाजा नहीं किया । वह अफसर बैठे रहते हैं, बड़े-बड़े अफसर, जिला मैजिस्ट्रेट मौज उड़ाते हैं और जो कुछ उनसे नीचे के कर्मचारी कह देते हैं वही वह मान लेते हैं । कागज पर देखने से मालूम होता है कि स्थिति बिलकुल ठीक है और सब प्रबंध कर दिया गया है, यहां मंत्री जी कह देते हैं कि उन्होंने कलेक्टरों को अधिकार दे दिया है कि वह जरूरत के अनुसार चाहें जितनी दुकानें अपने क्षेत्र में खोल सकते हैं । कागज पर उन की यह स्कीम बिलकुल सही है लेकिन वह मौके पर कार्यान्वित नहीं होतीं । इसका दोष स्कीम बनाने वालों पर है । हमारे यहां हालत यह है कि ग्रामवासियों को शकर देखने तक को नहीं मिलती ।

अभी होली में देखा मुश्किल से एक गांव में २, ३ सेर चीनी दी गई और कह दिया कि शकर खत्म हो गई । तहसीलदार और एस० डी० एम० से कहा जाता है कि देहातों में शकर देखी जाय या खायी जाय । कुछ अन्दाज नहीं पड़ता । वही हाल सीमेंट का है । मैंने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली देखी जो १९५६ की है उसमें लिखा है कि अगर वह चाहें तो शराब पी सकते हैं । जहां एक तरफ शराब बन्दी करें वहां दूसरी तरफ आचरण नियमा-वली में रखें कि शराब पी सकते हैं । लेकिन हां, ज्यादा नहीं पी सकते जो बेहोश हो जायं, तो माने यह हुए कि जिसको गांधी जी नहीं चाहते थे और हम लोग भी मानते हैं उसको करने की मजाजत दे रहे हैं । इसका मतलब यही हुआ कि जो मंशा सरकारी कर्मचारियों की होती है, सही हो या गलत, उस को नियमों में रख देते हैं । बहुत से कर्मचारियों को कहा गया कि नज-राना नहीं लेंगे । लेकिन साथ साथ नियमावली में यह भी रख दिया गया कि अगर वह चाहें तो किसी भेंट के स्वरूप अपने अच्छे काम के बदले में ५१ रु० तक ले सकते हैं । जैसे किसी डाक्टर ने अच्छा आपरेशन किया तो ५१ रु० तक भेंट स्वरूप ले सकता है । इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार फैलेगा और इसको अगर खत्म नहीं कर पाते तो समाजवाद का नारा चाहे कितना लगाये और प्रयास करें उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि मूल कारण जो भ्रष्टाचार कि है उसको खत्म नहीं

करते । आप की सब चीजें, स्कीमें बेकार जायेंगी, चाहे आप विजिलेंस कमेटी बनायें या कुछ और करें। हमने देखा कि हर जिले में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये एन्टी करप्शन कमेटी बनीं लेकिन उसको खत्म नहीं कर पायी। वही नतीजा इस विजीलेंस कमेटी का होगा। हम लोगों की बात नहीं मानी जाती और सरकारी कर्मचारियों की बात मानी जाती है। यहां तक कि लेखपाल की बात मानी जाती है बनिस्बत एक एम० एल० ए० के।

मेरे यहां चरखारी तहसील में पाला, ओला पड़ा पर वहां से जो रिपोर्ट आयी उसमें ४ आने नुक्सान की ही रिपोर्ट आयी। मैंने खुद ४,६ गांवों में देखा कि ५० से ७५ परसेंट तक नुकसान हुआ है। लेकिन पहले से तहसील से पटवारी और कानूनगो को आदेश दिये गये कि ४ आने से कहीं ज्यादा रिपोर्ट न आने पावे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी मिनिस्टर चरखारी तहसील में जा कर देखे तो पायेंगे कि वहां ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है कम नहीं। लेकिन चूंकि पटवारियों को पहले से आदेश हैं तो वह बेचारा मजबूर है। गांव वाले उससे पूछते हैं तुमने क्यों गलत रिपोर्ट की। वह कहता है हम क्या करें ऊपर के ऐसे ही आदेश हैं कि ४ आने से ज्यादा रिपोर्ट नहीं आनी चाहिये। यहां कहा जाता है कि किसानों को हर तरह की सुविधायें देने को सरकार तैयार है लेकिन यहां कोई आंकड़े सरकार के पास नुकसान के आते ही नहीं, कभी सही बात आपके सामने आती ही नहीं। तो अगर आप इस ओर ध्यान दें तो किसानों को कुछ मदद हो सकती है।

*श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बजट पर जिसको हमारे लायक, हरदिल अजीज और काबिल चीफ मिनिस्टर ने पेश किया है, उस की ताईद में कुछ अर्ज करता हूं। हमारी खुशकिस्मती है कि बजट को एक ऐसे चीफ मिनिस्टर ने पेश किया है जो कि क्रास्टिज्म, कम्युनैलिज्म और ग्रुपिज्म से बालातर है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज ऐसे चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश के हैं खासकर ऐसे मौके पर जब कि इसकी बेहद जरूरत थी। वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन इस सिलसिले में मेरे कुछ खास खयालात हैं इसलिये मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अर्ज करूं। दूसरे यह एक अहम जगह है और इस बात का अहसास रहता है कि कोई ऐसी बात मुंह से न निकले जिसका असर सारे प्रदेश पर हो। वैसे तो वहां पर ऐसी ऐसी बातें भी कह दी जाती हैं कि जिससे बजाय फायदे के नुकसान हो जाता है। कह दिया जाता है कि जगह जगह पर गल्ले की दुकानें लुट रही हैं। इससे अफवाहें फैलती रहती हैं। इस सोशलिस्टिक-स्टेट में हम लोग प्रजा के नुमाइन्दे हैं और ला मेकर्स हैं लेकिन हमारे आफिसर्स हैं उनको शासन चलाने का काम दिया जाता है। जिस तरह से हम एक किश्ती पर बैठते हैं और किश्ती के एक्सपर्ट चलाने वालों के हाथ में पतवार दे देते हैं। समन्दर में अगर कोई तूफान आता है तो उस वक्त हमें उनको एन्करेज करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी जो उस किश्ती में बैठे हुए हैं डूब जायेंगे। ठीक उसी तरह से शासन की पतवार अफसर लोगों के हाथ में रहती है। उसके बाद जब कोई उलझन या तूफान होता है और उसमें हम कहने लगे कि करप्शन है करप्शन है तो उससे किसी तरह का एन्करेजमेंट नहीं मिलता है। उन पर ढेलेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। हमें उन्हें एन्करेज करना चाहिये। यह हो सकता है कि कुछ अफसर खराब हों लेकिन सब के सब अफसर खराब हों यह तो नहीं हो सकता है आप लोग न जाने क्यों नौकरशाही के बारे में ऐसी बातें कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरा समाज ही सुधर जाय। आज जो अफसर अच्छे काम करते हैं उनकी कोई तारीफ नहीं की जाती है। उनको एन्करेज नहीं किया जाता है। मैं कहता हूं कि आज काश्मीर में जो हजरतबल की चोरी हुई थी, उसको ढूंढ निकालने का काम भी एक अफसर ने ही किया था। इसलिये मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारे कुल अफसर खराब हैं? इसका इलाज एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अमजद अली]

ही है कि यहां स्प्रिचुअल सोशलिज्म पैदा हो जिससे अवाम में ईश्वर, खुदा का डर पैदा हो और हर कदम उठाते वक्त अवाम उससे डरता रहे। या फिर मेटीरियलिस्टिक सोशलिज्म पैदा हो जैसे रूस और चीन में है। लेकिन हिन्दुस्तान में स्प्रिचुअल सोशलिज्म लाने की जरूरत है जिससे पूरे समाज में तब्दीली पैदा हो जाय, उससे सब ठीक हो जायगा।

मैं अपने जिले के बारे में यह बात कहना चाहता हूं कि वहां २६ लाख की आबादी है। एक कलेक्टर है जिस पर सारी जिम्मेदारी है। वहां एक ए० डी० एम० की जरूरत है। २६ लाख की आबादी पर भी एक कलेक्टर और ८ लाख की आबादी पर भी एक कलेक्टर। एक आदमी इतनी बड़ी आदादी में कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है ६, ७ सौ दूकानें गल्ले की आपने वहां खोल दी हैं। तीन इंस्पेक्टर कैसे उनका मुआइना कर सकते हैं? फिर शिकायत होगी कि ब्लैक हो रहा है। इन चीजों की तरफ सरकार ध्यान दे।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन का ऐसा विषय है जिस पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी आधारित है। चाहे प्रधान मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे देवता हों या भगवान हों लेकिन जो स्कीम वह डिक्टेट करेंगे वह नौकरशाही के जरिये ही इम्पलिमेंट होगी। अगर जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासन के अधिकारी के नचाते रहे या उनके हाथ में मिनिस्टर खेलते रहे तो हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र कभी नहीं चल सकता। अंग्रेज ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद लार्ड कर्जन के समय में चीफ सेक्रेटरी आये, उनके नीचे के अधिकारी आये। उनको इन कलाकारों के जरिये जनता को रेतना था। लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि हो कर आये हैं। उस को लूट कर नहीं बल्कि खुश कर के आये हैं। आपने आजादी के बाद कमीशन बनाये लेकिन उन कमीशनों के द्वारा भी इस नौकर शाही को नहीं सुधार पाया।

भुवनेश्वर कांग्रेस प्रस्ताव का जिक्र वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में किया। इस कांग्रेस को जन्म दिया था ह्यूम साहब ने जो इटावा के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे। आप अपने उन बुजुर्गों की बातों को, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रशासन में रह कर भी और सीमित दायरे में रह कर सुधार करना चाहा था, पढ़ लीजियेगा। क्योंकि समय केवल दस मिनट ही है। उन्होंने कहा कि इसको जनता के अनुरूप बनाना चाहिये। मेरे यहां एक डिप्टी कलेक्टर पहुंचे जो यह नहीं जानते थे कि आम के पेड़ में बौर कब आता है, जौ और गेहूं की पत्ती में कोई फर्क नहीं जानते थे। वहीं अंग्रेज ऊपर से आई० सी० ए० थोप देते थे, आप कौन होते थे हुकूमत करने वाले। श्रीपाल सिंह जी चले गये। उनकी बिरादरी वाले इसी तरीके से आये, कम्पटीशन से नहीं। इस तरीके से नौकरशाही आयी उपर से थोपी हुई जैसे कि अब जिला परिषदों में ऊंची जाति वाले कोआप्ट कर के हरिजनों को लाते हैं ताकि वे उन्हीं के कहने के मुताबिक नाचें। इसको बदलना होगा।

हिन्दुस्तान की जमीन में आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। अगर कोई अफसर अपनी ही जाति वालों को रखता है तो यह भी भ्रष्टाचार है और उत्तर प्रदेश में जहां हिन्दू धर्म के ठेकेदार हैं, यहां प्रशासन में सब ऊंची जाति वाले ही हैं, बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं हैं, अंग्रेज हिन्दुस्तानी से अच्छा था। उसकी निगाह में भंगी और ब्राह्मण बराबर थे। मैं सुचेता जी को दाद देता हूं कि उन्होंने दास जैसे अच्छे आदमी को यहां बिठाया। लेकिन वह सोचें कि नौकर शाही को शुद्ध करने के लिये पहले अपने को भी शुद्ध करें। आप अगर कमजोर हैं तो घोड़े को अपनी टांगों के नीचे नहीं रख सकते। आज जिले का कलेक्टर कांग्रेस के ही एक गुट को लालच दे कर दूसरे गुट के ऊपर लाता है और फिर दूसरे गुट के ऊपर लाता है और फिर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिफारिश चलती है । आप अच्छा काम करने वाले को आगे बढ़ायें चाहे वह किसी भी जाति का हो । लेकिन यह आप तभी कर सकती हैं जब सांपनाथ और नागनाथ से अलाहिदा हो कर सोचें और अपने बल पर काम करें । जिस तरीके से आप ने दास को लाने में खूबी की है वैसे ही ईमानदारों को आगे लायें और भ्रष्टाचार को खत्म करें । आप चाहे जितने दिन मुख्य मंत्री रहें, दो दिन, दस दिन मगर यह हो कि आपने काम किया है तो इतिहास आप को याद करेगा एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से नहीं हटेगा । एक ४२० को ईमानदार से हटाइये या ८४० से हटाइये और ८४० को हटाने के लिये १६८० ताक रहा है । १८५० नम्बर आई० ए० एस के लिये आप रखते हैं । जिसमें से ४०० नम्बर पर्सनालिटी कल्ट के लिये रखते हैं । अब अगर एक पंडित ७ वें नम्बर पर है तो उस को पर्सनालिटी टेस्ट में ४०० नम्बर दे कर फर्स्ट पोजीशन पर ले आयेंगे । आप पर्सनालिटी कल्ट को खत्म कीजिये और सिर्फ मेरिट पर लीजिये ? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जातिवाद को पनपाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के ऊपर बोलने का मौका दिया । बजट की आम बहस में और राज्यपाल महोदय के भाषण में भ्रष्टाचार और समाजवाद की बड़ी चर्चा हुई है । मैं आपके द्वारा, श्रीमन, निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की चर्चा सामान्य प्रशासन में कहां तक छिपी है, इसका थोड़ा सा जिक्र करते हुये समाजवाद की चर्चा करना चाहता हूं । भ्रष्टाचार की जड़ जिले की तहसीलों में जो रजिस्ट्रार कानूनगो होते हैं वे लोग महीने भर रिश्वत लेकर कितना रुपया इकट्ठा करते हैं और फिर उसका किस तरह से अधिकारियों में बटवारा होता है इसके लिये आप सी० आई० डी० बिठा दें तो पता चल जायगा कि किस तरह से रिश्वत के रुपयों का अधिकारियों में बंटवारा होता है और कितना मनोरंजन के लिये रहता है । लेखपाल और पेशकार भ्रष्टाचार की जड़ हैं । कोई भी मामला बिना पैसा लिये हुये तहसीलदार के यहां से तय नहीं होता है । ग्राम समाज की सम्पत्ति पर आज अनधिकृत कब्जा करीब ३ लाख आदमियों का है । जब वे शिकायतों पर तहसीलदार के पास जाते हैं तो किस तरह से दलाली तय होती है, इसका दिग्दर्शन आप करें ।

आपके ब्लाकों के जो अधिकारी बी० डी० ओ० हैं, उनसे ब्लाक प्रमुख परेशान हैं । मैं सिकन्दराबाद का जिक्र करना चाहता हूं । वहां के बी० डी० ओ० कुछ रुपये लेकर सीमेंट की बोरी के परमिट देते हैं और २/३ रु० प्रति बोरी ज्यादा लेकर वह बाहर बेची जाती है । इससे ब्लाक प्रमुख परेशान है और कुछ कर नहीं पाता है । आपने आदेश दिया है कि किसान मेला होना चाहिये और इसकी सूचना एम० एल० एज० को दी जानी चाहिये । आज तक मुझे उस मेले की सूचना नहीं दी गई ।

श्रीमन्, समाजवाद की चर्चा इस सदन में बहुत ज्यादा हुई है । लेकिन जिन गरीब लोगों को समाजवाद से लाभ पहुंचने वाला है और जिनको वाकई में समाजवाद की जरूरत है, उसको पता तक नहीं है कि आप क्या चर्चा कर रहे हैं ? उन गरीबों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है । माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि हम अपने प्रदेश में गरीब और अमीर की खाई को इस तरह से पाटना चाहते हैं जिससे देश में रक्त की क्रान्ति न फैले एसी व्यवस्था से गरीब अमीर का भेद मिटाना चाहते हैं । लेकिन कैसे इस भेद को मिटाया जायगा ? कैसे समाजवाद आयेगा ? मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को समाजवाद की आवश्यकता नहीं है । समाजवाद तो उस गरीब को चाहिये जो गांवों के किनारे बसी हुई झोपड़ियों में रहते हैं जिनको आजादी के १८ साल बाद भी उसको आजादी के बारे में कुछ पता नहीं है । श्रीमन्, इन गरीबों के बच्चों को

[श्री जसरामसिंह]

रोटी नहीं। उनके सोने के लिए खाट नहीं है। एक झोपड़ी है। उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसका बेटा रहता है, उसके बेटे की बहू रहती है, कीड़े, मकोड़े, मच्छर, गाय, भैंस, बकरी सब एक झोंपड़ी में रहते हैं। उस गरीब को समाजवाद चाहिये। इस देश में समाजवाद फैलेगा गरीबों की हाहाकार से। समाजवाद उन गरीबों की झोपड़ियों से आयेगा। वह भारतीय ढंग का समाजवाद होगा। उस गरीब की चेतना के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी इन गरीबों को चैतन्य कर दें, उस गरीब को सुख सुविधा देने का आश्वासन दे दें, जिस दिन गरीब में चेतना पैदाकर देंगे यह समाजवाद इस प्रदेश में, देश में अपने आप आयेगा। जिस दिन वह गरीब समझ लेगा कि उसकी गरीबी की जंजीरें कट रही हैं उसकी अपमान भरी जीवन की बेड़ियां कट जायंगी, उसकी गरीबी मिटेगी, उस दिन आप समाजवाद को लाने में समर्थ हो सकेंगे।

भुवनेश्वर के प्रस्ताव से हम कितनी प्रगति पर गये हैं, यह देखना है। दसियों वर्ष का प्रस्ताव चला आता है। अब समाजवाद की नई बड़ी चर्चा की जाती है। यदि हम उस गरीब में यह विश्वास पैदा कर दें कि वाकई हम तुम्हारी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो देश में, प्रदेश में समाजवाद आ सकता है। आज वह गरीब यह समझता है कि मेरे भाग्य में गरीबी और चार आने की मजदूरी हुई है। आज वह गरीब विश्वास नहीं करता कि सरकार वास्तव में समाजवाद लाकर हमारी गरीबी मिटाना चाहती है। अगर हम गरीबों में विश्वास पैदा कर दें तो हम समाजवाद की ओर बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह जिले स्तर पर ऐसी भावना पैदा कर दें जिससे गरीब के अकबर, अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिये कुछ चेतना आ जाय। अगर ऐसा हो जाय तो समाजवाद इस देश में अपने आप आयेगा। वर्ना गरीब के हाहाकार से समाजवाद फैलेगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस समय सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। १९४७ में देश आजाद हुआ। सरकार इस स्थान पर पहुंची? यह कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में जो मशीनरी थी, वही मशीनरी अब भी चली आ रही है। वर्तमान जो मशीनरी या शासक वर्ग हैं उस पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया गया है। यह तो सही है कि मशीनरी भ्रष्ट हो गई है। अधिकांश कर्मचारी भ्रष्ट हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या १९४७ से पहले जो मशीनरी थी वह इतनी भ्रष्ट थी या नहीं? मैं समझता हूं ऐसी बात उस वक्त नहीं सुनाई पड़ती थी। लेकिन १९४७ के बाद नये नये विभागों को बना कर, नये नये कर्मचारियों की नियुक्ति, नयी नयी पदोन्नति देने का काम इसी सरकार ने शुरू किया। इसके लिये मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब श्री झा साहब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे तो उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा बना रखा है कि जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने उसमें इतना जबर्दस्त हस्तक्षेप किया जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा ढांचा का ढांचा भ्रष्ट हो गया। इसलिये भ्रष्टाचार की बुनियाद डालने वाली, या किसी कर्मचारी को बेईमान बनाने वाली यही सरकार ही है। यह इसी की जिम्मेदारी है, इसने जो भी नये तरीके अख्तियार किये वह बेईमानी के ही थे जिससे सारा ढांचा भ्रष्ट हो गया है। जितने नये विभाग खोले, चाहे चकबन्दी हो, चाहे पंचायत राज हो, चाहे प्लानिंग हो, उसके सेलेक्शन के तरीके में परिवर्तन करके एक नया नया सेलेक्शन बोर्ड बनाया और उसमें किसी एक नये अपने आदमी को भेज कर चुनाव से पहले ही अपनी एक लम्बी लिस्ट वहां पहुंचा दी जिनको कि चुना जाना था। वह जब चुने जाते हैं और क्षेत्र में जाते हैं तो वहां जा कर गलती भी अगर करते हैं तो शासन का हर एक आदमी उसको बचाने की कोशिश करता है। इसलिये

अगर यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो वह तो भ्रष्ट है ही लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार ही हो जाती है।

जिले में अगर कोई अधिकारी किसी नेता या किसी ट्रेजरी बैंच के सदस्य की मंशा के मुताबिक कार्य नहीं करता है तो उस पर गलत आरोप लगा दिया जाता है या वैसे ही उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो काम करने वाला आदमी होता है उसको उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ब्रिटिश वक्त में लोग सोचते थे कि हम सरकारी नौकरी में जायं चाहें वहां दस रुपया या पन्द्रह रुपया या कुछ कम ही तनख्वाह क्यों न मिले और प्राइवेट नौकरी में जाने की इच्छा लोगों में नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी ? वहां उसकी सर्विस के लिए सिक्योरिटी (Security) रहती थी, उसमें कुछ एस्टैब्लिटी रहती थी। आज वह बात नहीं है। कंसालिडेशन डिपार्टमेंन्ट को ही ले लीजिए। उसमें आज कितने लोग अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं ? उनके लिये जैसा कि कल कहा गया कि अगर वह कोई गलती करते हैं तो मैं फौरन उनको टर्मिनेट कर देता हूं, तो टर्मिनेट तो आप कर देते हैं लेकिन उसका असर दूसरे अस्थायी कर्मचारियों पर यह पड़ता है। वह समझते हैं कि जो सामने आ रहा है उस को ले लो भाई, आगे तो दो ही मिनट में नौकरी खत्म हो जायगी। इसका बड़ा जबर्दस्त रीएक्शन उन ज्यादा तर अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों पर हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि इस प्रजातंत्र राज में दो तरह की गवर्नमेंन्ट चलती है--एक तो अस्थायी गवर्नमेन्ट जिसका कि पंचसाला सेटिलमेंट होता है और दूसरी परमानेंट गवर्नमेन्ट जिसको कि कर्मचारी वर्ग कहते हैं, वह एक रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में बंधे रहते हैं जैसा कि ठाकुर साहब ने कल कहा कि वह एक महदूद दायरे में रहते हैं। उनको सुधारने के लिये आपको उन रूल्स रेगुलेशंस को सख्ती से बरतना है। अगर आप स्वयं उसमें हस्तक्षेप कर देते हैं तो वह कायदा कानून अपनी जगह रखा रह जाता है और उस की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती।

जहां तक समाजवाद की बात है वह तो एक ऐसी चीज है कि जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के समस्त कारोबार पर 'राजकीय' आधिपत्य को स्थापित करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस रुख पर हमारी सरकार नहीं चल रही है। इसलिये उसकी बात करना, मैं समझता हूं, न सरकार के लिये वाजिब है और न समाजवादी लोगों के लिये वाजिब है। समाजवाद को आज एक मजाक बना दिया गया है और समाजवाद एक टूटे फूटे जहाज की तरह हो गया है। सरकारी बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों को अच्छी तरह से स्वयं अनुभव है। आज वे आपस में ही पद पाने के लिए, कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में न तो इस देश की रक्षा करने में वे समर्थ हो सकते हैं और न किसी को सही रास्ता दिखाने में समर्थ हो सकते हैं।

जहां तक भुवनेश्वर अधिवेशन का जिक्र किया गया है वह कांग्रेस की अधिवेशन ऐसा था जिसके विषय में यह सुना गया है कि वहां पर जो प्रस्ताव पास हुये हैं वह सर्वसम्मति से पास न हो कर बहुमत से पास हुये हैं। मेरा अपना विचार है कि अगर यही स्थिति रही और यही विचारधारा चलती रही तो कांग्रेस समाजवादी संगठन की ओर न जाकर विघटन की ओर जायगी। जिस प्रकार आज समाजवाद की बातचीत की जा रही है तथा कार्यरूप में लाया जा रहा है उससे अधिक लाभ इस देश का नहीं होने वाला है।

महात्मा गांधी जी ने सन् १९४७ में एक शब्द में संकेत किया था कि आप गांव की ओर चलें। गांवों में ८० फीसदी जो किसान रहते हैं उनकी तरक्की के लिये आप जोर दें और आपने जो सन् १९४२ में त्याग तपस्या करके किसानों के दिल में घर बना लिया था उसी तरह से गांवों में, घरों में और गांव की गलियों में चलकर आप अपने कामों को दिखायें तो मैं समझता हूं कि आपको जनता का विश्वास फिर प्राप्त होगा। यह अन्त में मैं आपको एक संकेत करना चाहता था। यह बात सही है कि देहात के लोगों के दिलों में, उनके विचारों में आप के प्रति आज संतोष की भावना नहीं रह गई है। इसलिये आपसे और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि उन गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान दें यही मेरा आपसे अन्तिम निवेदन है।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बजट पेश किया गया है उसकी ताईद में बोलना चाहता हूं लेकिन इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी रिश्वत फैली हुई है उतनी अब पुलिस के महकमे में भी नहीं है। मैं आमतौर पर यह देख रहा हूं कि तहसीलदार ज्यादा रिश्वत लेता है बनिस्बत पुलिस के थानेदार से। यह आज अजीब हालत है जिसके ऊपर गवर्नमेन्ट कोई कंट्रोल नहीं कर सकी है। सप्लाई डिपार्टमेन्ट में भी रिश्वत बहुत ज्यादा है। कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा है। उसके बाबत तमाम रिपोर्ट बराबर मिनिस्टर कंसर्न्ड को और इस हाउस को दी जाती हैं बावजूद उसके आज तक इसके ऊपर कोई कदम कंट्रोल करने के लिये नहीं उठाया गया। बल्कि यह रिश्वत दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे जिले की मेरी कांस्टीट्युएन्सी के लोग यह चाहते हैं कि इसकी ताईद मानी (G.A.D.) के बजट की न हो तो अच्छा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिश्वत इतनी ज्यादा है कि जिसको मेरा खयाल है कि मिनिस्टर भी महसूस करते हैं और हम लोग भी महसूस करते हैं। यहां पर उसका बराबर तजकिरा आता है लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई कंट्रोल आज तक नहीं किया जा सका यह एक अफसोसनाक बात है। आमतौर पर तहसील और थाना साथ साथ होते हैं। मैं यह देखता हूं कि तहसीलदार की रिश्वत की आमदनी थानेदार से कहीं ज्यादा होने लगी है। यह अजीब बात है। पहले पुलिस रिश्वत लेने में ज्यादा बदनाम थी इस सूबे के अन्दर। लेकिन अब देखा जाय कि कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है? मैं कंसोलिडेशन कमेटी की सूबे के लेविल पर मेम्बर हूं। यहां मिनिस्टर कंसर्न्ड को भी कई बातें बतलाई लेकिन उन्होंने तवज्जह नहीं की। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की राय को बिलकुल सही राय समझते हैं और हमारी राय को सही नहीं समझते हैं। फिर आखिर Democratic निजाम को कायम रखने की क्या जरूरत रह जाती है जब डेमोक्रेसी में भी हमारी बात न सुनी जाय तो इस सदन की क्या जरूरत है इसे हमको सोचना पड़ेगा और अगर सरकार साल, दो साल के अन्दर यह रिश्वतखोरी, बदउन्मानी और मंहगाई पर काबू न पा सके तो उसे इस सदन को खत्म कर देना चाहिये क्योंकि सरकार की राय में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही सारे सूबे को कंट्रोल कर सकता है। हालत यह है कि सरकार अभी तक बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकी, रिश्वत रोक नहीं सकी। आज जो रूल्स बनाये जाते हैं वह बिजनेसमैन को सहूलियत पहुंचाने के लिये बनाये जाते हैं लेकिन उन से पब्लिक हैरेस होती है, वह रिश्वत देने पर मजबूर होती है। सरकार की पालीसी छोटे Business man को तबाह करे दे रही है, Crane Cusher और खंडसारी शुगर वालों को सरकार ने कुचल कर रख दिया है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिला प्रशासन की ग्रान्ट सुबह पास हो चुकी है और फिर भी बहस तहसील और थाने के बारे में हो रही है। तो यह आपका काम है कि बहस को ठीक रास्ते पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जिला प्रशासन के सम्बन्ध में ही बोल रहे हैं।

श्री मुहम्मद रफी खां--

तो बहरहाल, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आफिसर्स के साथ-साथ हम पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव क्या कहते हैं उनको यह भी देखना चाहिये, तस्वीर के दोनों रुख उनको देखने चाहिये, एक नहीं, तभी वे किसी सही नतीजे पर पहुंच सकती हैं, वरना डेमोक्रेसी से हमारी पब्लिक को नफरत हो जायेगी।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उधर और इधर से भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया और उसी सम्बन्ध में

निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले एटा में सब से ज्यादा भ्रष्टाचार है। सन् ५८ की बात है कि वहां की तहसील में बहुत रिश्वत थी। एक गांव के नगला फरीद के एक आदमी से दाखिल खारिज के मामले में ३० रुपये रिश्वत के मांगें गये। मैं उसे लेकर स्वयं कलेक्टर के पास गया। उन्होंने उसके बयान लिये और एक कंप्लेन्ट अफसर और दो गवाहों के साथ मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद डिपार्टमेन्टल केस हुआ। सभी के बयान हुये और फिर भी कलेक्टर साहब ने उसे छोड़ दिया इसलिये कि वह उनकी जाति का था और वह यहां से कलेक्टर साहब के पिता जी को अपनी सिफारिश में ले गया था। इसका जिक्र मैंने चौधरी चरण सिंह जी से किया। उन्होंने फाइल मंगवायी लेकिन उसके बाद वह विभाग उनके हाथ से चला गया और उसके बाद उनको जलेसर में ट्रान्सफर कर दिया गया। लेकिन जब दूसरे कलेक्टर आये तो उन्होंने फिर उसकी पोस्टिंग एटा में ही कर दी। इतना भ्रष्टाचार शायद ही कहीं और हो। एक और उदाहरण दूं एटा, तहसीलदार साहब कानूनगो से तहसीलदार हुए हैं। वह अपना न्याय बेचते हैं। मैं पकड़ना चाहता था लेकिन वह पकड़ में नहीं आये। वह चाहते थे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो। वहां एक लड़के को स्कालरशिप पाने के लिये इन्कम सर्टिफिकेट की जरूरत थी। वह कानपुर में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि पटवारी से लिखा कर लाओ। वह पटवारी से लिखा कर ले गया, कानूनगो से लिखा कर ले गया, लेकिन फिर भी उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तीसरे दिन मैं वहां गया और मैंने तहसीलदार से कहा। जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया उसकी शिकायत तार द्वारा मैंने सुचेता जी से की थी। उन्होंने मेरे लिये अपशब्द व्यवहार किये तो दूसरे दिन उसने अदालत में तोहीन का दावा मेरे खिलाफ कर दिया। आज वह चल रहा है।

एक उदाहरण और पेश करना चाहता हूं। तहसील अलीगंज में एक थानेदार के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायतें थीं। एक आदमी ने आकर कहा कि मुझसे २०० रुपये लिये जा रहे हैं—वह प्रधान था। मैंने एस० पी० से कहा। एस० पी० ने डी० एस० पी० मेरे साथ भेजा। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा। उसमें एक वकील गवाह था जिसके यहां रिश्वत दी गयी, एक चेयरमैन गवाह था और डी० एस० पी० थे और एक मैं था दो और व्यक्ति थे। सब लोगों ने सही गवाही दी, लेकिन जज साहब ने पता नहीं किस कारण से छोड़ दिया? सुना है कि रिश्वत ली है। उसकी अपील हाई कोर्ट में कर दी गयी है। मैंने कभी अदालत में गवाही नहीं दी, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकना अपना कर्त्तव्य समझ कर मैंने गवाही भी दी, लेकिन इस तरह से छोड़ देना यह एक सार्टिफिकेट भ्रष्टाचार को दिया गया है।

इसी तरह से एक एक्साइज इंस्पेक्टर जो सोना नियंत्रण में थे एटा में उसने आतंक मचा रखा था। वह रिश्वत लेकर छोड़ देता था। मैंने स्वयं घटनास्थल पर जाकर एक मामले में उसको रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस आयी, लेकिन ४ आदमी इकट्ठे हुए, रिश्वत वापस की गयी, उसे छोड़ दिया गया, रिपोर्ट भी नहीं हुई। लेकिन १२ रोज बाद असिस्टेन्ट कलेक्टर ने मुझे लिख कर भेजा कि तुमने बड़ा गलत काम किया है कि सोना छिनवा दिया। जब हम सहयोग देते हैं तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। इसी तरह से सिंचाई विभाग में एक हर भगवान स्वरूप ओवरसियर है, उसने ३०–४० हजार रुपया रिश्वत ली, ठेकेदार मौजूद है, मेरे पास डायरी मौजूद है, मैंने सिंचाई मंत्री को लिखा, लेकिन ३–४ महीने हो गये, मेरे पास कोई इंक्वायरी नहीं पहुंची, जब कि बिलकुल सच्चा केस है। मैंने भ्रष्टाचार पकड़ने में पूरी कोशिश की और सहयोग दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका कोई फल नहीं निकला।

हमारे एटा के कलेक्टर पहले भी मुसलमान थे, दूसरे भी मुसलमान हैं, लड़की की शादी वहीं की है। रिश्वतखोरी खून चलती है, सरकारी कार्य के समय भी उनके समधी और रिश्तेदार आकर बैठते हैं, पब्लिक के कार्य का उनको टाइम नहीं मिलता। हाकिम परगना कासगंज न्याय को बेचता था, उसमें सही न्याय नहीं दिया। जब कलेक्टर उसको चार्ज दे देता है तो वह सरे आम रिवाल्वर के लाइसेंस हजारों रुपया रिश्वत लेकर बांटता है। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि वह इस

[श्री गंगा प्रसाद वर्मा--]

तरह से रुपया लेता है कि पकड़ने में नहीं आता। मैं तहसीलदार के बारे में सुचेता जी से भी मिला लेकिन फिर कोई ऐसा आदमी उनके पास आया कि मैं फिर उनसे नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक दफा हुकुम सिंह जी के पास गया एक तहसीलदार के सम्बन्ध में १९५८ में भ्रष्टाचार का मामला था उन्होंने दरख्वास्त को उठाकर फेंक दिया कि चल देते हैं शिकायत करने। फिर आज तक नहीं मिला। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह राजनीतिक पार्टी के आधार पर ऐसी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सहयोग लेने को तैयार नहीं हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हर समय सहयोग देने के लिये तैयार हूं भ्रष्टाचार के मामले में।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं चाहता नहीं था बोलना, मगर कुछ हमारे साथियों ने ऐसी बातें कहीं जिनको सुनकर मैंने कुछ कहना मुनासिब समझा। सबसे बड़ा तो मुझे दुख यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह का भाषण दिया। जब इस पार्टी के माननीय सदस्य ही ऐसी बात कहेंगे तो जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बड़े दुख की बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीया मुख्य मंत्री को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ उच्च अधिकारियों को यहां से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जिसके लिये इस सदन के माननीय सदस्यों की बहुत समय से मांग थी। उन्होंने यही नहीं किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को, मिस्टर दास को, यहां का सेक्रेटरी बनाया जो कि एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। मैं तो उनको नहीं जानता, किन्तु और लोगों से मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। जो और अधिकारी काफी समय से यहां पर हैं' मैं चाहता हूं कि उनका भी शीघ्रता से ट्रांसफर किया जाय ताकि जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े।

मैं माननीय राधेश्याम जी से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने करप्शन और कुर्सी पाने की बात कही। उनकी पार्टी में यह दो दल क्यों हो गये? श्रीमन्, करप्शन उस दिन इस देश में आया जब सारी पार्टियों में कुर्सी पाने की इच्छा बढ़ी। एक दल में जब किसी को कोई कुर्सी नहीं मिली, उन्होंने दूसरा दल बना लिया। हमारे यहां कुर्सी पाने के लिये भिन्न-भिन्न पार्टियों का निर्माण किया गया। आज सोशलिस्ट पार्टी में दो पार्टी हैं, जनसंघ में ३ पार्टी हैं--एक जनसंघ, एक राम राज्य परिषद्, एक स्वयंसेवक दल। मैं माननीय झारखंडे राय जी से कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी में भी आज दो दल हैं। कुर्सी की प्राप्ति के लिये लोगों में इतना करप्शन बढ़ा कि उसका नतीजा यह है कि आज हमारे देश में बजायदो दलों के १० दल बने हुये हैं। मान्यवर, मैं इस पार्टी की और विशेषकर उग्रसेन जी की बड़ी कद्र करता हूं क्योंकि वे गरीबों की बड़ी बात करते हैं। मैं राधेश्याम जी से पूछना चाहता हूं कि वह गरीबों का कितना शोषण करते हैं? २-२, ४-४ आने पर उनसे काम लेते हैं। अभी अभी एक माननीय सदस्य कांग्रेस की तरफ बैठकर जनसंघ की बात कर रहे थे, मुझे उसे सुन कर बड़ी लज्जा आ रही थी। आप यह नहीं देखते कि लोगों ने दिन रात आज एक कर रखा है, उस पर इस तरह की बात करते हैं जब कि वे गरीब जनता का शोषण स्वयं करते हैं और उसका प्रमाण मौजूद है। अधिकारियों से जुल्म कराते हैं, थैली देकर खेत अपने नाम लिखा लेते हैं और यहां आकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। अगर हम इस राज्य में से भ्रष्टाचार को बंद करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना सुधार करना होगा, चाहे वे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। अधिकारी भी तो अपने ही भाई बंद हैं, कोई चाहे किसी पद पर ही क्यों न हो, एक माने में उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो हम में है। जब इलेक्शन होते हैं तो चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य क्यों न हों, जिनको हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां सरमायेदार कहते हैं उन्हीं के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि चन्दा दो और जब चुन कर यहां चले आते हैं तो उन्हीं की बुराई करते हैं और उन्हीं को ब्लेक मार्केटियर कहते हैं। तो पहले हमें अपनी कमजोरी को दूर करना होगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब से आपने इन नानकांग्रेसमैनों को इस सदन का सदस्य बनाया है, जिन्होंने देश के लिये कोई कुरबानी नहीं की, बलिदान नहीं किया, खद्दर भी वे पहनते नहीं है, वहीं यहां भ्रष्टाचार की अधिक दुहाई देते हैं। हमारे यहां उतना भ्रष्टाचार नहीं जितना कि उसका प्रचार किया जाता है। गल्ले की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसका प्रचार इतना किया गया। गल्ले की कमी अवश्य है। लेकिन इतनी नहीं जितना कि आतंक फैलाया जाता है। हम सरकारी अधिकारियों को दोष देते हैं लेकिन जब जनता के नुमायन्दों में ही दोष है तो सरकारी अधिकारी क्या करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं बिलकुल सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब उनका टाइम भी समाप्त होने जा रहा है।

श्री हरीसिंह---

यह हमारे प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ न कुछ भ्रष्टाचार है जरूर, लेकिन उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमीं लोगों पर है। इसलिये हमें यहां बैठकर उसके लिये कोई हल ढूंढ लेना होगा। किसी पार्टी को दोष देने से भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है, न उससे राज्य ही चलने वाला है। यदि उधर के लोग भी आकर शासन पर बैठ जायेंगे तो भी इन बातों से शासन नहीं चलेगा। इसलिये पहले राधेश्याम जी अपनी पार्टी को सुधारें। गरीबों के साथ उनकी पार्टी जो अन्याय करती है पहले उसको बंद करायें तब जाकर उनको यहां सदन में कुछ कहने का अधिकार होगा। हमारी सरकार तो हमेशा से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयत्न करती रही है और आगे भी करेगी लेकिन आप भी तो कुछ करें।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर आज विवाद हो रहा है। कांग्रेस के भी सदस्य और इधर के भी सदस्य, सब यह स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के प्रशासन में कहीं ऐसी कमी अवश्य है जिससे जन कल्याण का काम नहीं हो पा रहा है। हमें यह मानकर चलना है कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही अधिक परिश्रम कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और यहां के सरकारी कर्मचारी जो उच्च पदों पर बैठे हैं वह भी इस ओर बहुत प्रयत्नशील हैं। लेकिन इतना प्रयत्न होने के बाद भी जो परिणाम उससे हम चाहते हैं, वह परिणाम दिखायी नहीं दे रहा है, इस पर अवश्य विचार करना होगा। प्रयास को अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, प्रयास के सत्यता की आलोचना नहीं हो सकती लेकिन मैं अपने आपको आलोचना करने के दायरे से निकालना चाहता हूं। फिर भी हमें सोचना होगा कि इतना प्रयास होने के बाद भी जो रिजल्ट चाहिये वह क्यों नहीं होता? माननीया सुचेता जी बहुत प्रयत्नशील हैं और केन्द्र में भी लोग बहुत प्रयत्नशील हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, काम जल्दी हो लेकिन यह क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में हमको विशेष रूप से सोचना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आपकी आज्ञा से आपके सामने रखना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विपिनबिहारी तिवारी]

प्रशासन के अन्दर कहा जाता है कि अध्यक्षता बढ़ रही है। हो सकता है कि हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत ही योग्य हों, उनमें टेक्निकल नालेज हो, उनके नीचे का स्टाफ बहुत ही योग्य हो लेकिन जब फाइलों का दौर शुरू होता है और फाइलों का कार्य अधिक बढ़ जाता है तो लिखा पढ़ी करने में देर अवश्य लगती है। लेकिन यह देर ऐसे भी होती है अगर ऐसे हमारे मन में यह मनोवृत्ति पैदा हो जाय कि यह काम हमारा नहीं है। अगर यह मनोवृत्ति पैदा हो गयी तो निश्चित रूप से कार्य उसी जगह पर रुक जायेगा। अगर हमारे हृदय के अन्दर राष्ट्रीय भावना हो, देशभक्ति की भावना हो कि जो उत्तरदायित्व हमें दिया गया है वह हमारे देश और प्रदेश का है और इसे लगन के साथ हमें तत्काल पूरा करना है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस भावना का प्रभाव मनुष्य पर कार्य करने की दिशा में अच्छा पड़ेगा। लेकिन आज इस देश और प्रदेश से यह भावना सर्वथा समाप्त होती जा रही है। एक समय वह था जबकि इस देश के अन्दर लोग भूखे रह कर भी भोग शून्य जीवन व्यतीत करते थे। स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी सारी जनता का प्रतिनिधि बन कर आमरण अनशन किया और लंगोटी पहनी लेकिन आज उन्हीं के अनुयायी लोग जो देश के अन्दर प्रशासन में आये हैं उनके अन्दर से यह भावना समाप्त होती जा रही है। पहले वे लोग उनके नाम पर दौड़ पड़ते थे और जेल चले जाते थे, आज उनके अन्दर से यह भावना क्यों समाप्त होती जा रही है? इस देश के अन्दर ऋषियों का खून है क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। जब किसी से पूछा जाता है कि तुम किस गोत्र के हो तो हम बतलाते हैं कि हमारा गोत्र फलां है। हमारे यहां के लोगों ने जहां भोग शून्य जीवन पहले व्यतीत किया है वहां जब हम आज राम राज्य बनाना चाहते हैं तो क्या कारण है वह उच्च आदर्श आज जनता के सामने से विलुप्त होता जा रहा है और हमारे जीवन में वह आदर्श दिखलायी नहीं पड़ता। इसके ऊपर हमें सोचना होगा।

हमारे इस देश के अन्दर एक परिपाटी और परम्परा रही है कि हम लोग ऊंचा देखते हैं और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं लेकिन आज जब मंत्री लोग दौरे पर हमारे जिलों में जाते हैं तो उनके स्वागत के लिये वहां का सारा प्रशासन समाप्त हो जाता है। वहां के डी० एम०, वहां के कप्तान, एस० डी० एम०, तहसीलदार सभी उनके स्वागत के लिये आकर इकट्ठा होते हैं। उस जिले की जनता भी वहां इकट्ठा होती है। वहां की जनता जाकर देखती है कि हमारा मुकदमा डी० एम० के यहां लगा है और वह जिले में आये हुये मंत्री का स्वागत कर रहा है, तो वह अपने मन में क्या कहेगी? जनता अगर यह देखे कि तीस-तीस मील से चलकर मुकदमे के सिलसिले में आये और मंत्री के कारण सारा मामला ही ठप हो गया तो वह क्या सोचेगी? मैं कोई आवेश में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि समझ बूझ कर और विचार पूर्वक अपने मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे दौरा करें तो इस बात का आदेश दे दें कि उनके स्वागत में जिले के सारे अधिकारी न आकर केवल संबंधित अधिकारी ही आया करें। आखिर हम लोग किस लिये हैं? हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका स्वागत करेंगे। हम वहां आप का आयोजन और सम्मान करने जायं, आप जन सम्पर्क बढ़ाइये लेकिन इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को चाटुकार बनाना शासन के लिये उचित नहीं है। जब कोई मंत्री जाता है तो वहां सारे अफसर जमा हो जाते हैं। अभी हुकुम सिंह जी हमारे यहां गये थे तो मैं भी वहां मौजूद था, वहां पर कप्तान, पी० ए० सी० के जवान और तमाम लोग घेरे हुये खड़े थे, चाय के कप चल रहे थे और मंत्री जी अहंकार में बैठे सोच रहे थे कि यहां मैं मंत्री बनकर प्रशासन करने आया हूं। फिर जनता में वह भाव त्याग का कहां से पैदा होगा? वह ऊपर से पैदा होगा, जब तक ऊपर से त्याग की भावना नहीं होगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन आज जनता का विश्वास इस कांग्रेस के प्रशासन से घटता जा रहा है। मैं उधर के लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं और उनको अपना भाई बन्द समझ कर ही सोचता हूं कि अगर देश में प्रशासन करना है मिलजुल कर हमें कौन से सुधार उपस्थित करना चाहिये।

दूसरे हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। होता यह है कि प्रार्थना-पत्र दिया, उस पर आर्डर हो जाता है अगर नीचे का एक आदमी उस को दबा कर बैठ जाता है और कहता है कि हम को कुछ दो तब काम हो, यही आप के सेक्रेटेरिएट में भी होता है क्योंकि फाइल जल्दी नहीं आती। अब वह क्यों एक आदमी के पास इतने दिन रुकती है इसकी कोई जांच नहीं करता। जांच का तरीका यह है कि हम दंड देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहा करते थे कि दंड से सुधार नहीं होगा, जब तक हम उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं करेंगे उन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो केवल दंड व्यवस्था से उनकी आत्म शुद्धि नहीं होगी। भ्रष्टाचार एक गलत संस्कार है और अगर शुद्ध संस्कार होने लगे तो तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जायगा और नीचे के कर्मचारी ठीक से कार्य करने लगेंगे। उन की कठिनाइयों और आवश्यकताओं पर हमें विचार करना होगा।

कुछ भाईयों ने कहा और मैंने भी यह प्रश्न उठाया था कि योग्यता के आधार पर कुछ लोगों को सरकारी सेवा में रखना था। परीक्षा में उन्होंने परिश्रम के साथ अपनी योग्यता का परिचय दिया, वे पास हुये लेकिन बाद में सीनियारिटी के प्रश्न को लाकर सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने उन की सीनियरिटी समाप्त कर दी और अब उनका ४५ वां और ४६ वां नम्बर कर दिया गया। प्रश्न भी हमने इस पर उठाया था और आधा घंटे का विवाद भी इस पर हुआ था। अपनी टेक्निकल नालेज का जिन्होंने परिचय भी दिया, परीक्षा भी पास की लेकिन जब उनका नम्बर आया तो उनकी गर्दन काट दी गई। आप सोचें कि इससे उन के दिल में कौन से संस्कार पैदा होंगे? यही होगा कि सेक्रेटरियेट के इंजीयनयर्स पक्षपात करते हैं और उसका फिर असर उन पर क्या होगा? इसलिये प्रशासन की शुद्धता के लिये हमें, आपको, सभी सदस्यों को, मंत्रियों को त्याग करना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप एक विजिलेंस कमेटी बनाने जा रहे हैं वह एक बहुत अच्छा और सराहनीय काम है लेकिन पहले भी आपने बहुत सी कमेटियां बनाई हैं उनका नतीजा क्या निकला? अगर वह ठीक निकला होता तो इन कमेटियों की उपयोगिता मालूम हो जाता। विजिलेंस कमेटी में आपने गुप्त विभाग के एक अफसर को रखा, एक किसी रेवेन्यू विभाग के आदमी को आप रख रहे हैं जो पेन्शन पर चले गये हैं, वह अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे लेकिन वह जिस मशीनरी से निकल कर रिटायरमेंट लिये हैं उसी के गलत कामों को रोकने में वह कहां तक सक्षम होंगे यह सोचने की बात है। अच्छा होता कि जुडीशियरी से किन्हीं रिटायर्ड जजेज की कमेटी बनाई जाती और उनके सहारे से यह काम लिया जाता। परन्तु आपने जो रुप रेखा जनता के सामने रखी है उससे आशंका होती है कि उसमें भी गोलमाल ही होगा। वहां पर पार्टीबन्दी का प्रश्न उत्पन्न होगा और जनता समझने लगेगी कि विजलेंन्स कमेटी भी किसी प्रभाव में काम कर रही है। तो इसलिए इस कमेटी के अन्दर जजेज को भी रखना होगा। अगर आज कांग्रेसी प्रशासन डरता है तो वह जुडिशियरी से ही है। उसने सिद्ध कर दिया है अपनी न्यायप्रियता से कि वे कितने निष्पक्ष हैं। अगर आप प्रदेश के प्रशासन में वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी विजीलैन्स कमीशन में रखिए। आपने उसमें रखा है कि विजलेंन्स कमीशन जो है उसके दायरे में मंत्रिगण नहीं आयेंगे। क्या वे कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं? आज चौकीदार से लेकर मंत्री तक सब ऐग्जक्युटिव कमेटी के सदस्य हैं। अगर किसी सेक्रेटरी के ऊपर विजीलैन्स कमेटी काम कर सकती है तो मंत्रीगण के ऊपर क्यों नहीं कर सकती है? मेरी राय है कि उस विजीलैन्स कमेटी का स्कोप यहां तक भी बढ़ाया जाय मंत्रियों को भी चाहिए कि वे भी हर द्वितीय वर्ष में अपनी सारी आमदनी का लेखा जोखा रखें जिनमें वे अपनी राय दिखायें और प्रापर्टी का लेखा-जोखा रखें। इसलिए विजीलैन्स कमेटी का भी स्कोप बढ़ाकर यह काम किया जाय। ये सुझाव मैंने सदन के सम्मुख रखे हैं और आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस डिस्कशन में २ मिनट खत्म हो गयी। इसलिये मेरा समय उस वक्त से माना जाय जब मैं बोलूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इस बजट के ऊपर, मैं समझता हूं, कि दोनों ही क्षों के माननीय सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन, इनएफिशियेन्सी और दूसरी जो चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य, इधर के और न उधर के बैठने वाले सदस्यों में से, ऐसा नहीं है जिसने ब्युरोक्रेसी को या एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना की हो। उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि यह जमाना, यह बीसवीं सदी, एडमिनिस्ट्रेटरकी या प्रशासक की सदी है और बहुत अर्से से जो सरकार के अंग हैं वे आपस में ताकत की लड़ाई करते रहते हैं। उस ताकत की लड़ाई में, मैं समझता हूं, यह साधारण राय है कि एडमिनिस्ट्रेटर उसमें कामयाब हुए हैं उस ताकत को हथियाने में जो सरकार की है। सरकार की ताकत इस्तेमाल करके अगर उसको देश के हित में या राज्य के हित में लगायी जाय तो मैं समझता हूं कि किसी को एतराज नहीं होगा लेकिन हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत है वह यह है कि जो नीति यह सदन निर्धारित करे, शासन निर्धारित करे, पोलिटिकल सावरेन निर्धारित करे, उसको अमल में लाने का जो कर्तव्य ऐडमिनिस्ट्रेशन का है, वह नहीं निभाता है। इस बात के मानने में कोई गलती नहीं होगी अगर हम यह कहें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिसलायल है। उसको हमारी नीतियों में कोई विश्वास नहीं, यही कारण है कि वह ईमानदारी से उन पर अमल नहीं करते हैं। नतीजा यह है कि जितना रुपया हम खर्च कर रहे हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन पर, प्लानिंग पर सारा का सारा बेकार जा रहा है और ऐडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है वह अपने को बढ़ाने के लिये कर रहा है, नये-नये आफिसेज क्रीएट होते हैं, जिसकी वजह से अफसरों की गिनती बढ़ती है इसलिये उनकी तादाद बढ़ती जाती है और काम का कोई टेंजिबिल रिजल्ट नजर नहीं आता है। सारे बजट की हर ग्रान्ट को देखा कि कितना रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो रहा है तो देखा कि कंटीन्जेंसी और पे-बिल को मिला कर लगभग १२५ करोड़ रु० खर्च होता है, ४७ करोड़ लोन्स के रिपेमेन्ट में खर्च होता है और साढ़े ४७ करोड़ रु० लोन्स और ऐडवान्सेज में खर्च होता है। डेवलपमेंट के काम में लगभग २० करोड़ ३१५ करोड़ रु० के बजट में से खर्च होता है। इसी २० करोड़ में सब योजना के काम आते हैं। इतना लम्बा चौड़ा हिस्सा बजट का ऐडमिनिस्ट्रेशन खाये जा रहा है जिसमें गवर्नर से लेकर लेखपाल तक शामिल हैं। हम प्रान्त की तरक्की चाहते हैं और रोजाना कहा जाता है कि हम देश में और प्रान्तों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। इस पिछड़ेपन का कारण यही है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन अपना पेट बढ़ाने में लगा हुआ है, उसका ध्यान देश की तरक्की की तरफ नहीं है।

जहां पर करप्शन की बहुत सी बातें माननीय सदस्य देखते हैं, वहां मैं समझता हूं कुछ और भी चीजें हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। और वह यह है कि हमारे जो अफसर हैं वह अपने को मास्टर समझते हैं, सेवक नहीं। जो मेन्टेलिटी उनकी अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी कायम है। रोजाना के ताल्लुक में अगर आप देखें, कोई विधान सभा का सदस्य या अन्य प्रतिनिधि उनसे मिलने जाता है तो जिस घृणा के साथ उसको देखते हैं वह यही जाहिर करता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को मन से स्वीकार नहीं किया है और अपने को अधिकारी समझते हैं। हर अफसर इस बात की कोशिश में है कि अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से टाला जाय। नतीजा यह है कि बाल इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाती है और किसी चीज का फैसला नहीं हो पाता है, काम करने को तैयार नहीं हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जितना ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है अगर दो तिहाई घटा दिया जाय तो काम अच्छी तरह से चल सकता है। दफ्तर में देर से आना, इधर उधर चाय पीने में खराब करना। अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी महसूस करें तो कोई कारण नहीं है कि इस प्रदेश में प्रगति न हो। जो राष्ट्रीय भावना एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिये वह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस पावर को हथिया लिया है उसे वह छोड़ने को तैयार नहीं है और उसकी हिफाजत के लिये जैसे फ्रान्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ला है, यहां भी वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ला कायम हो गया है। नतीजा यह है कि कोई आफिसर कितना ही गलत काम करे, कानून के खिलाफ काम करे वह बिलकुल महफूज है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बात आती है तो ऊपर से नीचे तक अफसर इस बात की कोशिश करते हैं कि इस किले के ऊपर जो सीमेंट है उसमें जरा भी रगड़ न आ जाय।

विलिजेंस कमेटी का जो प्रोपोजल है, ३ आदमी किस तरह से इतने बड़े सूबे के करप्शन को एडमिनिस्टर कर सकेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। जैसे और करप्शन को दूर करने की स्कीम्स हैं उन्हीं में शायद यह भी एक एडीशन है और शायद इस इरादे से यह स्कीम बनाई नहीं गयी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन में कमी हो। मैं डायस की किताब से एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं और फ्रांस की नेपोलियन के जमाने में जो पोजीशन थी वह आज कल बिलकुल लागू होती है।

"Under the Napoleonic constitution no servant of the State whether a peer, a mayor. or a policeman whose conduct, however, unlawful made without the approval of the Government ran any real risk of incurring punishment or of paying damages for any act which purported to be done in the discharge of his official duties."

यह चीज बिलकुल आज कल लागू होती है। कोई भी आफिसर किसी भी फाइल को रख कर बैठ जाय उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं हो सकता। जजमेंट की कापी देने को तैयार नहीं है जब तक पैसा न दिया जाय चाहे कितना ही डेमेज हो जाय। तो जानबूझ कर कितना डेमेज डिले करके किया जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। जरूरत इस बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किला बना लिया है उसे तोड़ा जाय।

मेरा सुझाव इस संबंध में यह है एक तो पोलिटिकल सावरेन है जिसकी कोई वकत एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं छोड़ी है उसे रिवाइव किया जाय। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्हें आदर मिलना चाहिये और जो सर्वेन्ट आफ दी पीपुल है उनको यह आभास होना चाहिये कि वे दरअसल सर्वेन्ट आफ दी पीपुल है तभी वह फिजा पैदा होगी। एक तो जो पोलिटिकल सावरेन की रेप्रेजेन्टेटिव है गवर्नमेंट उसमें जो गुण होने चाहिये जब तक वह नहीं होंगे तब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधर नहीं सकता। मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में ये ६ चीजें होना निहायत जरूरी हैं। एक तो है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में यह चीज जरूरी है और किस तरीके से किसी समस्या को हल किया जा सकता है उसे सोचने की। दूसरी है बोल्डनेस इसका मतलब है कि अगर यह जाहिर होता हो कि पोलिटिकल पावर किसी ऐक्शन के लेने से हिल सकती है या एजिटेशन पैदा हो सकता है तो उस डर से सही कदम को उठाने में न झिझकना। तीसरी चीज है इनिशियेटिव। मन में भावना भी है और इमैजिनेशन भी है लेकिन अगर इनशियेटिव लेने की तो ताकत नहीं है कोई लाभ नहीं हो सकता। चौथी चीज यह है कि जो भी स्टेप उठाया जाय उसके बारे में कनविक्शन हो कि यह कदम सही है। पांचवीं चीज है इनर्जी उसके ऊपर अमल करने के लिये। और छठीं चीज जो मैं बहुत जरूरी समझता हूं वह यह है कि रेस्पांसिवनेस टु दि क्रिटिसिज्म होना चाहिये। जब तक ये छै चीजें नहीं होंगी तब तक कोई भी ऐडमिनिस्ट्रेशन कामयाबी के साथ चल सकता है मुझे इसमें शुबहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को इन सिद्धान्तों के ऊपर तौल कर देखें और अगर उनकी राय में वह सही उतरता हो तो मैं समझूंगा कि वे इस प्रदेश की नैया

[श्री वीरसेन]

को पार कर देंगी। अगर वे खुद समझती हैं कि वह इन ६ प्वाइंट्स पर सही नहीं उतरता तो उन्हें अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना चाहिये।

श्रीमन्, अभी तो मैं समझता हूं कि दो मिनट और हैं।

श्री उपाध्यक्ष----

आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री वीरसेन----

इसके अलावा ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने का जो यह तरीका है कि जो अफसर गड़बड़ी करता हो उसकी जांच उसी से या उसके डिपार्टमेंटल अफसर से करायी जायगी इससे करप्शन कभी दूर नहीं हो सकता क्योंकि वह तो डिफेन्स के लिये है ही क्योंकि वह खुद नीचे के अफसरों से घूस लेता है। थाने के इन्चार्ज थैलियां बांध-बांध कर एस० पी० या एस० एस० पी० को पहुंचाता है तो एस० पी० क्या ऐक्शन लेगा। मेरे यहां ऐसे केसेज हुये। नोटिस निकली एस० पी० के खिलाफ जिसमें ऐसी शिकायतें की गयीं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हम यह नहीं करते कि हर जिले में पोलिटिकल सावरेन की एक ऐसी कमेटी बनायें जिसमें करप्शन की कोई शिकायत लिखित या जबानी आये तो उसको इन्वेस्टीगेट करे और कोर्स आफ ऐक्शन सजेस्ट करे और गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल करे तब तक काम नहीं चल सकता।

एक सन्टेन्स और कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं और वह यह कि ब्रिटेन का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके बड़े भारी ट्रैडीशन्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट आये वह फेथफुल्ली उसकी पालिसीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अमरीका में ऐसी बात नहीं है। इसीलिये वहां हर की पोस्ट पर पालिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिये उसमें यकीन करने वाले लोग बिठाये जाते हैं। उसी तरह मैं समझता हूं कि जब तक इस सेक्रेटेरियेट में हर डिपार्टमेंट के लिये एक डिपार्टमेंटल हेड एग्जीक्यूटिव नहीं होगा और जितने सेक्रेटरीज हैं उनको सबार्डिनेट करके काम नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसी तरह जिला और तहसील लेवल पर एक कमेटी हो। तभी ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष----

आपका समय समाप्त।

श्री नेकराम शर्मा----

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडेराय जी ने जो कट मोशन पेश किया है, उसका मैं समर्थन करते हुये मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में तीन घोषणायें की हैं, उनका स्वागत करता हूं। एक घोषणा उन्होंने यह की है कि वे सचिवालय के प्रशासन में इम्प्रूवमेंट करेंगी और ठोस कदम उठायेंगी जिससे प्रशासन में जो खराबी हो रही थी वह ठीक हो और प्रशासन अच्छी तरह से चल सके। दूसरी घोषणा उन्होंने यह की है कि वे प्रशासन के खर्च में कमी लायेंगी और तीसरी घोषणा उन्होंने यह की है कि भ्रष्टाचार के जो स्पेसीफिक केसेज उनके सामने आयंगे, उनकी वे जांच करायेंगी और कोशिश करेंगी कि उसको समाप्त कर सकें। श्रीमन्, उन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि वे इन तीन बातों को नहीं कर पायेंगी तो कुर्सी से चिपके रहने का उनका कोई इरादा नहीं है और वे इस्तीफा दे देंगी। (व्यवधान) जिस समय बजट पर आम बहस हो रही थी तो उन्होंने उत्तर देते समय कहा था कि उनको कुर्सी से चिपके रहने

का शौक नहीं है । अगर वे कार्य नहीं कर सकेंगी तो इस्तीफा दे देंगी । बैरिस्टर साहब तो यहां सदन में रहते नहीं हैं, उन्हें क्या पता कि सदन में क्या हो रहा है ?

श्रीमन्, सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया वह यह था कि उन्होंने इस सचिवालय के चीफ सेक्रेटरी के पद पर श्री दास को नियुक्त किया । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । यह हमारे प्रदेश और सदन का सौभाग्य है कि हमें श्री दास जैसा चीफ सेक्रेटरी मिला । हमें उम्मीद है कि वे सचिवालय के रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम को पूरा करेंगे । मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो स्पेसीफिक केसेज उनके सामने आयेंगे उनमें से किसी को बख्शेंगी नहीं । लेकिन श्रीमन्, मुझे माननीय नवलकिशोर जी की बात से संतोष नहीं हुआ । जब वे गवर्नमेंट में रहते हैं तो दूसरा भाषण देते हैं और जब बाहर रहते हैं तो दूसरा भाषण देते हैं । उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी यहां मौजूद नहीं हैं । हमारी जिम्मेदारी सदन में मिनिस्टरों के प्रति होती है । वे हमारी बहस सुनें और उसका उत्तर दें । लेकिन चीफ सेक्रेटरी के सदन की दीर्घाओं में रहने या न रहने से हमें कोई मतलब नहीं है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई क्या उनको इसलिये चोट लगी कि हमारी चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेन्ट होकर काम करती हैं । उन्होंने कहा कि गुप्ता जी ने इकोनामी की । हमारे वित्त मंत्री जी ने तो २० करोड़ की इकोनामी दिखा दी प्लान कट करके । माननीया कृपलानी जी ने कहा है कि मैं इकोनामी करने का प्रयत्न करूंगी । माननीय नवल किशोर जी, सुचेता जी की तारीफ न करके गुप्ता जी की तारीफ करने लगे । उन्होंने एडीशनल कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में काफी कहा । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो यह आफिसर्स हैं वे हमारी तरह से ही देश भक्त हैं । हमें एडिशनल कमिश्नर रखने पड़ेंगे यदि उनकी आवश्यकता है और धन पैदा करना है जिससे ये काम कर सकें । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स कीजिये दास साहब को ५ साल का समय दिया जाय । अगर वे इस समय में प्रशासन की हालत ठीक नहीं कर पाते हैं तो यह सदन उनका इम्पीचमेंट करेगा, यह आदरणीय सदन करेगा और हमारे प्रदेश की जनता करेगी और माननीया मुख्य मंत्री जी का यह कर्त्तव्य होगा कि हर अफसर की आप रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिये ।

श्री जसरामसिंह—

पांच साल बहुत लम्बा समय है । तीन साल होना चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने पांच साल कहा । अगर माननीय मुख्य मंत्री पांच साल के बजाय तीन साल में कर सकें तो मैं बहुत आभारी हूंगा । इस सदन में पांच-छः मिनिस्टरों के खिलाफ चार्जेज लगाये गये जिसमें मुजफ्फर हुसैन साहब, इनडाइरेक्टली, डाक्टर सतीराम, इनडाइरेक्टली चौधरी चरणसिंह, श्री गिरधारीलाल, श्री बनारसीदास की लड़की की शादी में डेढ़ लाख रुपया कन्यादान में आया । ऐसा झारखंडे राय जी ने कहा था अपने भाषण में । इस तरह के चार्ज आये ।

श्री जसरामसिंह—

यह बिलकुल असत्य बात है ।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री को इस सदन में बयान देना चाहिये कि उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश होता है, या यह कहना चाहिये कि वह बिल्कुल निर्दोष हैं । सदन में और सदन के बाहर भ्रम ही नहीं फैल रहा है एक बात बनती चली जा रही है अभी से भ्रम फैलता जा रहा है । कि इतने सीरियस चार्जेज मंत्रियों पर लगाये गये आखिर मुख्य मंत्री क्यों चुप हैं ? विजिलेंस कमीशन के सामने तो गवर्नमेंट आफिशल्स के मामले पेश होंगे । मिनिस्टर्स और एम० एल० एज० के केसेज उनके सामने नहीं जायेंगे । मिनिस्टरों के पास ही नहीं एम० एल० एज० के पास भी बहुत से परमिट हैं । सब को इन्क्वायरी हो कि किसके पा

[श्री नेकराम शर्मा]

कितने परमिट हैं, कितने आइरन के, बस के तथा अन्य परमिट हैं। यह सारे मामले जस्टिस जगदीश सहाय जो इस प्रदेश के माने हुए हाई कोर्ट के जज हैं, को सुपुर्द कर दिये जांय ताकि जो जनता में एक भावना बनती जा रही है, जो गलतफहमी पैदा हो रही है कि वह दोषी हैं या निर्दोष हैं, वह दूर हो सके। मैं सुचेता जी से निवेदन करूंगा कि आपके खिलाफ काफी षड़यंत्र हो रहा है। अफसर यह कोशिश कर रहे हैं कि आपके आदेशों की अवहेलना की जाय। आपका आदेश गया, लेकिन कानपुर के के० के० शर्मा ने पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी बनने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा आई रिफ्युज टु गो देयर। आपके पास पत्र नहीं आया होगा, चीफ सेक्रेटरी के पास आया होगा। उन्होंने उनका ट्रांस्फर फैजाबाद कर दिया और भरतनारायण को वहां भेज दिया। आफिसर्स की यह हिम्मत कि वह गवर्नमेंट के आदेशों को डेफाई करें? इस सदन का प्रत्येक सदस्य आपके साथ है कि अगर कोई भी गवर्नमेंन्ट अफसर आपकी हुकुम उदूली करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाय। सरकार का आदेश सरकार का आदेश है। हरएक को सरकारी आदेश मानना पड़ेगा। समय आ गया है कि सबसे पहले मिनिस्टर्स को एग्जाम्पिल सेट करनी चाहिये। पलिस गार्ड अबालिश कीजिये। रोज जिलों में दौरा करते हैं, जरा माननीय शिवप्रसाद गुप्त से पूछ लीजिये आगरे में कितने बार गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री हर जिले में जाती हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अपने पास से खाना खाएंगी, किसी की दावत स्वीकार नहीं करेंगी। मिनिस्टर कलेक्टर के यहां खाना खाते हैं, पूंजीपतियों के यहां खाना खाते हैं। जिस पूंजीपति के यहां खाना खायेंगे तो असर पड़ता है ही। प्रत्येक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी किसी पूंजीपति के यहां या अफसर के या किसी के यहां खाना न खाएं। ठाकुर हुकुमसिंह कहते हैं कि मैं भी अपने पास से खाऊंगा। मैं उनको बधाई देता हूं। सारे माननीय मंत्री मुख्य मंत्री के इस निश्चय का साथ देंगे और आज से वह किसी पूंजीपति के यहां खाना खाना बन्द कर देंगे।

श्रीमन्, टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। आप इस किताब को देखें, गवर्नमेंट की ही यह किताब है—रैशनलाइजेशन आफ स्पेशल पेज, एलावेंसेज ऐंड आनरैरिया टु गजटेड आफिसर्स। ३०० से ५० रुपये तक स्पेशल पे है जो कि एक महीने में करीब ५४ हजार २१३ रुपया खर्च आता है और एक साल में आठ, दस लाख के करीब हो जायगा। यह आठ, दस लाख रुपया श्रीमन्, आप उन गरीब चपरासियों को दीजिये जिनको तनख्वाह १०० रुपया है या जिनकी १०० रुपये से कम है उनको स्पेशल पे दीजिए न कि भारी भारी पे पाने वालों को इनको मत दीजिये जिन्होंने हमारे प्रोडक्शन को खत्म कर दिया, जिन्होंने हमारे यहां का ऐंड आर्डर को ऐसी हालत पैदा कर दी। इन हजार और डेढ़ हजार रुपया तनख्वाह पाने वालों को जो आप स्पेशल पे देती हैं इसे समाप्त कीजिये। बहुत दिन से यह मांग सदन में हो रही है। मुझे उम्मीद है कि पहली अप्रैल से आप यह भी आदेश देंगी कि स्पेशल पे बन्द की जाती है। इस टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च बढ़ रहा हैएक नया प्राविजन और बजट में बढ़ा है, उसे आप पढ़ लें पेज ९८ पर है—

"It has been decided to allow travelling allowance to government servants on their retirement from service to enable them to proceed to the place of their final residence after retirement."

मिनिस्टर रिटायर हो जाय, कोई भत्ता नहीं, एम० एल० ए० रिटायर हो जाय कोई भत्ता नहीं लेकिन आफिसर अपने काम का ध्यान रखता है हमेशा हावी हो जाता है। उन्होंने एक यह भी क्लाज रख दिया कि रिटायर हो जांय तो फाइनल रेजीडेंस तक प्रोसीड करने के लिये उनको एलावेंस दिया जाय। मान लीजिये मैंने तय किया कि मैं इंग्लैंड में रहूंगा तो दीजियेगा वहां तक भत्ता या प्रदेश में ही कहीं रहूंगा तो वहां तक का दीजियेगा। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे २० मिनट का समय दिया जाय, वीरसेन जी को आपने अभी २० मिनट दिया है .....

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं इसमें २० मिनट नहीं है, १५ मिनट है। आप दो-तीन मिनट और ले लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम कीजिये। स्पेशल पे को घटाइए। स्पेशल पोस्ट्स, स्पेशल सेक्रेटरीज और दुनियां भर के सेक्रेटरीज एक बार कुछ कम किये गये थे, वह दुबारा फिर बढ़ा दिये गये। डिपार्टमेंट आफ स्पोर्ट्स की क्या जरूरत है? ऐसे और अनेक डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। इनको समाप्त कीजिये। इस सदन में डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने एक बात कही थी कि वह इन्वेंट्री बनायेंगे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स सबकी इन्वेन्ट्री बनाकर प्रस्तुत कर दीजिये। वह बनेगी तो आपका अंकुश रहेगा और श्रीमन्, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कराना चाहती हैं तो एक-एक इंटेलिजेंस का आदमी हर प्रोजेक्ट में नियुक्त कर दीजिये जो यह पता लगाये कि आखिर यह सीमेंट वगैरह जाता कहां है, सबकी रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिये। ला ऐंड आर्डर को अगर आप ठीक करना चाहती हैं तो माननीय गेंदासिंह जी आज नहीं है उन्होंने सदन में I. G. को हटाने की मांग की थी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह आई० जी० है तब तक लां ऐंड आर्डर ठीक नहीं हो सकता। आपके पास अच्छे से अच्छे आफिसर्स मौजूद हैं। सक्सेना डी० आई० जी० जो पुलिस ट्रेनिंग कालेज में हैं इतने योग्य और ईमानदार आदमी हैं कि जिनके बारे में हर एक जानता है। ऐसे-ऐसे आदमी आपके पास मौजूद हैं। आप इस आई० जी० को हटाइए। विजिलेंस कमीशन जो आपने बनाया है उसमें आप एक भी आई० ए० एस० या आई० सी० एस० मत रखिये। हाईकोर्ट के जज रखिये। जियाराम जी एक अच्छे आनेस्ट आदमी थे, वह इधर चले गये, अब यहां पुलिस विभाग पूरा खाली हो गया। आपको मालूम है आई० जी० ने अपने भतीजे को, जिसके वह मौसा लगते हैं, डी० आई० जी० बनाया है जो अभी पी० ए० सी० में थे। आपसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, अगर आप ही इनको ठीक नहीं कर पायीं तो कौन ठीक करेगा? आज जिले में जाइए, आफिसर्स बंटे हुए हैं, यह गुप्ता जी के गुट के हैं, यह कमलापति त्रिपाठी के ग्रुप के हैं। हमारे यहां दो मिनिस्टर गये, अली जहीर साहब और चतुर्भुज शर्मा जी, डी० एम० या एस० पी० में से कोई नहीं आया उनको लेने। और नवलकिशोर जी गये तो वहां डी० एम० भी मौजूद हैं और एस० पी० भी मौजूद हैं जबकि आज नवलकिशोर जी कुछ भी नहीं हैं। अजीब नजारा है। मैं आपसे और चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करता हूं कि आप ओवरहाल कर दीजिये सबको, हमारी सबकी सिम्पथी आपके साथ है। ग्रुपबाजी पर जीवित रहने वाले आफिसर्स को दूसरी जगह भेजिये।

श्रीमन्, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो बिलकुल होक्स है। वहां से जो आप अप्वाइन्टमेंट कराती हैं उनमें अजीब तरह के सवाल किये जाते हैं। वहां पर पूछा जाता है कि तुम अयोध्या कांड की चौपाई सुनाओ। वहां पर जिन आदमियों को रखा जाय वे इस तरह के होने चाहिये जिससे हमारा सोशल आब्जेक्टिव पूरा हो और उसके अनुरूप ही वहां से नियुक्तियां हों। पब्लिक सर्विस कमीशन में हमको ऐसी विचारधारा के लोगों को ही भेजना चाहिये। वहां से जिन अफिसरों को हम नियुक्त करना चाहते हों उनका आउट लुक कैसा है यह देखने की जरूरत है। वे किस विचारधारा के लोग हैं इस बात को जानकर ही उनको नौकर रखा जाना चाहिये। अगर आप डेमोक्रेसी के कायल हैं तो इसी विचार धारा के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये। अब यह भी कहा जाने लगा है कि जुडिशरी करेप्ट हो गई है। जुडिशरी में जज बढ़ते चले जाते हैं लेकिन केसेज उतने ही रहते चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह बड़ा भारी प्राब्लम है। इसमें गुप्ता जी फेल हो गये। वह नहीं पता लगा पाये। उनको चारों तरफ से उनके लोग घेरे रहते थे। आप अपने पास इनको न आने दीजिये।

[श्री नेकराम शर्मा]

आप खुद बैठकर डिसीजन लीजिये और अगर आपको यहां पर डिसीजन लेने में कोई कठिनाई मालूम होती है तो अतरटिया के पास जिस बंगले में रफी साहब चले जाया करते थे वहां पर चले जाइये और वहां दास साहब को बुला लीजिये और वहां बैठकर डिसीजन लीजिये। किसी की न सुनिये। वहां से आप आर्डर ईश्यू कीजिये। उसके बाद कोई भी आये या बनारसीदास जी आयें या दूसरे लोग आयें आप उसी पर डटे रहें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है। हाई कमांड ही आपको निकाल सकता है लेकिन जब आप ठीक रूप से काम करेंगे तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है और आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप खुद ही तर जायेंगे। आप न माननीय defect चीफ मिनिस्टर को और न wourld be की स्वतंत्रता से प्रदेश और अच्छे शासन के लिये निर्णय कीजिए।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कई बार उठने बैठने के बाद बोलने का अवसर प्रदान करने की कृपा की। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने आज यह बजट प्रस्तुत किया है। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,१९,१२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये प्रस्तुत की गई है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकारी मशीनरी है यह बहुत ढीली है और जर्जर है। यह इसलिये कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे राजनीति में भाग लेते हैं यह बड़ी अनैतिक बात है। मान्यवर, जिस समय अफसरों के अन्दर जातिवाद आ जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन सही रूप से नहीं चल सकता। अपने जिले के बारे में मुझे याद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय फैजाबाद गयी थीं तो उनको हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र एक अधिकारी के विरुद्ध दिया गया था परन्तु पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ। वह एक अधिकारी कोआपरेटिव के हैं जिनका जातिवाद में विश्वास है और कोई भी एलेक्शन जब होता है तो उसमें वह भाग लेते हैं। यहां से उनका दो बार ट्रान्सफर हुआ परन्तु फिर भी पता नहीं क्यों उनका ट्रान्सफर रोक दिया जाता है। यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी भारी कमजोरी है।

मान्यवर, आज खासतौर पर माल विभाग के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें बड़ा करप्शन है। यह बात कुछ हद तक सही है। चकबन्दी को इसलिये चलाया गया था कि किसानों को सुविधा हो, उनके खेत इकट्ठा हों और उनको प्रोत्साहन मिले हर काम में। लेकिन जो आज चकबन्दी कर रहे हैं वे कहते हैं कि हम किसानों के भाग्य विधाता हैं और देखने में यह सही भी मालूम होता है कि वे उनके भाग्य विधाता हैं। मुझे मालूम है कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील में चकबन्दी समाप्त हो गई। रिकार्ड आपरेशन होते समय कितने ही गरीब किसानों के चक, जिनसे चकबन्दीकर्ता रुपया नहीं पाये, अदल-बदल कर दिये और उनके चक को कम कर दिया। जिन से रुपया पाया उनका चक बढ़ा दिया। अब दूसरी जगह चकबन्दी हो रही है और वहां भी बहुत काफी भ्रष्टाचार फैल गया है। यह इसलिये कि वहां के एस० ओ० सी० काफी अरसे से वहां हैं। जो अधिकारी हैं वह उनसे मिले हुए हैं और इसलिये कोई शिकायत भी सुनने वाला नहीं है। मैंने माल मंत्री जी को उन एस० ओ० सी० साहब को हटाने के लिये लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास उसकी कोई शिकायत नहीं आयी है। मारे डर के कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। कई बार लोगों ने दरख्वास्तें दीं लेकिन उनका चक बिगाड़ दिया गया और इसलिये अब जनता उनके खिलाफ आवाज उठाने में असमर्थ है।

मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे फैजाबाद का दौरा करें और देखें कि वहां की क्या हालत है। तहसीलों में भ्रष्टाचार बहुत है और दाखिल खारिज के और कागजात दुरुस्ती के मामले तो बिना रिश्वत लिये किये ही नहीं जाते। इससे जनता में बड़ा असंतोष है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में जो पाला पड़ा था उसकी रिपोर्ट बहुत कम दी गयी है। मेरे क्षेत्र में पाले से काफी नुकसान हुआ है। वहां तहसीलदार या

अन्य कर्मचारियों ने दौरा किये बिना ही रिपोर्ट बना दी है और उसमें बहुत कम नुकसान दिखाया गया है। मैंने माल मंत्री जी को दुबारा रिपोर्ट मंगाने के लिये दरख्वास्त दी थी।

इसके अतिरिक्त विभागों में १८ प्रतिशत हरिजनों को जगहें देने की नीति सरकार ने अपनायी है, लेकिन कुल २ या तीन प्रतिशत जगहें ही उन के पास हैं। इस नीति से हरिजनों का उद्धार नहीं हो पा रहा है। वह अभी नीचे स्तर पर ही पड़े हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हरिजनों को उन के कोटे से स्थान दिये जायं।

इसके अतिरिक्त अकबरपुर से जहांगीरगंज तक रोडवेज चलाने की सरकार की स्कीम थी लेकिन कुछ लोगों की वजह से वह स्कीम पूरी नहीं हो पाती। जनता चाहती है कि उस लाइन पर रोडवेज की बसें चलें। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में कोई कार्य जनता के भले के लिये सरकार की ओर से नहीं हुआ है। मैं बोलने का अवसर कम पाता हूं इसलिये अपने क्षेत्र की पूरी बात सरकार के सामने नहीं रख पाता। सरकार रोडवेज के लिये, सड़कों के लिये परेशान है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। फैजाबाद से हम यहां एक दिन में आ सकते हैं लेकिन क्षेत्र में बुरी हालत है और वहां आने-जाने के साधन नहीं हैं और वहां जाने में ही दिन भर लग जाता है और रास्ते में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन में जो बोलने का आपने अवसर दिया है उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं। दो साल के बाद ७ मिनट का टाइम आपने मुझे दिया है। मैं आपका ध्यान इलाहाबाद जिले की तहसील सोरांव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहां से पं० जवाहरलाल चुनकर संसद में जाते हैं, वहीं से मैं चुनकर आया हूं। मुझे थोड़ा-सा उस क्षेत्र के बारे में बताना है, मंत्राणी जी बैठी हैं, ध्यान से सुन लें। जबसे चुनाव हुआ है पंडित जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बीमार भी पड़े हुए हैं, आ भी नहीं सकते कि कुछ इंतजाम देखें और जनता हमारे ऊपर शासन जमाती है और हमारे ऊपर डाट लगाती है। वहां पर डकैती और कत्ल इतने हो रहे हैं कि किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही में जिलाधीश महोदय यहां से भेजे गये हैं, उन्होंने गल्ले के इन्तजाम में जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बेइंसाफी की है वह पेश करना चाहता हूं। जब यहां से पहले आर्डर गया तो बिलकुल दिलचस्पी नहीं ली, दूकान भी नहीं खोलीं। ४-४ बाजार लुट गये कौड़िहार, मंसूराबाद वगैरह के और जो लूटमार हुई है उसको छिपाने के लिये कलक्टर साहब १-३-६४ को गये थे। हमारे विरुद्ध जो आदमी हारा है उसको मोटर पर बिठा कर और वर्कर्स को बिठाकर गये और गलत प्रचार कराया। उसी के स्कूल के लड़कों ने पहले कौड़िहार बाजार लूटा। तो प्रधान मंत्री के क्षेत्र में ऐसा अन्याय हो रहा है।

दूसरी तरफ चकबन्दी का काम हमारे यहां सबसे पहले अधिकारियों ने सोरांव से सीखा है, वहीं पहले पहल चकबन्दी शुरू हुई। जिनके चक बने हैं वह सब के कम हैं। मैं माल मंत्री जी से कहूंगा कि दोबारा नाप-जोख कराई जाय तो बहुत ही अच्छा होगा और किसानों का कल्याण हो जायगा। एक खामी और है, हमने कल भी दरख्वास्त दी है कि १४ रुपये की रसीद दी गयी और ३२ रुपये वसूल किये गये, वहां पर इसकी जांच कराई जाय और जिनके लगान ज्यादा हो गये हैं उनको कम कराने की कोशिश करें। वितरण का यह हाल है कि होली पर पाव-पाव भर चीनी भी किसानों को नहीं मिल सकी, रो रो कर किसान चले गये। जब समाजवाद की दुहाई सरकार देती है और महात्मा गांधी की पूजा रोज होती है तो इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द खत्म करें तभी देश का कल्याण हो सकता है।

इसके अलावा मैं शिक्षा विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में जितने प्राइमरी स्कूल हैं करीब ९० प्रतिशत घराशायी हो गये हैं, कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। ब्लाकों में कौड़िहार जो नजदीक में है वहां गबन हुआ है और रुपये की आज तक सही तरीके से जांच नहीं हो सकी। तो मैं निवेदन करूंगा ब्लाकों में जो भ्रष्टाचार

[श्री मेवालाल जायसवाल]

हुआ है उसकी जांच की जाय। इसके अलावा मैं आपका ध्यान सिंचाई की तरफ ले जाना चाहता हूं। अभी जुलाई में एक मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हमारे यहां एक पुल के लिये ४७ हजार रुपया मंजूर हो गया है। लेकिन उस पुल के बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेहरबानी करके उस पुल को जल्दी बनवा दें।

इसके अलावा हमारे यहां एक शान्ता देवी का मंदिर है। वह गंगा के धक्के से टूट गया था। मंत्री जी ने वायदा किया था कि वे उसकी जांच करायेंगे और उसको ठीक करवा देंगे लेकिन आज तक न उसकी कोई जांच हुई और न वह ठीक ही कराया गया। उसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली।

एक बात मैं कहना भूल गया था। आप अपने जिलाधीश, इलाहाबाद को सूचित कर दीजिये कि जब कभी भी वे मेरे क्षेत्र में आयें तो उसकी सूचना मुझे पहले से दे दें। वे जब आते हैं तो उस व्यक्ति को, जो मेरे मुकाबले में हार गया है अपने साथ लेकर दौरा करने आते हैं। मुझे कोई सूचना नहीं देते। अगर सरकार की तरफ से न्याय नहीं हुआ तो फिर वही हाल होगा कि जब भी पंडित जी आयेंगे, कमजोरी की हालत में भी, ३–४ हजार आदमी उनको घेर लेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप वहां के भ्रष्टाचार को दूर कीजिये। माननीया मुख्य मंत्री जी अवश्य एक बार मेरे क्षेत्र में पधारें, मैं उनका स्वागत करूंगा और वहां की हालत को दिखलाऊंगा।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने जिले मिर्जापुर में अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है। वहां पर अधिकांश रूप में आदिवासी तथा परिगणित जाति के लोग बसे हुये हैं। वहां के लोगों को कितना कष्ट है, यह कहा नहीं जा सकता। पारसाल जब प्रधान मंत्री नेहरू, रिहन्द बांध का उद्घाटन करने के लिये गये थे तो उन्होंने कहा था कि हमें जब खुशी होगी जब राबर्ट्सगंज दुद्धी क्षेत्र के लोग खुशहाल होंगे और आगे बढ़ेंगे और वहां के लोगों को काम मिलेगा। इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा होने का कारण यह है कि यह जिला डेढ़ सौ मील लम्बा है जो एक किनारे पर बसा हुआ है। हम लोगों को अपने क्षेत्र से डेढ़ सौ मील चलकर अपने जिले में आना पड़ता है। जब मिर्जापुर जिला बना था, उस समय वहां की आबादी ५–६ लाख की थी। आज वह बढ़कर १२–१३ लाख के करीब है। हमारा यह सवा सौ मील का पहाड़ी क्षेत्र अभावग्रस्त क्षेत्र किसी भी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया।

हमारे अधिकारियों की यह कितनी अच्छी नेकनीयती है कि उसको अभावग्रस्त क्षेत्र में भी नहीं रखा गया है। गंगा के उत्तर का इलाका तो अभाव ग्रस्त मानागया, लेकिन हमारा इलाका छोड़ दिया गया। हमारे यहां पीने के पानी तक का अभाव है। चलने के लिये न हमारे यहां सड़कें हैं, न वहां की उन्नति के लिये और ही कोई साधन हैं। प्रदेश में तमाम जगह मेन पावर स्कीम में सड़कें बनी हैं, मगर हमारे यहां एक भी सड़क नहीं बनी। हमारे यहां हाकिम परगना और जिलाधीश वगैरह डेढ़ सौ मील की दूरी पर रहते हैं। उनको कभी हमारे क्षेत्र में जाने का मौका ही नहीं मिलता। कोई अधिकारी कभी जाता तक नहीं। अभी एक कलक्टर महोदय गये हैं जिससे हम लोगों को कुछ खुशी है क्योंकि उन्होंने उन क्षेत्रों में जाना शुरू किया है।

वहां ब्रिटिश हुकूमत में आदिवासियों के क्षेत्रों में बंधे बनाये गये थे, सड़कें कच्ची बनाई गई थीं। वे सब अब नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं। ५०–५० मील चलकर और पच्चीसों पहाड़ उतर कर लोग वहां पहुंचते हैं। १००–१५० मील की दूरी पर हमारे अधिकारी दौरा करने जाते हैं तो उसमें बहुत पैसा बेकार नष्ट होता है, क्योंकि उनके दौरों पर काफी खर्चा बैठता है। वे वहां मुकदमें करने के लिये भी बहुत कम जाते हैं और इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। माननीय

पंत जी के जमाने से राबर्ट्सगंज और दुद्धी के परगना हाकिम तो अलग-अलग हो गये लेकिन उनका हेडक्वार्टर मिरजापुर में ही रहा। जैसे झांसी में डिवीजन है, ललितपुर में हाकिम परगना, डी० एस० पी०, जुडिशल मैजिस्ट्रेट इत्यादि रहते हैं वैसे ही वहां हमारे यहां भी होना चाहिये। हम झांसी की शकल में हैं।

माननीय पन्त जी के जमाने में दुद्धी तहसील का लैंड रेकार्ड आपरेशन हुआ था। राबर्ट्सगंज में इस समय रेकार्ड आपरेशन चल रहा है जो दुद्धी से किसी तरह पिछड़ेपन में कम पिछड़ा नहीं है। हमारे आपरेशन अधिकारी मिर्जापुर में रहते हैं। वह एक बार दौरा जब करते हैं तो उसमें सैकड़ों रुपया सरकार का नाजायज खर्च हो जाता है। अगर उनका हेडक्वार्टर वहीं हो जाय तो इससे सरकारी रुपया बचेगा और जनता को भी आसानी होगी। हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे उच्च अधिकारी हमसे दूर रहते हैं और हमारे बीच में नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे यहां इसलिये पुलिस के चौकीदार, सिपाही और फारेस्ट विभाग के फारेस्ट गार्ड रेंजरों की ही हुकूमत रहती है। वहां के आदिवासियों को आज तक कोई समाजवाद या गांधीवाद मालूम नहीं है। जब हमारे यहां विन्डम कलेक्टर दौरे पर जाते थे तो वहां के आदिवासी उन्हें खुश होकर आशीर्वाद देते थे कि "सरकार तैं दरोगा हुई जा"। आज वहां के लोगों की दशा को कोई देखनेवाला नहीं है। हमारे यहां १०–१० और १५–१५ मील पर पोस्ट-आफिस हैं, तो चिट्ठी भी वहां नहीं पहुंच सकती है। मिर्जापुर आने में वे असमर्थ होते हैं। हमारे यहां की बहुत-सी तकलीफें तो उच्च अधिकारियों के देखने से ही हल हो जावेंगी। ऐसी सूरत में उपरोक्त निम्न वर्ग के अधिकारी को राबर्ट्सगंज में रखने की कृपा की जाय जब तक जिला न बने।

*कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। इस वक्त प्रशासन की वही स्थिति है जैसी कि हिरनाकुश ने जब प्रहलाद से कहा कि तुम्हारा राम कहां है, तो उसने उत्तर दिया था कि मोहू में, "तोहू में, घट-घट व्यापै राम"। वैसे ही आज इस प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जहां से शासन का संचालन होता है वह सब से पहले आपका मंत्रि-मंडल है, विधायक दल है। ये सब स्थानीय अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर उनसे अनुचित काम करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि प्रशासन सुधर जाय तो हमें पहले अपने आपको सुधारना होगा क्योंकि हम लोग अगर सुधर जायं तो सरकारी कर्मचारी कभी भी गलत काम न करें।

दूसरी बात यह है कि हम आपसी बैर भाव को दूर करना चाहिये। अगर हमारे विपक्षी कार्यकर्ता किसी काम के लिये सही सुझाव दें तो हमें उसको मान लेना चाहिये लेकिन बड़े से बड़ा शासक यह सोचता है कि यह तो विपक्षी दल का आदमी कह रहा है। अगर इसके काम को कर दिया जायगा तो इसका दल मजबूत हो जायगा, जनता उसकी जय जयकार मनायेगी। भारत गांधी जी का देश है, त्याग और तपस्या का देश है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर राज्य लिया लेकिन उसका फल उन्होंने नहीं भोगा लेकिन आज उनके चेले उनके पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं और ऐश आराम में फंसे हुये हैं। क्या कोई मंत्री आज यह कह सकता है कि वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये छिपे तौर पर घूमा है? क्या किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये किसी जिले में जाकर वहां के कर्मचारियों के साथ बैठकर गुप्त मीटिंग की है? और उनको हिदायत दी है कि वे लोग ईमानदारी से कार्य करें? मंत्री लोग जब जाते हैं तो भोले भाले किसान जो सताये जाते हैं वे नहीं आते, कुछ दलाल लोग सफेद कपड़ा पहन कर आ जाते हैं और मंत्री जी उनको देखकर समझ लेते हैं कि हमारा प्रान्त स्वर्ग बन गया है। देखिये साहब, इस तरीके से शासन का काम नहीं चल सकता हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सबको मिलकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर तेजभानसिंह]

शासन को सुधारना चाहिये । मैं एक छोटा-सा आदमी हूं, मिडिल तक मेरी शिक्षा है, मगर ५००–६०० रुपया ही खर्च करके मैंने चुनाव जीता है । गांव-गांव दौड़ा और अब भी जाता हूं । जनता कहती है कि अब तो आप भी सदस्य बन गये, फिर भी हम लोग सताये जा रहे हैं । प्रतापगढ़ में मैंने १२ रोज का अनशन किया लेकिन वहां के भ्रष्टाचारी अफसर अभी तक वहां कायम हैं । मैंने उनको हटाने की मांग की तो दूसरे नेता यहां दौड़ कर आये और कहा कि अगर यह अफसर वहां से हटाया गया तो सोशलिस्ट पार्टी के नेता के पैर वहां जम जायेंगे । सोशलिस्ट पार्टी के नेता जैसा कहते हैं आप उसके विपरीत करते हैं आपको जो सही सुझाव दे तो उसको निष्पक्ष रूप से मानना चाहिये और द्वेष भाव को दूर करके शासन में काम करना चाहिये । हम अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें कि कहीं हममें भ्रष्टाचार तो नहीं है, तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है । हर विभाग में भ्रष्टाचार जोरों पर है । अगर हम किसी सरकारी आफिसर से कहते हैं तो वह कहता है कि आप छोटे-छोटे लोगों को क्यों परेशान करते हो, बड़े-बड़े नेताओं और मंत्रियों को क्यों नहीं कहते ? अब पिछली साल समाप्त हो गयी है और अगली साल का कार्यक्रम बनने जा रहा है । हम सब अगर अपने प्रान्त का सुधार करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार अपने से दूर करें और प्रशासन से दूर करने की कोशिश करें ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के दौरान उत्तराखंड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई । इसलिये मैंने अत्यन्त आवश्यक समझा कि इस सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं । इस सामान्य प्रशासन के बजट पर बहस के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा सारे प्रान्त की हुई तो यह जरूरी था कि जो कुछ त्रुटियां उत्तराखंड में हुई हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र उन चीजों की ओर ध्यान देगी और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश करेंगी ।

सबसे पहले मैं माननीया मुख्य मंत्री को धन्यवाद इस बात के लिये देता हूं कि उन्होंने एकदम ज्यों ही कार्य-भार संभाला अपना ध्यान उस ओर दिया और उत्तराखंड विकास कमेटी बना कर वहां के सारे प्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों को बुला कर उनसे विचार-विमर्श किया और उनकी विचारधाराओं को जाना । मुझे आशा थी कि जिन बातों की चर्चा उस अधिवेशन में हुई थी उसका बहुत कुछ सक्रिय रूप इस बजट में यहां देखने को मिलेगा । लेकिन मुझे निराशा रही कि आज इस बजट में भी जो बातें उस अधिवेशन में मान ली गयीं थीं, उन पर भी कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है । जैसे मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि जितने भी जिला परिषदों के अध्यापक हैं उन बेचारों को अब तक भी बोर्डर एलाउंस नहीं दिया जाता जबकि आफिसरों को बड़े-बड़े मोटे भत्ते दिये जाते हैं । ५०–६० रुपये तनख्वाह लेने वाले जो ये अध्यापक हैं उनको अब तक कोई भी बार्डर भत्ता नहीं मिलता । तो उस कमेटी में यह मान लिया गया था कि यथासंभव इसको रेक्टिफाई किया जायगा और हमारे जितने भी लेजिस्लेचर इस सदन में उत्तराखंड के हैं उन्होंने सर्वसम्मति से यह कहा था कि जितने भी यहां के जिला परिषद् स्कूल्स हैं उन्हें राजकीय कर देना चाहिये क्योंकि जिला परिषद् के अध्यापकों को वही शिक्षा देनी पड़ती है, वही उनके क्वालिफिकेशंस होते हैं जो राजकीय स्कूल के अध्यापकों के हैं । तो उनका १५० रु० तनख्वाह होना और जिला परिषद् के अध्यापकों का ६० रु० तनख्वाह होना बहुत ही अन्याय की बात है । सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर शीघ्र से शीघ्र सक्रिय कदम उठायेगी ।

इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० कुली गैंग की बात है कि जो स्थानीय कुली हैं उनको तो ४०–४७ रु० तनख्वाह है जबकि मिलिटरी वाले कुलियों को तनख्वाह ९० रु० है । इसके अतिरिक्त मिलिटरी वाले उनको खाना, कपड़ा और दो महीने की छुट्टी अलग से देते हैं । यही नहीं पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर गोरखपुर के लेबर जाते हैं तो उनको १४० रु० मिलता है लेकिन

स्थानीय कुलियों को कुल ४७ रु० ही मिलता है। एस्टीमेट कमेटी जब वहां गयी थी तो उसके सारे मेम्बरों ने इस बात को देखा और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि सरकार को चाहिये कि गोरखपुर के लेबर को जो तनख्वाह दी जाती है तो उसी काम को करने के लिये वहां के कुलियों को भी उतनी तनख्वाह दी जाय लेकिन अभी तक वह भी नहीं हो पाया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि सरकार को इस तरह की दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिये इन प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के लिये, कुली गैंग के कुलियों के लिये, पंचायत सेक्रेटरीज के लिये और अर्द्ध सरकारी स्कूल के अध्यापकों के लिये। इस संबंध में सरकार की एक पालिसी होनी चाहिये। इस मंहगाई के जमाने में सरकार की अल्पभोगी कर्मचारियों के प्रति Live horse till you get grass की पालिसी उचित नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उत्तराखंड का जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाप हेवी हो गया है। वहां जहां पहले एक तहसील थी उसकी ४ बनाई गईं। एक डी० सी०, ४ एस० डी० ओ०, ४ तहसीलदार, ४ नायब तहसीलदार रखे गये। कहने का मतलब है कि जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था उससे ९–१० गुना खर्च हो गया जब कि वहां की ला एण्ड आर्डर की पोजीशन पहले जैसी ही है। इतने भारी टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन की वहां जरूरत नहीं थी। जो जरूरी चीजें थीं, सस्ता और शीघ्र न्याय लोगों को मिले वह नहीं हुआ और ९-१० गुना खर्च जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का हो गया जिसकी कि आवश्यकता नहीं थी।

विकास की योजनाओं की वहां कमी है और वहां पर उसके लिये जो स्केल्टन स्टाफ सारे प्रदेश में दिया जाता है वह भी नहीं दिया जा रहा है। वहां पर असिस्टेंट डी० सी० की पोस्ट नहीं है, डी० पी० ओ० की पोस्ट नहीं है। डी० सी० ही सब काम करता है और वही ब्लाक के काम को भी देखता है, उसको इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वह इस काम को ठीक से देख सके। इस तरह से विकास की योजनाओं में खर्च का घटना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ना उचित नहीं है। उससे इफीशियेंसी कम और फजूलखर्ची ज्यादा होगी।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करूंगा कि वहां के लिये पिछले साल २८ करोड़ रुपया मंजूर हुआ था और उस के मुताबिक साढ़े ५ करोड़ रुपया सालाना वहां पर खर्च होना चाहिये था लेकिन जो योजनायें वहां चलना चाहिये थीं वे नहीं चल सकीं और वहां का पिछड़ापन और आर्थिक समस्या वैसी की वैसी बनी रही और वहां की जनता भयंकर गरीबी के जाल में फंसी रह गई।

विकेन्द्रीकरण के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस समय ५२ जिलों में जिला परिषद् बन चुकी हैं लेकिन चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में अभी भी सरकार की मंशा जिला परिषदें बनाने की नहीं है। मेरी शिकायत है कि जो विकेन्द्रीकरण की पालिसी सरकार की सारे प्रदेश के लिये है वही वहां के लिये भी होनी चाहिये। हमारे यहां जितनी भी योजनायें चल रही हैं वे सब बिना एक्सपर्ट्स की राय के चल रही हैं। जैसे वहां का एनीमल हस्बेण्डरी विभाग है वह भी डी० सी० और डी० एल० ओ० के अन्डर में चलता है। अच्छा होता कि डायरेक्ट एनीमल हस्बेंडरी की राय भी एक्सपर्ट होने के नाते ली जाती। डी० एल० ओ० कोई बड़े स्टेचर का आदमी नहीं होता। सारे विभाग एक आदमी को सौंप देना ऐसा ही है जैसे कि तमाम बीमारियों के लिये अमृतधारा दे दी जाय। डी० सी० कितना ही विद्वान क्यों न हो वह हर विभाग की जानकारी नहीं रख सकता।

लैंड एक्विजिशन के बारे में आप का ध्यान दिलाऊंगा कि वहां की जनता को काफी तकलीफ इस मामले में हो रही है, बहुत-सी मिलिटरी वहां पहुंच गई है और बहुत-सी इमारतें और सड़कें बन रहीं है लेकिन उनके बनाने में वहां की जनता की सुख-सुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे। एक मंजिल के मकान बनाकर, सारी जमीन, पार्क, सड़क और मोटरखाने बनाकर, हर बंगले के लिये अलग-अलग बनाकर खराब की जा रही है। यह बड़े अन्याय की बात है। वहां वैसे ही खेती की जमीन की कमी थी। अच्छा होता कि उस

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

जमीन को न लेकर बंजर जमीनें इस काम के लिये ली जातीं और दोमंजिले मकान बनाकर जमीन की बचत की जाती। धारचूला थल, पिथौरागढ़ के आसपास से तमाम लोगों के ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं, जोशीमठ की जनता भी इस चीज से अधिक पीड़ित है कि वहां पर सरकार ने बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से वहां की काफी जमीनें किसानों से ले ली हैं। और उनको कम्पेनसेशन भी अभी तक ठीक ढंग से नहीं दिया जा रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। भोटिया लोगों के बारे में मैं बताऊं कि उनका तिब्बत से व्यापार खत्म हो गया है, जमींदारी अबालीशन के बाद वह जमींदारी भी नहीं कर सकते हैं जिसकी वहज से वह रिफ्यूजी से हो गये हैं, उनके रिहबिलिटेशन के लिये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। वे काफी तकलीफ में हैं, उनकी आबादी भी काफी है इसलिये उनके लिये कुछ न कुछ बहुत जल्दी होना चाहिये।

पेयजल योजना के बारे में मुझे यह कहना है कि सारे पर्वतीय क्षेत्र में सरकार ९० फीसदी सबसिडी दे रही है और १० फीसदी जनता से लेती है। मगर उत्तराखंड में बिल्कुल उल्टा हो रहा है जबकि वहां ज्यादा सबसिडी देनी चाहिये। वहां की जो ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी है वह बिलकुल शैटर हो चुकी है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति की आय कम हो रही है। इससे एक विशस सर्किल बन गया है। इसको समाप्त करने के लिये कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज का वहां होना जरूरी है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो वहां हो सकती है वह है टूरिस्ट ट्रेड। उस तरफ सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं गया है। जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड और स्काटलैंड में टूरिज्म को डेवलप किया गया है उसी तरह से इस इलाके में भी डेवलप करने की सरकार को जल्दी चेष्टा करनी चाहिये।

जितने अनएकोनोमिक होल्डर्स, लैंडलेस लेबरर्स हैं इनके लिये जमीनों की व्यवस्था सरकार को तराई भाबर में करनी चाहिये अन्यथा जिनके पास २,४,८ नाली जमीन है उससे वह अपना गुजारा नहीं कर सकते। अभी तक जितनी योजनायें चल रही हैं उनमें जो योजनायें पहाड़ के लिये होनी चाहिये उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। जितना भी उत्तराखंड का बजट बना है वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है जो वहां की जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। अच्छा होता अगर एक-एक टेक्निकल स्कूल हर जिले में होता जिससे लोगों को रोजगार मिलता। कोई सोशल वेलफेयर योजना अभी तक वहां नहीं चलायी गई, महिला मंगल योजना नहीं चली जबकि वहां की महिलायें बहुत पिछड़ी हुई हैं। हरिजन विभाग का भी कोई काम वहां नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे विशेष रूप से। कोआपरेटिव मूवमेंट उत्तराखंड में उसी ढंग पर चल रहा है जिस प्रकार से पहले चला करता था। इस मूवमेंट को इम्प्लीमेंट देने के लिये सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिये ताकि लेबर कोआपरेटिव, काटेज इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में प्रगति हो सके। वहां जो डिग्री कालेज बना है वह टिन शेड में चल रहा है, उसकी इमारत का प्रबन्ध होना चाहिये तथा साइंस के लिये सरकार यथाशीघ्र व्यवस्था करे। स्ट्रेटेजिक रोड्स में सरकार को जरूर बधाई देता हूं। डी० डी० बी० आर० को जो सड़कें दे दी गई हैं वहां अच्छा काम हो रहा है। मगर पी० डब्लू० डी० की सड़कों की हालत बहुत खराब है।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, करप्शन के बारे में मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि जिस तरह से सब चीजें बढ़ रहीं हैं, जिस तरह से हमारी योजनाओं में चीजें बढ़ रहीं हैं उसी तरह योजनात्मक ढंग से यह करप्शन भी बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिये भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है। अब मैं इसकी तरफ एक शेर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वह शेर अंग्रेजी की है :---

"Let the best not the worst be the rule of the Indian people."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे ख्याल से यह शेर नहीं। ऐसा भी नहीं है कि इससे डर जाया जाये। मैं केवल यह चाहूंगा कि हमारे देश से करप्शन की जड़ उखाड़ कर फेंक दें। सन् १९११ में श्री बिशन नारायण धर ने कहा था कि—

"Root cause of most of our misfortune, which if not corrected forebodes serious disaster in the future, is the growth of an unsympathy and ill literal spirit in the bureaucracy towards the new born hopes and ideals of the Indian people."

हिन्दी में अब मैं क्या कहूं। मैंने नहीं पढ़ी है। अब मैं पढ़ रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो गोखले जी ने कहा है वह इस प्रकार है :—

"Bureaucracy was growing selffish and openly hostile to the national aspirations, which was not so in the past."

अब मैं कटौती के प्रस्ताव की तरफ आता हूं और उसका समर्थन करता हूं

मुझसे ला हासिल है मेरी हसरतों का पूछना,
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।

गरीब जनता हम लोगों के क्षेत्रों में रहकर हमारी तरफ देखती है, वह बहुत परेशान है। आज आप हमें सफेदपोश देखकर यही कहेंगे कि न मालूम हमारे पास कितना रुपया है। लेकिन अगर करप्शन बदस्तूर रहा तो जब हम पांच साल बाद अपने क्षेत्र में जायेंगे तो हमारे ऊपर जूते ही पड़ेंगे। जहां तक करप्शन हटाने का सवाल है वह आपका भी फर्ज है और हमारा भी फर्ज है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि करप्शन है और उसको दूर किया जायगा तो मैं निवेदन करूंगा कि जब आप दूर करने की कोशिश करेंगे तभी दूर हो सकेगी।

(लाल बत्ती होने पर)

हम भी जल रहे हैं और यह भी जल रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि 'गवर्नमेंट मन की आंखे खोल, तेरी गठरी में लागा चोर'। हिन्दुस्तान के लिये यह अफसोसनाक बात है कि हम और आप दूसरे मुल्क की निगाहों में हंसे जायें। दरअसल हकीकत में देखिये हमारी आजादी वह आजादी नहीं है जिसका हम स्वप्न देख रहे हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रेम सिंह जी को बिना बधाई दिये नहीं रह सकता क्योंकि आज दिन भर इस हाउस में जो स्ट्रेन रहा है इस सामान्य प्रशासन के विवाद पर उसमें उन्होंने दिलचस्पी पैदा की। दिन भर ऐसा अनुभव होता रहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के प्रशासन के बारे में कोई अनुदान नहीं मांगा बल्कि भ्रष्टाचार के बारे में कोई अनुदान की मांग की है और इस विधान सभा के समस्त सदस्य आवेश में आ कर भ्रष्टाचार के विरोध में बोलते रहे। मेरा निवेदन है कि हमारे प्रदेश का प्रशासन हो या किसी दूसरे देश का प्रशासन हो यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रशासन जो है वह कोई मशीन नहीं चलाती, उसे मनुष्य चलाता है और उसमें ह्यूमेन एलीमेंट काम करता है और उस पर बहुत से मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रभाव पड़ता है। इस विधान सभा में जो एक बहुत उत्तर दायित्वपूर्ण संस्था है यदि इधर तथा उपर से इस बात की जोरों के साथ चर्चा शुरू कर दी जाय कि इस प्रदेश का सारा प्रशासन निकम्मा है, भ्रष्ट है, उसमें फिजूलखर्ची भरी हुई है तो बहुत से लोग जो कार्यालयों में काम करते हैं और डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन में काम करते हैं और जिन पर काफी स्ट्रेन पड़ रहा है उन पर यह प्रभाव होगा कि वे हताश होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

मेरा यह निवेदन है कि हमारी विधान सभा में यह एक परम्परा-सी चल पड़ी है कि जिस हल को हम चाहते हैं उसको इस ढंग से यहां रखते हैं कि उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। होली की छुट्टियों के पूर्व फूड डिबेट हुई और इतने जोर से एक नारा लगाया गया सारे प्रदेश में भुखमरी है, गल्ला नहीं मिल रहा है, लूट हो रही है जिसका प्रभाव यह पड़ा कि जो भी ओपिन मार्केट में गल्ला मिल रहा था वह मिलना बन्द हो गया और किसान तथा व्यापारी के पास जो कुछ गल्ला था उसको उसने अपने पास रोक लिया। इसलिये हमको आवेश के साथ बात नहीं करना चाहिये।

माननीय नेकराम शर्मा जी हमारी विधान सभा में एक विशेषज्ञ हैं पर्सनल्टी कल्ट पर स्पीच देने के लिये। ४-५ मंत्रियों पर उन्होंने आरोप लगाये जिससे मालूम होता है कि सारा ब्रीफ उनके पास पहुंच जाता है।

श्री नेकराम शर्मा--

मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा था कि झारखंडेराय जी का कहना था ऐसी अफवाह है कि बनारसीदास जी की लड़की की शादी में डेढ़ लाख रुपये की भेंट स्वीकार की गयी और नवाब रामपुर ने आई० जी० की लड़की की शादी में हार दिया। यह अफवाहें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, अब समय समाप्त हो गया है। माननीय कृष्णानन्द जी अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०॥ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
दिनांक ३ मार्च, १९६४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन, बदायूं द्वारा ली जाने वाली दरें

प्रयोजन	कुल दर प्रति यूनिट	छूट	खालिस (net) दर प्रति यूनिट
१—प्रकाश तथा पंखे	५० नये पैसे	१२ नये पैसे	३८ नये पैसे
२—डोमेस्टिक पावर इत्यादि	२२ नये पैसे	३ नये पैसे	१९ नये पैसे
३—सिनेमा प्रोजेक्टर			२२.९ नये पैसे प्रति यूनिट यदि भुगतान समय के अन्दर होगा अन्यथा ५० नये पैसे प्रति यूनिट।
४—पंपिंग			
प्रथम १५० यूनिट प्रति मास प्रति बी० एच० पी० कनेक्टेड			
लोड	१४ नये पैसे	२ नये पैसे	१२ नये पैसे
शेष	१२ नये पैसे	२ नये पैसे	१० नये पैसे
५—पावर			
(१) १ किलोवाट से २० किलोवाट तक के संस्थापनों के लिये			
प्रथम १५० यूनिट प्रति मास प्रति बी० एच० पी० कनेक्टेड			
लोड	१४ नये पैसे	२ नये पैसे	१२ नये पैसे
शेष	१२ नये पैसे	२ नये पैसे	१० नये पैसे
(२) २० किलोवाट से ८५ किलोवाट तक के संस्थापनों के लिये प्रथम २०० यूनिट प्रति मास प्रति किलोवाट			
कनेक्टेड लोड	१३ नये पैसे	२ नये पैसे	११ नये पैसे
शेष	११ नये पैसे	२ नये पैसे	९ नये पैसे
६—स्ट्रीट लाइटिंग			
१०० वाट की बत्ती २२०० प्रकाश के घंटे के लिये			८० रुपया प्रति वर्ष
६० ,, ,, ,, ,,			६० ,, ,,
४० ,, ,, ,, ,,			४० ,, ,,
२५ ,, ,, ,, ,,			२५ ,, ,,
१५ ,, ,, ,, ,,			१५ ,, ,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

जिला गाजीपुर के उन नगरों की सूची जिनका विद्युतीकरण हो चुका है

१—सैदपुर
२—मुहम्मदाबाद
३—शेरपुर
४—मरदाह
५—मैनपुर
६—गौसपुर
७—बददुपुर
८—कुंडेस्वर
९—बीरपुर
१०—गंगोली
११—पारा
१२—बसुदेवपुर
१३—बालापुर
१४—बहादुरगंज
१५—पछोतर
१६—रामपुर

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

राजकीय रोडवेज के कानपुर क्षेत्र में सन् १९६३ में निम्नलिखित १२ स्थायी कंडक्टरों को ए० टी० आई० के पद पर पदोन्नत किया गया।

१—श्री सुरेंद्र सिंह
२—श्री एस० पी० श्रीवास्तव
३—श्री मुहम्मद सईद
४—श्री रशीद अहमद
५—श्री टी० आर० मिश्रा
६—श्री सत्य प्रिय
७—श्री के० एन० मिश्रा
८—श्री एम० आर० त्यागी
९—श्री आर० सी० टंडन
१०—श्री बी० एम० एल० पांडेय
११—श्री बी० पी० गुप्ता
१२—श्री संतलाल सक्सेना

इनमें से किसी को सीनियारिटी के आधार पर न होने के कारण रिवर्ट नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

नत्थी की गई सूची

१—भांती,
२—रनिया,
३—सचेंडी,
४—सरसौल,
५—अमरौधा,
६—पनका,
७—चकरपुर,
८—बारा,
९—राईपुर,
१०—प्रेमपुर,
११—बिल्हौर
१२—मनधाना,
१३—नरवल,
१४—अरौल,
१५—दतिया ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

रसड़ा में बस स्टेशन का निर्माण कार्य १९५९–६० में शुरू हुआ और १९६१–६२ में पूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त उक्त स्टेशन पर निम्नलिखित कार्य भी हुआ है :

कार्य	जिस वित्तीय वर्ष में कार्य हुआ
१—चहार दीवारी	१९६१–६२
२—पुलिया	१९६२–६३
३—नाली	१९६२–६३

मिट्टी की पटाई, ईटें बिछाने तथा प्रोटेक्टिव वाल बनाने का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो रहा है।

बेल्थरा रोड में बस स्टेशन के भवनों का निर्माण कार्य निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में हुआ।

१—बस स्टेशन का निर्माण	१९६०–६१
२—बस स्टेशन के विस्तार का कार्य	१९६१–६२
३—रनिंग रूम का निर्माण	१९६१–६२
४—चहार दीवारी के कुछ हिस्से का कार्य	१९६१–६२
५—कैन्टीन का निर्माण	१९६२–६३

स्टार्टिंग शेड, मिट्टी की पटाई, ईटें बिछाने का कार्य तथा रिटेनिंग वाल बनाने का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो रहा है।

संसद सदस्य विज्ञान संस्था

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५२१ पर)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, सम्भरण, श्रेणीकरण और मूल्य-नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

देश के औद्योगिक विकास के हित में, शीरे का संरक्षण और आसवनियों को तथा औद्योगिक विकास के प्रयोजनों के लिए इसकी अपेक्षा करने वाले अन्य व्यक्तियों को उचित मूल्यों पर इसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, सम्भरण, श्रेणीकरण और मूल्य-नियंत्रण की व्यवस्था की जाये:

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा ५ के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१०

(ख) "आसवनी" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, १९१० के उपबन्धों के अधीन चालक (power) पेय (potable) या औद्योगिक मद्यसार बनाने के लिए लाइसेंस-प्राप्त भूगृहादि से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१०

(ग) "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, १९१० में excise officer का दिया गया है;

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से निर्वात पात्र (vacuum-pan) द्वारा शक्कर बनाने की अन्तिम अवस्था में निकलने वाले गाढ़े, गहरे रंग के लसदार तरल द्रव्य से है, जब उस तरल द्रव्य या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में शक्कर हो;

(ङ) शक्कर के कारखाने के संबंध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत कारखाने का प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिंग एजेन्ट) भी है;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है; और

(ज) "शक्कर के कारखाने" अथवा "कारखाने" का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं (precincts) सहित किसी ऐसे भूगृहादि से है, जहां बीस या उससे अधिक कर्मी (worker) काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युतशक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों (vacuum pans) द्वारा शक्कर के उत्पादन से सम्बन्धित निर्माण प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती हो।

अध्याय २

परामर्शदात्री एवं प्रशासनिक तंत्र

परामर्श समिति का संघटन

३—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, सम्भरण, श्रेणीकरण तथा मूल्य नियंत्रण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिए एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है।

(२) समिति में उतने व्यक्ति होंगे और वह ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संघटित की जायगी जो नियत किये जायं।

शीरा नियंत्रक की नियुक्ति

४—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन शीरा नियंत्रक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी व्यक्ति को शीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

अध्याय ३

संरक्षण, वितरण और मूल्य

शीरे का संरक्षण

५—शक्कर के कारखाने के प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा—

(क) कारखाने में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिए कारखाने के गृहादि के भीतर आच्छादित स्थान;

(ख) चूने, रिसने, ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संगृहीत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की संभावना हो, रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय;

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगड़े हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध; और

(घ) शीरे को उठाने धरने का, जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना, उसे पम्प करना और टंकी वैगनों, टंकी लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है, पर्याप्त सुविधाएं।

अपमिश्रण से संरक्षण

६—(१) शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक में किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(२) शक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा [लेन और इगनान के आयतन-मिति विधि (Lane and Egnon's volumetric method) द्वारा अवधारित कुल अपचायक शक्कर (reducing sugar) के रूप में व्यक्त] चालीस प्रतिशत से कम हो, यह प्रकल्पना करने के लिए पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

अपमिश्रिक शीरे का हटाया जाना

७—(१) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भूगृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली उचित अवधि के भीतर होने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(२) धारा ६ की उपधारा (२) में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपमिश्रित शीरा समझा जायगा।

शीरे की बिक्री और उसका संरक्षण

८—(१) नियंत्रक, आज्ञा द्वारा, शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को, जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, नियत रीति से बेचने और सम्भरित करने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी, किसी संविदा के होते हुए भी, उस आज्ञा का पालन करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा—

(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा संभरित करने की अपेक्षा करेगी जिसे उसकी अपेक्षा अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए हो;

(ख) स्टाक की या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है, किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष कारखाने के शीरे के कुल अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा, सिवाय उस दशा के जब नियंत्रक की राय में निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो:

(१) ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसमें शक्कर के कारखाने से उचित मूल्य पर शीरा ले जाया जा सके, आसवनियों की आवश्यकता;

(२) उक्त क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास के अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यकता; और

(३) क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता।

(३) नियंत्रक, उपधारा (१) के अधीन आज्ञा में, किसी भूल या लोप को ठीक करने के लिए उपधारा (२) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी में बाद में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अपेक्षा की पूर्ति के लिए, ऐसे परिष्कार कर सकता है, जो आवश्यक हों।

अपील

९—(१) धारा ८ की उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को नियत रीति से अपील कर सकता है और राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम होगी।

शीरे के अधिकतम मूल्य

१०—(१) शक्कर के कारखाने का अध्यासी ऐसे शीरे को, जिसके सम्बन्ध में धारा ८ के अधीन आज्ञा दी गयी हो, उस मूल्य पर बेचेगा जो अनुसूची में नियत मूल्य से अधिक न हो।

(२) यदि शीरे के संग्रहण व्यय में या उसे टंकी वैगनों में भरने या उसके पार्श्वायन (Shunting) के व्यय में किसी परिवर्तन के कारण या शीरे के मूल्यों को भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों (यदि कोई हों) के अनुरूप करने के लिए अनुसूची में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा संशोधन कर सकती है।

स्पष्टीकरण—रेलवे टंकी वैगनों, टैंक लारियों या अन्य पात्रों में भरने में होने वाले सभी आनुषंगिक व्यय और रेलवे टंकी वैगनों के पार्श्वायन व्यय (Shunting charges) में मूल्य में सम्मिलित हैं।

अध्याय ४

अपराध और शास्तियां

उपबन्धों का उल्लंघन

११—(१) जो व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं या जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन करे अथवा किसी ऐसे मामले के बारे में, जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या उक्त नियमों, आज्ञाओं या निदेशों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गयी हो, जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरण दे या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे वह सिद्ध दोष पाये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और, निरन्तर उल्लंघन होते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थदंड से दंडनीय होगा जो इस प्रकार प्रथम सिद्ध दोष पाये जाने के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि कोई ऐसा शीरा, जिसके विषय में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है, राज्य सरकार के हक में जब्त कर लिया जाय।

कम्पनियों द्वारा अपराध

१२—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दंड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ अथवा यह कि अपराध उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ तो वह निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्धअभिकर्ता, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

अपराध संज्ञान

१३—(१) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान (cognizance) तब तक न करेगा, जब तक कि आबकारी निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का आबकारी अधिकारी लिखित रूप में उस अपराध के संघटक तथ्यों की सूचना न दे।

(२) कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार न करेगा।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अर्थ में संज्ञेय और जमानत योग्य (cognizable and bailable) होगा।

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण का अधिकार

१४—(१) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक (सब-इन्सपेक्टर) से निम्न श्रेणी का न हो या उप-निरीक्षक (आबकारी) की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी—

(क) किसी समय किसी भू-गृहादि में, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई ऐसा शीरा, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है या किया जाने वाला है, रखा या छिपाया गया है, प्रवेश कर सकता है, तथा उसकी तलाशी ले सकता है।

(ख) ऐसे शीरे या किसी बक्स, पैकेट, पात्र, बंडल या आच्छादन का जिसमें ऐसा शीरा हो और ऐसे शीरे के व्यापार से संबंधित किन्हीं पुस्तिकाओं, लेखों, लेख्यों या विवरण-पत्र का अभिग्रहण कर सकता है; और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, निरुद्ध कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(२) इस धारा के अधीन ली गयी सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(३) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या आबकारी निरीक्षक की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसन्धान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हो और जो ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(४) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अनुसंधान के संबंध में उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग थाने का प्रभारी अधिकारी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अध्याय १४ के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में कर सकता है।

१५--(१) धारा १४ के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या वस्तुओं के बारे में सूचना, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, क्षेत्राधिकार युक्त मैजिस्ट्रेट को दी जायगी, जो ऐसी जांच (यदि कोई हो), जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उनकी अभिरक्षा के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। अभिग्रहण की सूचना देना

(२) यदि ऐसे अभिग्रहण के दिनांक से छः मास के भीतर कोई अभियोग न चलाया जाय, तो मैजिस्ट्रेट उस शीरे या उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों के हक में, जिनसे अभिगृहीत की गयी थीं, छोड़ने की आज्ञा दे सकता है।

१६--नियंत्रक किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किये गये अपराध के लिए समझौते के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दशा में, जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई संपत्ति अभिगृहीत की गयी हो, नियंत्रण द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस संपत्ति को छोड़ सकता है। नियंत्रक, को यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य अथवा दोनों का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को, यदि वह हिरासत में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत संपत्ति छोड़ दी जायगी और उस व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी। अपराधों के संबंध में समझौता करने का अधिकार

अध्याय ५

विविध

१७--प्रत्येक शक्कर कारखाने का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त अध्यासी द्वारा शीरा सम्भरित किया जाय और इस बात के लिये बाध्य होगा कि वह-- लेखे रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना आदि

(क) ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख उपकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य (reagents) रखे जो नियत किये जायें ;

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों और उन दिनांकों तक, ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियां प्रस्तुत करे जो नियन्त्रक आज्ञा द्वारा नियत करे;

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो, मांग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख्य, उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करे, जिन्हें रखने की अपेक्षा उससे अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

१८--शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निदेशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियन्त्रक द्वारा शक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारी के लिए शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर, ऐसे किराये का भुगतान करने पर और ऐसी शर्तों पर, जो नियत की जायें, आवास-स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा। कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास

१९--नियन्त्रक, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकता है कि धारा ८ को छोड़कर, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई अधिकार ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन अधिकारों का प्रतिनिधान

(यदि कोई हों), जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, उसे किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगा ।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

२०—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

आज्ञाओं की तामील

२१—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी आज्ञा:—

(क) उस दशा में जब वह सामान्य प्रकार की या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाली आज्ञा हो, गजट में विज्ञापित की जायेगी और;

(ख) उस दशा में जब वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, उस व्यक्ति पर निम्नलिखित प्रकार से तामील की जायगी—

(१) डाक प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा या उसे उक्त व्यक्ति को देकर उसके समक्ष प्रस्तुत करके; या

(२) यदि यह इस प्रकार से दी या प्रस्तुत की जा सकती हो, तो उसे भूगृहादि के जिसमें वह व्यक्ति रहता हो बाह्य द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका कर, और उसकी इस प्रकार की तामील का एक विवरण तैयार करके जिस पर उस स्थान पर रहने वाले दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो ।

नियम बनाने का अधिकार

२२—(१) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) परामर्श समिति का संघटन, उसके सदस्य चुने जाने की रीति, उसका कार्यालय, उन्हें देय भत्ते, यदि कोई हों, रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य-संचालन की प्रक्रिया;

(ख) परामर्श समिति के सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित प्रक्रिया;

(ग) शक्कर के कारखानों द्वारा शीरे के संरक्षण के और उसके संग्रहण से सम्बन्धित शर्तें;

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विशिष्टियां और परीक्षण, जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जांच भी सम्मिलित है;

(ङ) शीरे की बिक्री और उसके सम्भरण की रीति;

(च) राज्य सरकार को अपील का आकार और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) अपराधों में समझौते करने की प्रक्रिया ;

(ज) शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाली रजिस्टर, अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य;

(झ) किराया और शर्तें, जिन पर शक्कर के कारखाने के प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जायगी;

(ञ) शीरे के उत्पादन, विवरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े एकत्र करना;

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण; तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जो नियत किये जाते हों, या नियत किये जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulament) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

२३—यूनाइटेड प्राविंसेज मोलासेज (कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ निरस्त किया जाता है। यू० पी० ऐक्ट संख्या २३, १९४७ का निरसन

अनुसूची

(धारा १० देखिये)

श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)	बढ़ाने के तथा पार्श्वायन के व्यय सहित प्रति क्विन्टल शीरे का अधिकतम मूल्य
प्रथम	.. ५० प्रतिशत तथा उसके ऊपर	.. ६७ नये पैसे।
द्वितीय	.. ४७ प्रतिशत से ४९.९९ प्रतिशत तक	.. ५९ नये पैसे।
तृतीय	.. ४४ प्रतिशत से ४६.९९ प्रतिशत तक	.. ५१ नये पैसे।
चतुर्थ	.. ४० प्रतिशत से ४३.९९ प्रतिशत तक	.. ४३ नये पैसे।

उद्देश्य और कारण

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोलैसेज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ को शीरे के उत्पादन, मूल्य और उसके वितरण को नियन्त्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पिछले १५ वर्षों में इस ऐक्ट के कार्यान्वय में, विशेष कर मितव्ययी दरों पर आसवनियों को शीरे की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के मामले में, कठिनाइयां अनुभव हुईं। रिटों के कुछ मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये उन्हें देखते हुए, यह भी वांछनीय समझा गया कि कुछ ऐसे उपबन्धों को, जिनसे संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है, छोड़ दिया जाय या उनमें उपयुक्त परिष्कार कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त, राज्य में उत्पादित शीरे की सम्पूर्ण मात्रा को बचाने और उसका परिक्षण करने और इस राज्य के परम औद्योगिक विकास के लिए आसवनियों का तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए, यह इष्टकर समझा गया कि कतिपय नये उपबन्ध बनाये जायें।

२—अतएव, यह प्रस्ताव है कि वर्तमान यूनाइटेड प्राविन्सेज मोलैसेज कन्ट्रोल ऐक्ट को निरस्त कर दिया जाय और उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक नयी विधि अधिनियमित की जाय।

दाऊ दयाल खन्ना,
आबकारी मंत्री

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश शीरा विधेयक, १९६४ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मामले में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। विधेयक के खण्ड २२ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिए और विशेषतया उपखण्ड (२) में दिये गये कतिपय विषयों के लिए नियम बनाये। इस प्रकार बनाये गये नियम उन परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उनमें करने के लिये सहमत हों। उपर्युक्त खण्ड के अतिरिक्त विधेयक के अन्य खण्डों में भी विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है :—

खण्ड ३ — इस खण्ड के उपखण्ड (२) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन व्यक्तियों की संख्या नियत करे जिनसे परामर्श समिति बनेगी तथा उन शर्तों और प्रतिबन्धों को भी नियत करे जिन पर उच्च समिति संगठित की जायगी।

खण्ड ८ — इस खण्ड में राज्य सरकार को ऐसी रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से शीरे की ऐसी मात्रा बेचने और सप्लाई करने की अपेक्षा की जायगी जो नियंत्रक द्वारा जारी की गयी आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

खण्ड ९ — इस खण्ड में राज्य सरकार को ऐसी रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार खण्ड ८ के उपखण्ड (१) या उपखण्ड (२) के अधीन दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकता है।

खण्ड १० — इस खण्ड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को उक्त खण्ड में उल्लिखित परिस्थितियों में शीरे के मूल्यों की अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

खण्ड १७ — (१) इस खंड के उपखंड (क) में राज्य सरकार को ऐसे रजिस्टर, अभिलेख लेखें, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्यों (Reagents) को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिन्हें रखने की अपेक्षा शक्कर के कारखाने के अध्यासी से तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से की जायगी जिसे ऐसे अध्यासी द्वारा शीरा सम्भरित किया जाय।

(२) उपखण्ड (ख) में नियंत्रक को यह अधिकार दिया गया है कि वह शीरे के उत्पादन और निस्तारण के संबंध में सूचनाओं और विवरणियों का प्रस्तुत करना नियत करे तथा उन्हें प्रस्तुत करने की रीति दिनांक तथा और उन प्राधिकारियों को भी नियत करे जिन्हें वे प्रस्तुत की जायेंगी।

खण्ड १८ — इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किराया और ऐसी शर्तें नियत करे जिन पर शक्कर के कारखाने के प्रत्येक अध्यासी, विधेयक के जब वह अधिनियमित हो जाय, उपबंधों के पालन को सुनिश्चित करने के लिये उक्त शक्कर के कारखाने में तैनात आबकारी अधिकारी के प्रयोग के निमित्त आवास-स्थान की व्यवस्था करेगा।

उपर्युक्त अधिकार सामान्य प्रकार के हैं।

दाऊदयाल खन्ना,
आबकारी मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२६० एल० ए०—१९६४—८६०।